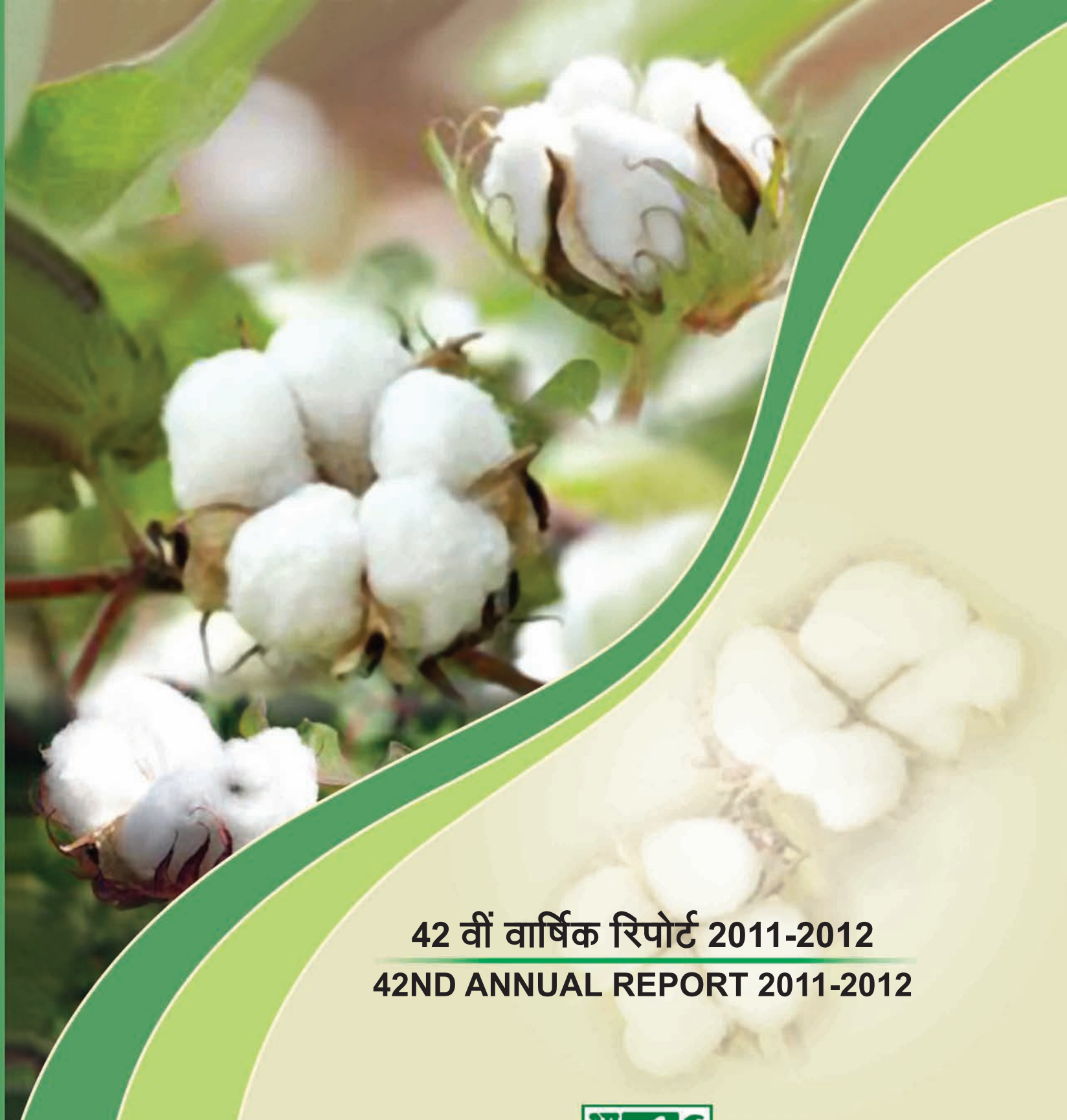


42 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2011-2012

42ND ANNUAL REPORT 2011-2012

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED

निदेशक मंडल
(दिनांक 23.08.2012 को)
BOARD OF DIRECTORS
(As on 23.08.2012)



श्री बी.के.मिश्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri B. K. Mishra, Chairman cum Managing Director



श्री वी. श्रीनिवास, निदेशक
Shri V. Srinivas, Director



श्री के. रामचंद्रन पिल्लाई, निदेशक
Shri K. Ramchandran Pillai, Director



श्री सी. एस. तेवतिया, निदेशक (विपणन)
Shri C. S. Teotia, Director (Marketing)



श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)
Shri Pradeep Kumar Agarwal, Director (Finance)

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

42वीं वार्षिक रिपोर्ट 2011-2012

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

42ND ANNUAL REPORT 2011-2012

निदेशक मंडल
(दिनांक 23-08-2012)

श्री बी.के.मिश्र	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री वी. श्रीनिवास	निदेशक
श्री के. रामचंद्रन पिल्लाई	
श्री सी. एस. तेवतिया	
श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल	
श्री मनोज बजाज	कंपनी सचिव एवं. महा प्रबंधक (वित्त)

BOARD OF DIRECTORS
(As on 23-08-2012)

Shri B. K. Mishra	Chairman cum Managing Director
Shri V. Srinivas	Directors
Shri K. Ramchandran Pillai	
Shri C. S. Teotia	
Shri Pradeep Kumar Agarwal	
Shri Manoj Bajaj	Company Secretary cum General Manager (Fin)

लेखा परीक्षक

मेसर्स चौक्सी एंड चौक्सी
सनदी लेखापाल, मुंबई

मेसर्स प्रेम गुप्ता एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल, नई दिल्ली

AUDITORS

M/s. CHOKSHI & CHOKSHI
Chartered Accountants, Mumbai

M/s. Prem Gupta & Co.
Chartered Accountants, New Delhi

पंजीकृत कार्यालय

"कपास भवन"
प्लॉट नं. 3ए, सेक्टर - 10, सी.बी.डी. बेलापुर,
नवी मुंबई - 400 614
वेब साईट : www.cotcorp.gov.in
www.ministryoftextiles.gov.in

REGISTERED OFFICE

"Kapas Bhavan"
Plot No. 3A, Sector 10, C.B.D. Belapur
Navi Mumbai - 400 614
Website: www.cotcorp.gov.in
www.ministryoftextiles.gov.in

अनुक्रमणिका

सूचना	02
अध्यक्ष का अभिभाषण	03
निदेशकों की रिपोर्ट	12
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	41
महा लेखा परीक्षक की टिप्पणी	51
वार्षिक लेखे	52
बैंचमार्किंग उत्कृष्टता	99
बैंको की सूची	122

CONTENT

Notice	02
Chairman Speech	03
Directors' Report	12
Auditor's Report	41
Comments of the CAG	51
Annual Accounts	52
Benchmarking Excellence	99
List of Banks	122

सार्वजनिक उपक्रम - प्रगति के लिए वचनबद्ध
The Public Sector - A Commitment to Progress

सूचना

NOTICE

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय कपास निगम लिमिटेड की 42 वीं वार्षिक सामान्य बैठक गुरूवार, **23 अगस्त, 2012 को 2.00 बजे** कपास भवन, प्लॉट नं 3ए, सेक्टर 10, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400 614 में निम्नलिखित काम-काज करने के लिए आयोजित की जायेगी :

(1) दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा प्राप्त और स्वीकार करना ।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते भारतीय कपास निगम लिमिटेड

हस्ता/-
(मनोज बजाज)
कंपनी सचिव एवं महा प्रबंधक (वित्त)

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 1 अगस्त 2012

नोट्स:
बैठक में उपस्थित रहने तथा मतदान के अधिकारी सदस्य अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित रहने और अपने स्थान पर मतदान करने का अधिकार प्रदान कर सकते हैं तथा ऐसे प्रतिनिधि का सदस्य होना आवश्यक नहीं हैं।

NOTICE is hereby given that the 42nd Annual General Meeting of the Cotton Corporation of India Limited will be held on **Thursday the 23rd August, 2012 at 2.00p.m.** at Kapas Bhavan, Plot No. 3A, Sector 10, CBD-Belapur, Navi Mumbai 400 614 to transact the following business:

(1) To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2012, Statement of Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2012 and the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon.

By order of the Board of Directors,
For THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

Sd/-
[MANOJ BAJAJ]
Company Secretary cum Gen. Manager (Fin)

Place: Navi Mumbai
Date : 1st August 2012

NOTES:
Member entitled to attend and vote is entitled to appoint another person as his proxy to attend and vote instead of himself and proxy need not be a member.

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

निगम की 42 वीं वार्षिक सामान्य बैठक के अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अभिभाषण

सज्जनो,

भारतीय कपास निगम लिमिटेड की इस 42वीं वार्षिक सामान्य बैठक के अवसर पर मैं, अपनी ओर से और निगम के निदेशक मंडल की ओर से आप सबका सहर्ष स्वागत करता हूँ । इस बैठक की सूचना की नोटिस, निदेशक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे पहले ही परिचालित किये जा चुके हैं । आपकी अनुमति से, मैं उसे पठित मानता हूँ ।

कपास मौसम 2011-12 कपास क्षेत्र और उत्पादन के साथ-साथ देशी मांग और अंतर्राष्ट्रीय मांग की दृष्टि से अभूतपूर्व वर्ष रहा है, जिसने कई चुनौतियाँ और अवसर खड़े किये । आपका निगम अपनी विवेकशील नीतियों और निष्ठावान एवं अनुभवी कर्मचारियों के कारण चुनौतियों का सामना करने और संगठन के लिए उल्लेखनीय स्थान बनाने तथा इसे और दृढ़ बनाने में सफल रहा है ।

कपास परिदृश्य

विश्वीय

- पिछले कपास मौसम में, अन्य स्पर्धात्मक फसलों की तुलना में, कपास मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रोत्साहित होकर वर्ष 2011-12 में विश्व कपास क्षेत्र 8% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 35.93 मिलियन हेक्टर्स तक पहुँच गया, जबकि पिछले वर्ष यह 33.35 मिलियन हेक्टर्स था ।
- कपास उत्पादन करने वाले अधिकांश देशों ने कपास के रोपण में विस्तार के साथ, कपास मौसम 2011-12 में विश्व कपास उत्पादन 8% की वृद्धि के साथ 27.16 मिलियन टन्स तक पहुँच गया, जबकि पिछले वर्ष यह 25.10 मिलियन टन्स था । उत्पादन में वृद्धि चीन, यू.एस.ए. तथा भारत द्वारा की गई है ।
- सीमित उपलब्ध आपूर्ति तथा ऊँचे मूल्यों के कारण, वर्ष 2011-12 में विश्व मिल उपभोग लगभग 7% गिरकर 22.74 मिलियन टन्स पर पहुँच गया, जबकि पिछले वर्ष यह 24.49 मिलियन टन्स था ।

SPEECH OF CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR AT THE 42ND ANNUAL GENERAL MEETING OF THE CORPORATION

Gentlemen,

It gives me a great pleasure to welcome you all on behalf of the Board of Directors of the Corporation as also on my own behalf to this 42nd Annual General Meeting of the Cotton Corporation of India Ltd. The Notice convening the meeting, the Director's Report and the Annual Audited Accounts for the year ended 31st March 2012 have already been circulated and with your permission, I shall take them as read.

The cotton season 2011-12 had been a unique year in terms of cotton acreage, production as also demand domestically and internationally thereby posing challenges and opportunities. Your Corporation, with its prudent policies, dedicated and experienced cadre of employees had been able to meet these challenges creating value for the organization and gaining further strength.

Cotton Scenario

Global:

- Driven by a significant rise in cotton prices as compared to other competing crops in previous cotton season, the world cotton acreage in 2011-12 had increased significantly by 8% to 35.93 million hectares as against 33.35 million hectares in the previous year.
- With expansion in cotton plantings in most producing countries, world cotton production in cotton season 2011-12 has increased by 8% to 27.16 million tons as against 25.10 million tons in previous year. The increase in production was driven by China, USA and India.
- The world mill use in 2011-12 has declined by around 7% to 22.74 million tons as against 24.49 million tons of previous year.

- चीन द्वारा संचय के पुनः निर्माण के कारण, वर्ष 2011-12 में विश्व कपास व्यापार लगभग 20% बढ़कर 9.23 मिलियन टन्स पर पहुँच गया जबकि पिछले वर्ष यह 7.67 मिलियन टन्स था ।
- वर्ष 2011-12 में विश्व अंतिम स्टॉक लगभग 48% की वृद्धि के साथ 13.79 मिलियन टन्स तक पहुँच गया, जबकि पिछले वर्ष 9.30 मिलियन टन्स था ।

देशी

कपास का क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता

- गत वर्ष कपास के लिए अच्छे मूल्यों की प्राप्ति होने के कारण तथा बुआई के समय कृषि जलवायु अनुकूल रहने के कारण, कपास मौसम 2011-12 में कपास उत्पादक अन्य प्रतिस्पर्धात्मक फसलों की तुलना में कपास के अधीन क्षेत्र में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित हुए । इसके फलस्वरूप कपास मौसम 2011-12 में कपास क्षेत्र 9% की वृद्धि के साथ 121.91 लाख हेक्टर्स के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गया, जबकि पिछले वर्ष यह 111.42 लाख हेक्टर्स था ।
- देश में बीटी कपास के अंतर्गत क्षेत्र में वर्ष प्रति वर्ष लगातार वृद्धि हो रही है । कपास मौसम 2011-12 में कपास के लगभग 122 लाख हेक्टर्स के कुल क्षेत्र की तुलना में 111.23 लाख हेक्टर्स क्षेत्र बीटी कपास के अधीन रहा है जो समग्र क्षेत्रफल का लगभग 91% है, जबकि पिछले वर्ष यह 88% था ।
- कपास मौसम 2011-12 के दौरान, कृषि जलवायु अनुकूल रहने, वृद्धित क्षेत्रफल और बीटी कपास के आगमन के कारण देश में लगातार सातवें वर्ष एक बार फिर कपास की अत्याधिक उपज पैदा हुई, जो लगभग 5.90 मिलियन मैट्रिक टन्स (170 प्रति किग्रा. की 34.70 मिलियन गाँठें के समकक्ष) थी, जबकि वर्ष 2010-11 के दौरान यह 5.76 मिलियन मैट्रिक टन्स (33.90 मिलियन गाँठे) थी ।
- भारत सरकार द्वारा कपास प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत किये गये विभिन्न उपायों से गुणवत्तावाले प्रमाणित बीजों की और ट्रुथफुल लेबल बीजों की बेहतर उपलब्धता ने बीटी बीजों के उपयोग में वृद्धि की है और उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा संशोधित कृषि उपायों को अपनाने के कारण किसानों की मनःस्थिति में बदलाव लाया है, जिसके कारण देश में कपास का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है । तथापि, शीतकालीन वर्षा और ओस की कमी के साथ बढ़े हुए तापमान के कारण मध्य और दक्षिण राज्यों में मोईस्चर स्ट्रेस बन गया,

- Due to rebuilding of reserve by China, world cotton trade in 2011-12 has increased by around 20% to 9.23 million tons as against 7.67 million tons previous year.
- Global ending stocks as at the end of the year have increased by around 48% to 13.79 million tons in 2011-12 as against 9.30 million tons in the previous year.

Domestic

Acreage, production and productivity of cotton:

- Receipt of good prices in the previous year and favourable agro-climatic conditions at the time of sowing enthused the cotton farmers to increase the acreage under cotton in cotton season 2011-12 by switching over from other competing crops. As a result, cotton acreage in cotton season 2011-12 has increased by 9% to a record level of 121.91 lakh hectares as against 111.42 lakh hectares in the previous year.
- Acreage under Bt cotton in the country continued to increase year after year. In cotton season 2011-12, out of total acreage under cotton of around 122 lakh hectares, 111.23 lakh hectares area was covered under Bt cultivation, constituting around 91% of the total acreage as compared to 88% in the previous year.
- During cotton season 2011-12, with favourable agro-climatic conditions, increased acreage and advent of Bt cultivation, the country once again harvested higher cotton crop for the seventh consecutive year at 5.90 million metric tons (equivalent to 34.70 million bales of 170 kgs each) as against 5.76 million metric tons (33.90 million bales) during 2010-11.
- With various measures by Government of India under Technology Mission on Cotton, better availability of quality certified seeds and truthful label seeds, increased usage of Bt seeds and the changed mindset of cotton farmers towards improved farm practices etc., the productivity of cotton in the country over the years had been continuously increasing. However, absence of winter rains and dews coupled with high temperature in Central and Southern States

जिसने उपज को प्रभावित किया। कपास मौसम 2011-12 में कपास उपज 484 किग्रा. प्रति हेक्टर रही, जबकि पिछले वर्ष यह 517 किग्रा. थी ।

माँग और आपूर्ति स्थिति

- समीक्षाधीन वर्ष के पहले भाग में यानि अप्रैल से सितंबर, 2011 के बीच माल जमा होने के साथ यार्न के लिए देशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों की मांग कच्चे माल के ऊँच मूल्यों के कारण, स्पिनर्स द्वारा ऋण पाने में कठिनाई, कपास यार्न के गिरते मूल्य, केमिकल फाईबर से प्रतियोगिता के कारण दबी रही । इसके फलस्वरूप मांग में गिरावट और तैयार माल के जमा होने से कताई मिलों के क्षमता उपयोग में एक तिहाई गिरावट आ गयी और उसके फलस्वरूप स्पिनर्स के परिचालन लाभ मार्जिन में गिरावट आयी ।

  तथापि, गिरावट के दबाव को रोकने और कपास और कपास यार्न के मूल्यों को सुधारने के लिए भारत सरकार ने कपास और कपास यार्न के निर्यात पर 1 अप्रैल, 2011 तथा 1 अक्तूबर, 2010 से भूतलक्षी प्रभाव से डीईपीबी लाभ को पुर्नबहाल कर दिया तथा कपास निर्यात से कैप हटा दिया । फिर भी स्पिनर्स का लाभ दबाव में बना रहा, जिसने कपास की देशी और अंतर्राष्ट्रीय समग्र मांग को प्रभावित किया है और मिलों ने लीन अवधि की आवश्यकता के स्थान पर तत्काल आवश्यकता की खरीद करने की नीति अपनायी ।

  इसके परिणामस्वरूप कपास मौसम 2011-12 में देशी कपास उपभोग 6% की गिरावट के साथ 4.28 मिलियन मैट्रिक टन्स (25.20 मिलियन गाँठें) तक पहुँच गया जबकि वर्ष 2010-11 में यह 4.55 मिलियन मैट्रिक टन्स (26.74 मिलियन गाँठें) था।

वर्ष के दौरान मुख्य गतिविधियाँ और नीति निर्माण :

- कपास मौसम 2011-12 के लिए भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 74(आरई-2010)/2009-14 दिनांक 12 सितंबर, 2011 के अनुसार कपास निर्यात को ओजीएल के अंतर्गत कर दिया है, जो डीजीएफटी के साथ संविदा के पूर्व पंजीकरण के साथ होगा ।

मूल्य प्रवृत्ति

- कपास, यार्न और वस्त्रोद्योग उत्पाद की घटी हुई मांग की पृष्ठभूमि में कपास मौसम 2011-12 में कपास के

resulted into moisture stress, which had affected the yield. The yield per hectare in 2011-12 had been 484 kgs/hectare as against 517 kgs/ha in previous year.

Demand & Supply situation

- In the first half of the year under review i.e. April to September 2011, with piling up of inventory, the demand for yarn both domestically and internationally had been subdued faced with high priced raw materials, difficulties to access credit by the spinners, declining prices of cotton yarn and competition from chemical fibres. Subsequently, with slow down in demand and large finished goods inventory, capacity utilization by spinning mills dropped down to one-third of optimal utilization, thereby further declining the operating profit margin of spinners.

  However, with a view to arrest downward pressure and help stabilize the prices of cotton and cotton yarn, the Government of India reinstated DEPB benefits on export of cotton yarn and cotton with retrospective effect from 1st April 2011 & 1st October 2010 respectively and removed of cap on cotton exports. Still the operating profitability of the spinners remained under pressure which had affected the overall demand for cotton domestically & internationally and the mills preferred to purchase cotton to meet immediate requirements rather than building lean season requirement.

  As a result, the domestic cotton consumption in cotton season 2011-12 has declined by 6% to 4.28 million metric tons (25.20 million bales) as against 4.55 million metric tons (26.74 million bales) in 2010-11.

Major Developments and Policy Initiatives during the year

- For cotton season 2011-12, the Government of India vide Notification No.74(RE-2010)/2009-14 dated 12th September 2011 had placed cotton exports under OGL with prior registration of contracts with DGFT.

Price Trend

- In the backdrop of sluggish demand for cotton, yarn and textile products, the opening cotton prices in the cotton season 2011-12 had been

आरंभिक मूल्य पिछले वर्ष के आरंभिक मूल्यों से थोड़ा ही ऊँचे थे ।

- मिलों और निर्यातकों से बड़ी मांग ने मौसम के आरंभिक भाग में मूल्य वृद्धि को और भड़का दिया ।
- तथापि जनवरी, 2012 में चढ़ाई की यह प्रवृत्ति मूल्यों में गिरावट के साथ पलट गयी । यद्यपि यह दौर अल्पावधि का था और कपास मूल्य आगामी महीनों में घटे हुए स्तर पर बने रहे क्योंकि देशी मिलों और निर्यातकों से मांग बहुत ही कम थी । मिलें कच्चे माल को जमा करने के लिए उत्सुक नहीं थी ।

अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्ति

- विश्वीय आर्थिक स्थिति में अनिश्चितता की वृद्धि और यूरो झोन की बढ़ती कठिनाईयों ने इसे और बढ़ा दिया तथा कपास के साथ-साथ अधिकांश पण्यों के मूल्यों में गिरावट तेजी़ से आयी ।
- कॉटलुक ए सूचकांक, जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का मापक है, कपास मौसम 2011-12 के लिए 1 अगस्त, 2011 को 1133.80 यू.एस.सेंटस प्रति एलबी था, जो पिछले वर्ष के आरंभिक मूल्यों से 32% ऊपर था ।
- तथापि अक्तूबर, 2011 के पहले सप्ताह में कॉटलुक मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति थी और मध्य दिसंबर, 2011 तक कॉटलुक सूचकांक लगभग 19% गिरकर 92.10 यू.एस. सेंटस प्रति एलबी हो गया ।
- मांग में बहुत अधिक कमी हो जाने के कारण तथा ऋण प्राप्ति में कठिनाई आने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्यों में गिरावट आरंभ हो गयी ।
- कपास मौसम 2011-12 के लिए कॉटलुक ए सूचकांक पिछले वर्ष के 164 यू.एस.सेंटस प्रति एलबी औसत के विरूद्ध लगभग 100 यू.एस.सेंटस प्रति एलबी रहा।

निगम का कार्य-निष्पादन

न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य

- जब कभी प्रचलित कपास मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य को छूते हैं, आपका निगम भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) द्वारा उन्हें ऑफर की गई संपूर्ण कपास मात्रा खरीद करने के लिए बाजार में प्रवेश करता है।

  कपास मौसम 2011-12 के लिए भारत सरकार ने पिछले

marginally higher than the opening prices of previous year.

- Strong demand both from mills as well as exporters fuelled the price rise during the early part of the season.
- However, the upward trend was reversed with prices bouncing back in January 2012. This spurt was, however, short-lived and the cotton prices sought lower level in the subsequent months as demand from both domestic mills as well as exporters was on wane. Mills were not keen on building up of raw material inventory.

International Price Trend

- With increasing uncertainty of the global economic health and the Euro zone woes continuing to enlarge and expand, most commodities prices fell sharply with cotton being no exception.
- The Cotlook A index opening price, a measure for international prices, for cotton season 2011-12 on 1st August 2011 was 113.80 US C/lb which was higher by 32% over the opening price of previous year.
- However, since first week of October 2011, there was declining trend in the Cotlook prices and by mid-December 2011, the Cotlook Index dropped down by around 19% to 92.10 US Cents per lb.
- Due to significant slowing in demand and also due to problems of credit access, the international cotton prices have started declining.
- The Cotlook A Index for cotton season 2011-12 had averaged at around 100 US Cents per lb as against average of 164 US C/lb in previous year.

Performance of the Corporation

MSP Operations

- As and when the prevailing kapas prices touch the MSP level, your Corporation, as per the directives from the Government of India, enters the market to buy entire quantity of kapas offered to it by the cotton growers at Minimum Support Prices (MSPs) announced by the Government of India.

  For cotton season 2011-12, Government of India

वर्ष की तुलना में मूलभूत स्टेपल ग्रुप में लगभग 10 से 12 % की वृद्धि की ।

कपास मौसम 2011-12 में कपास के विद्यमान मूल्य लगभग सभी कपास उत्पादक राज्यों में सभी किस्मों में न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से ऊपर बने रहे । केवल मार्च, 2012 में 20-22 दिन की उपज अवधि को छोड़कर, जब आंध्र प्रदेश के सुदूरवर्ती केंद्रों में वर्तमान कपास मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर पर बने रहे । इसके परिणामस्वरूप निगम ने सौंपी गयी भूमिका के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य किया और इस परिचालन के अधीन लगभग 7600 गाँठों की खरीद की ।

वाणिज्यिक कार्य-कलाप

- न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य न होने की स्थिति में, आपका निगम वाणिज्यिक कार्य-कलाप सम्पूर्णतः स्वयं की जोखिम पर प्रारम्भ करता है ताकि किसानों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त हो सके तथा अपनी नियमित खरीददार मिलों की यानि संस्थागत और निजी क्षेत्र दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ निर्यात की पूर्ति की जा सके।

  कपास मौसम 2011-12 में न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य की असंभावना को देखते हुए, निगम ने वाणिज्यिक कार्य प्रारम्भ किया, ताकि अपने नियमित मिल खरीददारों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके । निगम द्वारा वाणिज्यिक कार्य के अंतर्गत लगभग 16.36 लाख क्विंटल कपास की खरीद की गयी, जो 3.40 लाख गाठों के समकक्ष है ।

देशी बिक्री

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने स्टॉक परिसमाप्त करने के लिए व्यावहारिक नीति का अनुपालन किया, जिससे कपास का स्टॉक परिसमाप्त करने में सहायता मिली है । निगम गत वित्तीय वर्ष की 12.67 लाख गाठों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 में 8.02 लाख गाठें बेचने में सफल रहा है ।

बिक्री टर्न-ओवर

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम का टर्न-ओवर गत वर्ष के 2749.02 करोड़ रूपये के टर्न-ओवर की तुलना में 1797.29 करोड़ रूपये रहा। टर्न-ओवर में यह घटौती पिछले वर्ष 13.18 लाख गॉठें की खरीद की तुलना में 2 लाख

had increased the MSPs by around 10 to 12% in basic staple groups as compared to previous year.

The prevailing kapas prices in cotton season 2011-12 had ruled above the MSP level in almost all the cotton growing states in all the varieties, barring a short span of 20-22 days in the month of March 2012, when at remote centres in Andhra Pradesh, the prevailing kapas prices had ruled at MSP level, As a result, as per the role assigned, the Corporation had taken up MSP operations and had purchased around 7600 bales under MSP operations.

Commercial Operations

- In the absence of MSP operations, the Corporation undertakes commercial operations entirely at its own risk to enable the cotton farmers to realize competitive prices for their produce as also to meet the requirement of its regular buyer mills, both under institutional and in private sector as also for exports.

  Looking to the impossibility of MSP operations in cotton season 2011-12, the Corporation had started commercial operations to cater the needs of its regular mill buyers. The Corporation had purchased around 16.36 lakh quintals of kapas equivalent to 3.40 lakh bales under commercial operations.

Domestic Sales

- During the year under review, your Corporation continued to pursue the pragmatic approach to liquidate the stocks, which has helped in liquidating the cotton stocks. The Corporation has succeeded in selling 8.02 lakh bales in FY 2011-12 as against 12.67 lakh bales in the previous FY.

Sales Turnover

- During the year under review, the turnover of the Corporation had been Rs.1797.29 crores as against the turnover of Rs.2749.02 crores in the previous year. The reduction in turnover was due to less purchase of 2.00 lakh bales as

गॉठों की कम खरीद के कारण थी । फिर भी, निगम ने उपभोक्ता मिलों को गुणवत्तावाली कपास की सीधी आपूर्ति और ग्राहकों को बिक्री पूर्व और बिक्री के बाद अच्छी सेवा उपलब्ध कराते हुए, व्यावहारिक बिक्री नीति का अनुपालन जारी रखा।

वर्धित मूल्य

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निर्यातोन्मुख ईकाइयों तथा गुणवत्ता के प्रति जागरूक अन्य मिलों से संदूषण-मुक्त कपास की मांग को पूरा करने के लिए आपके निगम ने कुल खरीद का लगभग 80% गॉठें न्यूनतम संदूषण-मुक्त संसाधित की । मिलों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही और निगम, आधुनिक जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों में संसाधित कपास को प्रीमियम के साथ बेचने में सफल रहा।

विकासशील गतिविधियाँ

- कपास किसानों के बीच सघनित कपास खेती यानि संविदा खेती को प्रोत्साहित करने और लोकप्रिय बनाने के लिए तथा कपास किसानों और खरीददार मिलों/ग्राहकों को लाभ पहुँचाने के लिए आपके निगम ने कपास मौसम 2010-11 में सुविधाकर्ता के रूप में सघनित कपास खेती (संविदा खेती) का प्रोत्साहन आरंभ किया। कपास मौसम 2011-12 में निगम ने एक नोडल एजेन्सी के रूप में प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-II के अधीन उत्पादन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 2800 एफएलडी तथा कपास आयपीएम में 1 एफएलडी का संचालन किया है ।

वित्तीय परिणाम

- वित्तीय वर्ष 2011-12 में निगम को 179.89 करोड़ रूपये (कर के बाद) की मार्जिनल शुद्ध हानि हुई, जबकि वित्तीय वर्ष 2010-11 में निगम को 0.96 करोड़ रूपये (कर के बाद) की शुद्ध हानि हुई थी। यह हानि इस कारण से थी कि कपास मौसम 2010-11 में कपास क्षेत्र ने अभूतपूर्व मूल्य अस्थिरता देखी है। मौसम का पहला भाग (अक्तूबर 2010 से मार्च, 2011 तक) सभी प्रकार से उत्साहजनक था, जबकि दूसरे भाग में (अप्रैल, 2011 से सितंबर, 2011 तक) मांग में कमी आ गयी जिससे देशी और अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्यों में अभूतपूर्व गिरावट आयी । कई मिल खरीददार संविदा पूरी नहीं कर सके, जिससे ऐसे चूककर्ता मिल खरीददारों को विधिक नोटिस जारी करना पड़ा । ऐसे चूककर्ता मिल खरीददारों की न उठायी

compared to 13.18 lakh bales in previous year. However, the Corporation continued to pursue the policy of pragmatic sales, directly to consuming mills by supplying quality cotton and by providing better pre and post sales services to the customers.

Value Addition

- In order to meet the demand for contamination free cotton from EOUs and other quality conscious mills during the year under review, your Corporation had processed around 80% of the total procurement with least contamination. The response of the mills was positive and the Corporation was able to sell cotton processed in the modern G&P factories with premium.

Developmental Activities

- With a view to promote and popularize the concept of Integrated Cotton Cultivation i.e. Contract Farming amongst the farming community as also the benefits to cotton farmers and buyer mills/ultimate consumers, your Corporation took up Integrated Cotton Cultivation as a facilitator in cotton season 2010-11. As one of the Nodal agencies, in cotton season 2011-12, the Corporation had undertaken 2800 FLDs under production technology and 1 FLDs in IPM under MM-II of TMC.

Financial Results

- During the financial year 2011-12, the Corporation has incurred a marginal net loss of Rs.179.89 crores (after tax) as against Rs.0.96 crores (after tax) in the financial year 2010-11. The reason for loss has been due to the fact that cotton sector has seen unprecedented price volatility in the Cotton Season 2010-11. The first half (October 2010 to March 2011) of the season was all along encouraging, whereas, in the second half (April 2011 to September 2011), there was demand restriction, resulting in unprecedented downfall in the domestic and international cotton prices. Many of the mill buyers failed to perform the contracts, for which legal notices have been issued to such defaulting mill buyers. The unlifted bales of such defaulting mill buyers have been resold at their own risk and cost and arbitration cases are being initiated against them for

गयी गाँठों को उनके जोखिम और लागत पर पुनः बेचा गया तथा पुनः बिक्री पर हानि का दावा करने के लिए उनके विरूद्ध मध्यस्थता मामले भी दायर किये जा रहे हैं। तथापि, इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी, निगम ने लेखा मानक एएस -9 के प्रावधानों के अनुरूप "राजस्व मान्यता" को स्थगित किया, जो लक्ष्य संग्रह की उल्लेखनीय अनिश्चितता के कारण था और पुनः बिक्री में हुई हानि के लिए चूककर्ता खरीददारों के विरूद्ध किये गये दावों से संबंधित था । आगे बिक्री दरों में अभूतपूर्व गिरावट होने के कारण बिक्री प्राप्ति, निगम के पास रखे हुए स्टॉक के लिए उसकी लागत और मूल्य के अनुरूप नहीं हो पायी, जिसके फलस्वरूप 31.3.2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष में हानि हुई ।

निगमित सामाजिक दायित्व

- भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय और सामाजिक उद्यम (डीपीई) ने विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का संकल्प आरंभ किया है, जिसके द्वारा उनके शुद्ध लाभ में से कुछ भाग को लाभकारी गतिविधियों तक पहुँचाने और सार्वजनिक एवं व्यापारिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य किया गया है, ताकि प्रतिस्पर्धी लाभ लंबे समय तक बना रह सके । तद्नुसार आपके निगम ने सीएसआर के अधीन ग्राम अधिग्रहण कार्यक्रम परियोजना "एक ग्राम एक किस्म" का संकल्प तीन राज्यों में आरंभ करते हुए कार्यान्वित किया है, यानि महाराष्ट्र के दो गाँव (विदर्भ क्षेत्र), उड़ीसा में एक और तमिलनाडु में दो गाँव, जहाँ पहले के वर्षों में कपास की उत्पादकता कम है तथा जो संशोधित और नयी उत्पादन एवं पैकेज प्रथाओं से वंचित है । निगम ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए सीएसआर परियोजना हेतु 40.00 लाख रूपये निश्चित किए हैं । वित्तीय वर्ष 2010-11 में सीएसआर पर कुल 38.84 लाख रूपये खर्च हुए ।

निगमित शासन

- आपका निगम विश्वास करता है कि कंपनी को सफल बनाने के लिए, अपने सभी स्टेक होल्डर के लिए निगमित आचरण में विश्वीय मानदण्ड बनाए रखने हैं । आपकी कंपनी अच्छे शासन के लिए निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व के पहलुओं पर विश्वास रखती है। कंपनी का अंतिम ध्येय उच्च स्तर का शासन जारी

claiming loss on resale. However, in conformity with the provision of Accounting Standard AS-9 “Revenue recognition” issued by the Institute of Chartered Accountants of India and on prudent considerations, the Corporation defers revenue recognition, owing to significant uncertainty about its ultimate collection, in respect of claims lodged on the defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them. Further, due to unprecedented downfall in sale rates, sales realization could not match the cost and the value of closing stock lying with the Corporation has reduced, resulting in loss during the financial year ended 31.03.2012.

Corporate Social Responsibility

- The Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (DPE), has introduced the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) in various Central Public Sector Enterprises (CPSE) mandating to expend some portion of the net profit to extend beyond philanthropic activities to reach out the integration of social and business goals to secure sustainable competitive advantage in long term. Accordingly, your Corporation has implemented the project of “Village Adoption Programme” with “One village: One Variety” in three States i.e. two villages of Maharashtra (Vidharbha region), One Village in Orissa and Two villages in Tamil Nadu having lesser productivity in the earlier years and are deprived of improved and innovative cultivation and package practices. Your Corporation had earmarked Rs.40.00 lakhs for CSR projects for the FY 2011-12. The actual expenditure on FY 2010-11 is amounted to Rs.38.84 lakhs.

Corporate Governance

- Your Corporation believes that for a company to be successful, it must maintain global standards of corporate conduct towards all its stakeholders. Your Company believes that the principles of fairness, transparency and accountability are the corner stones for good governance. It is the Company’s endeavour to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark

रखना तथा उसी क्षेत्र की अच्छी शासित कंपनियों के साथ बेंचमार्क बनाना है।

भावी परिदृश्य

- भारत विगत वर्षों के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपास क्षेत्र में दूसरे बड़े कपास उत्पादक, उपभोक्ता तथा कपास के शुद्ध निर्यातक के रूप में भी मुख्य संचालक के रूप में उभरा है। कपास मौसम 2011-12 में देश में कपास का क्षेत्रफल लगभग 122.00 लाख हेक्टर के रिकार्ड स्तर तक पहुँच गया । तथापि आगामी कपास मौसम 2012-13 में कपास के क्षेत्रफल में लगभग 6% गिरावट आने की आशा है, जो पिछले मौसम की तुलना में कम मूल्यों की प्राप्ति के कारण अन्य प्रतियोगी उपजों में बदलने से होगा तथा देर से होनेवाली वर्षा के कारण होगा । वर्षा ऋतु के देर से होने और अपर्याप्त होने के कारण, विशेषतः उत्तरी क्षेत्रों में गुजरात में, देश में कपास उत्पादन कपास मौसम 2012-13 के दौरान लगभग 10% की गिरावट के साथ 310-315 लाख गॉठों की सीमा में होने की आशा है ।
- विश्व स्तर पर बीज रोपण के समय, मौसम आदि में औसत कपास मूल्यों के ऊँचा होने के कारण, कपास मौसम 2012-13 में कपास के अधीन क्षेत्र लगभग 7% की गिरावट के साथ 33.41 मिलियन हेक्टर होने की आशा है, जबकि 2011-12 में 35.93 मिलियन हेक्टर था । उपज में लगभग 2% की मामूली गिरावट के अनुमान के साथ वर्ष 2012-13 में विश्वीय कपास उत्पादन 24.86 मिलियन मे.टन आकलित किया गया है जबकि 2011-12 में यह 27.16 मिलियन मे.टन था (लगभग 8% की गिरावट)
- चीन द्वारा राष्ट्रीय संचय में कपास का बड़ा भंडार रोकने की संभावना के कारण आगामी कपास मौसम 2012-13 में, विश्वीय कपास व्यापार 18% की गिरावट के साथ 7.56 मिलियन टन्स होने की आशा है, जबकि पिछले वर्ष यह 9.23 मिलियन टन्स था।

भावी योजना

- यद्यपि बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अन्य कारकों के प्रवेश के फलस्वरूप देश की कपास अर्थ-व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ गयी है, तथापि, निगम विवेकशील व्यापार नीतियों के कारण आगामी वर्षों में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार है ।

itself with the best governed companies in the similar trade.

Future Outlook

- Over the years, India has emerged as a key player in the cotton sector at international level, as the second largest cotton producer, consumer as also a net exporter of cotton. In cotton season 2011-12, the cotton acreage in the country had reached a record level of around 122.00 lakh hectares. However, in the ensuing cotton season 2012-13, the acreage under cotton is likely to be reduced by around 6% due to switching over to other competing crops owing to receipt of less prices as compared to previous season as also due to delayed monsoon rains. Looking to the delayed and inadequate monsoon rains, especially in Northern States and Gujarat, the cotton production in the country in the ensuing cotton season 2012-13 is expected decline by around 10% i.e. in the range of 310 - 315 lakh bales.
- At world level, higher than average cotton prices at the planting time, weather etc., the world acreage under cotton in the ensuing cotton season 2012-13 is estimated to decline by around 7% to 33.41 million hectares as against 35.93 million hectares in 2011-12. Assuming small decrease in yield by around 2%, global cotton production in 2012-13 is projected at 24.86 million MT as against 27.16 million MT (decline by around 8%) in 2011-12.
- Since China is likely to hold large stocks of cotton inside and outside of its national reserve, world cotton trade in ensuing cotton season 2012-13 is expected to decline by 18% to 7.56 million tons as against 9.23 million tons in previous year.

Future Planning

- Although the competition in the cotton economy of the country has increased due to entry of multinational companies and other factors, the Corporation is fully prepared to face such competition in the coming years by adopting prudent business policies.

आभार

- मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए उपयोगी एवं बहुमूल्य सहयोग के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ ।
- मैं माननीय वस्त्र मंत्री, भारत सरकार, माननीय राज्य वस्त्र मंत्री, भारत सरकार, सचिव (वस्त्र), संयुक्त सचिव (वस्त्र) तथा वस्त्र मंत्रालय के अन्य अधिकारियों, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, कृषि मंत्रालय और वस्त्र आयुक्त एवं उनके अधिकारियों के प्रति भी उनके द्वारा दिए गए सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए भी आभारी हूँ । इसके अभाव में, आपका निगम समीक्षागत वर्ष के दौरान, पहले से निर्धारित प्रवृत्तियों और कार्य-निष्पादन को बनाये रखने में सफल नहीं हो सकता था ।
- समीक्षागत वर्ष के लिए निगम के लेखों की परीक्षा करते समय निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक, सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड, मुंबई द्वारा तथा सरकारी लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिए गए अमूल्य मार्गदर्शन के लिए भी, मैं उनका आभारी हूँ ।
- मैं, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, सहकारी स्पिनिंग मिलों तथा निजी क्षेत्र की विभिन्न मिलों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने वर्ष 2010-2011 के दौरान अपनी रूई की आवश्यकता निगम से पूरी की और इस प्रकार गुणवत्ता, मूल्य-प्रतिस्पर्धा और निगम द्वारा दी जानेवाली सेवाओं पर विश्वास बनाये रखा है। भारतीय वस्त्र उद्योग संगठन (सीआयटीअय), कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, केन्द्रीय भंडार निगम, राज्य भंडार निगम द्वारा निगम को दिए गए सहयोग के प्रति भी, मैं हार्दिक आभारी हूँ ।
- इस अवधि के दौरान निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिये गये समर्पण, निष्ठा और वचनबद्धता पूर्ण सेवा के लिए भी, मैं हार्दिक आभारी हूँ।

सधन्यवाद,

(बी.के.मिश्र)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 23 अगस्त, 2012

Acknowledgements

- I take this opportunity to express my deep appreciation for the useful and valuable support given by the members of the Board from time to time.
- I also wish to place on record my sincere gratitude for the guidance and cooperation extended by the Hon'ble Minister of Textiles, Government of India, Hon'ble State Minister of Textiles, Government of India, Secretary (Textiles), Joint Secretary (Textiles) and other officials of Ministry of Textiles, Officials of Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, the Textile Commissioner and his officials, but for which to maintain trends that were set earlier in the recent past with regard to the working of the Corporation, would not have been possible.
- I am also grateful for the valuable guidance by the Statutory Auditors, Member, Audit Board, Mumbai and officials of Government Audit in the course of their conducting the audit of accounts of the Corporation for the year under review.
- Sincere thanks are also due to the National Textile Corporation, Cooperative Spinning Mills and various mills in the private sector, who have covered their cotton requirements from the Corporation in cotton season 2011-12, thus, placing their faith in the quality, price competitiveness and services being rendered by the Corporation. Our sincere thanks are also due to the Confederation of Indian Textile Industries (CITI), Cotton Association of India (CAI), Central Warehousing Corporation, State Warehousing Corporations for the cooperation extended to the Corporation.
- I would also like to express my sincere and deep appreciation for the dedication, devotion and commitment with which the staff and officers of the Corporation have worked during the period.

Thanking you,

(B.K. MISHRA)
CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR

Place: Navi Mumbai
Date : 23rd August 2012

वर्ष 2011-12 के लिए निदेशक रिपोर्ट
DIRECTORS' REPORT FOR THE YEAR 2011-12

प्रिय शेयरधारक,

आपके निदेशकगण **31 मार्च, 2012** को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों के साथ आपके निगम के कार्य-संचालन पर **42 वीं वार्षिक रिपोर्ट** सहर्ष प्रस्तुत करते हैं, जो मंडल द्वारा अनुमोदित है तथा लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के साथ प्रमाणित है ।

1. कपास स्थिति

1.1 कपास मौसम 2011-12 (अक्तूबर, 11 से सितंबर,12) की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दिये अनुसार हैं :

(i) कपास मौसम (अक्तूबर,11 से सितंबर,12) का आरंभ 39.10 लाख गाँठों के अवशेष स्टॉक के साथ हुआ, जो मिल की 2 माह की खपत से भी कम है।

(ii) कपास सलाहकार मंडल (सीएबी) के अनुमान के अनुसार कपास मौसम 2011-12 के दौरान देश में कपास उत्पादन गत वर्ष की 339.00 लाख गॉठों की तुलना में 347.00 लाख गॉठों के रिकार्ड स्तर तक पहुँच गया है । इस वर्ष की कपास स्थिति के मुख्य लक्षण नीचे दिये अनुसार हैं:-

(क) सभी कपास उत्पादक राज्यों में नहर/ट्यूब वेल पानी उपलब्ध न होने के कारण तथा उत्तरी राज्यों में गेहूँ की देरी से कटाई होने के कारण और मध्यवर्ती राज्यों में वर्षा देरी से होने के कारण कपास की बुआई में लगभग 15-20 दिन का विलंब हुआ है । सभी कपास उत्पादक राज्यों में समग्र कृषि जलवायु स्थितियाँ अनुकूल थीं, तथापि पंजाब और हरियाणा में अत्याधिक वर्षा ने उपज को प्रभावित किया है और उच्च तापमान, शीत वर्षा और ओस की अनुपस्थिति के कारण मध्य और दक्षिण राज्यों में, विशेषतः उपज में नमी का दबाव रहा है।

(ख) गत वर्ष कपास मौसम 2010-11 में अच्छे मूल्यों की प्राप्ति ने कपास किसानों को कपास मौसम 2011-12 में अन्य प्रतियोगी उपजों से बदलते हुए कपास के अंतर्गत

Dear Shareholders,

Your Directors have immense pleasure in presenting the 42nd Annual Report on the working of your Corporation together with Annual Accounts for the year ended 31st March 2012, as approved by the Board of Directors and certified by the Auditors alongwith their report thereon.

1. COTTON SITUATION

1.1 The highlights of the cotton season 2011-12 (Oct-11 to Sept-12) are as under:

(i) The cotton season (Oct-11 to Sept-12) was commenced with a carry over stock of 39.10 lakh bales, which was even less than two month's mill consumption.

(ii) As per Cotton Advisory Board (CAB) estimates, the cotton production in the country in cotton season 2011- 12 has reached a record level at 347.00 lakh bales as against 339.00 lakh bales in previous season. The salient feature of this year's cotton scenario is as follows:

(a) Cotton sowings in all the cotton growing States was delayed by around 15-20 days due to absence of adequate canal/tube-well water availability and late harvesting of wheat in Northern States as also due to delayed monsoon rains in Central. States. Overall agro-climatic conditions at the time of sowing were favourable in all the cotton growing States. However, subsequent, extra rains had affected the crop in Punjab & Haryana and due high temperature, absence of winter rains and dews, the crop faced moisture stress, particularly in Central and Southern States.

(b) Receipt of good prices by the cotton farmers in previous 2010-11 cotton season enthused the cotton farmers to increase the acreage under cotton in cotton season 2011-12 by

क्षेत्र में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया है । वर्ष 2011-12 में कपास के अंतर्गत क्षेत्र में लगभग 9% की वृद्धि हुई है और वह पिछले वर्ष 111.42 लाख हेक्टर के विरूद्ध लगभग 122 लाख हेक्टर के रिकार्ड स्तर तक पहुँच गया है ।

(ग) कपास मौसम 2011-12 में उत्तरी अंचल में क्षेत्रफल में लगभग 25% की वृद्धि चावल, जौ, जवार, दालों आदि से बदलने के कारण हुई है और दो फसल गत वर्ष के 13.57 लाख हेक्टर के विरूद्ध 16.95 लाख हेक्टर हो गया है । क्षेत्र में यह वृद्धि राजस्थान में लगभग 58% (गत वर्ष के 3.35 लाख हेक्टर के विरूद्ध 5.30 लाख हेक्टर) और हरियाणा में लगभग 23% (गत वर्ष के 4.92 लाख हेक्टर के विरूद्ध 6.05 लाख हेक्टर) उल्लेखनीय है । पंजाब में क्षेत्रफल की वृद्धि गत वर्ष के 5.30 लाख हेक्टर के विरूद्ध 5.60 लाख हेक्टर तक बढ़कर 6% की वृद्धि दर्शाती है ।

(घ) गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के मध्य अंचल में कपास के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि मूंगफली, सोयाबीन, जवार आदि से बदलने के कारण हुई है, जो लगभग 8% हुई है । जो गत वर्ष में कपास क्षेत्रफल 72.15 लाख हेक्टर की तुलना में 78.24 लाख हेक्टर तक हो गया है । मध्य अंचल में क्षेत्रफल की वृद्धि गुजरात में लगभग 15% (26.33 लाख हेकटर के विरूद्ध 30.23 लाख हेकटर) और मध्य प्रदेश में लगभग 9% (गत वर्ष के 6.50 लाख हेक्टर के विरूद्ध 7.06 लाख हेक्टर) की वृद्धि उल्लेखनीय है ।

(ड) दक्षिण अंचल में भी समय पर वर्षा से गत वर्ष के 24.51 लाख हेक्टर के विरूद्ध क्षेत्रफल 3% बढ़कर 25.24 लाख हेक्टर पहुँच गया । क्षेत्रफल की यह वृद्धि आंध्र प्रदेश में गत वर्ष के 17.84 लाख हेक्टर के विरूद्ध लगभग 4% बढ़कर 18.54 लाख हेक्टर हो गयी ।

switching over from other competing crops. The acreage under cotton in 2011-12 has increased by around 9% and reached a record level of around 122 lakh hectares as against 111.42 lakh hectares in previous year.

(c) The increase in acreage in cotton season 2011-12 in Northern zone of around 25% has been due to switching over from paddy, maize, jawar, pulses etc. at 16.95 lakh hectares as against 13.57 lakh hectares in previous year. Increase in acreage is significant in Rajasthan by around 58% (5.30 lakh hectares as against 3.35 lakh hectares in previous year) and in Haryana by around 23% (6.05 lakh hectares as against 4.92 lakh hectares in previous year). The acreage increase in Punjab has been 6% to 5.60 lakh hectares as against 5.30 lakh hectares in previous year.

(d) The increase acreage under cotton in Central zone in the States of Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh has been due to switching over from groundnut, soyabean, Jawar etc., by around 8% at 78.24 lakh hectares as against 72.15 lakh hectares in previous year. The acreage increase in Central zone has been significant in Gujarat by around 15% (30.23 lakh hectares as against 26.33 lakh hectares) and in Madhya Pradesh by around 9% (7.06 lakh hectares as against 6.50 lakh hectares in previous year).

(e) In Southern zone, with timely monsoon rains, the acreage increase has been 3% to 25.24 lakh hectares as against 24.51 lakh hectares in previous year. The acreage increase has been significant in Andhra Pradesh by around 4% to 18.54 lakh hectares vis-à-vis 17.84 lakh hectares in previous year.

(च) देश में बी.टी.कपास के अधीन क्षेत्रफल वर्ष प्रति वर्ष लगातार बढ़ रहा है । कपास मौसम 2011-12 में बी.टी.बीज के अधीन क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल लगभग 122 लाख हेक्टर का 91% है जो गत वर्ष के 111.23 लाख हेक्टर में से 88% रहा है ।

(छ) देश में उत्कृष्ट लंबे और अतिरिक्त लंबे तंतु की कपास में 9 से 10 लाख गॉठों के समग्र उपभोग के विरूद्ध इस स्टेपल ग्रुप में देशी कपास उत्पादन लगभग 5 लाख गॉठों पर रूका हुआ है, जो मुख्यतः आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इस स्टेपल ग्रुप में घटे हुए क्षेत्रफल के कारण है । इसके कारण वस्त्रोद्योग मिलों ने इस श्रेणी की कपास का यू.एस.पीमा, ईजिप्शियन गिजा आदि से 6 लाख गॉठों की सीमा तक कपास का आयात किया है ।

ज) कपास के अंतर्गत बढ़े हुए क्षेत्रफल और बी.टी. बीजों के बढ़े हुए उपयोग के कारण उत्तरी राज्यों में कपास उत्पादन गत वर्ष की 45.60 लाख गॉठों की तुलना में 56.60 लाख गॉठों तक पहुँचकर लगभग 24% की उल्लेखनीय वृद्धि दिखाता है। राजस्थान में उत्पादन की वृद्धि 69% (गत वर्ष की 10.10 लाख गॉठों की तुलना में 17.10 लाख गॉठें) और हरियाणा में लगभग 18% की वृद्धि (गत वर्ष की 17.00 लाख गॉठों की तुलना में 20.00 लाख गॉठें) हुई है ।

शीत ऋतु की वर्षा और ओस न होने के कारण तथा इसके साथ ही बढ़े हुए उच्च तापमान ने मंध्य अंचल में, विशेषकर महाराष्ट्र में कपास उत्पादन को प्रभावित किया है । इसके फलस्वरूप महाराष्ट्र में कपास उत्पादन गत वर्ष की 87.75 लाख गाँठों की तुलना में 73.75 लाख गॉठें होकर लगभग 16% की गिरावट बताता है। तथापि जबकि गुजरात में कपास उत्पादन

(f) Acreage under BT cotton in the country increasing continuously year after year. In cotton season 2011-12, acreage under Bt cultivation has been 91% of the total acreage of around 122 lakh hectares as against 88% out of 111.23 lakh hectares last year.

(g) In superior long and extra long staple cottons, as against the overall consumption of around 9 to 10 lakh bales in the country, the domestic cotton production in this staple group remained stagnant at around 5 lakh bales, mainly due to reduced acreage in this staple group in Andhra Pradesh and Karnataka. This has led to imports of cotton in this category by the textile mills mainly for US Pima, Egyptian Giza etc. to the extent of 6 lakh bales.

(h) With increased acreage under cotton and increased usage of Bt seeds, the cotton production in the Northern States has increased significantly by around 24% to 56.60 lakh bales as against 45.60 lakh bales in previous year. The production increase is around 69% in Rajasthan (i.e. 17.10 lakh bales as against 10.10 lakh bales in previous year) and in Haryana by around 18% in Haryana (20.00 lakh bales as against 17.00 lakh bales in previous year).

Absence of winter rains and dews coupled with high temperature had affected the cotton production in Central zone, particularly in Maharashtra. As a result, cotton production in Maharashtra has declined by around 16% to 73.75 lakh bales as against 87.75 lakh bales in previous year. However, while the cotton production in Gujarat is expected to increase by

लगभग 13% बढ़ते हुए गत वर्ष की 106.20 लाख गॉठों के विरूद्ध 120 लाख गॉठें हो गया है, मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन का अनुमान गत वर्ष के समकक्ष है यानि 17.70 लाख गाँठें है।

दक्षिण अंचल में दूसरी बार वर्षा न होने के कारण, उच्च तापमान उसके फलस्वरूप नमी ने आंध्र प्रदेश में उपज को प्रभावित किया है, जिसके कारण आंध्र प्रदेश में कपास उत्पादन गत वर्ष की 59.50 लाख गाँठों की तुलना में 54.50 लाख गाँठें बताया गया है । तथापि कर्नाटक में बुआई तथा उगाई के समय कृषि जलवायु स्थितियाँ अनुकूल होने के कारण कपास उत्पादन गत वर्ष की 11.10 लाख गाँठों की तुलना में लगभग 9% बढ़कर 13.25 लाख गाँठें हो गया है ।

(i) कपास मौसम 2011-12 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्य देशी कपास मूल्यों से ऊँचे रहे हैं । रूपये के लगभग 19% कमज़ोर होने के साथ-साथ यू.एस. डॉलर के मज़बूत होने और चीनी सरकार के बड़ा संचय निर्माण करने के निर्णय के कारण देश से कपास निर्यात गत वर्ष की 78 लाख गाँठों की तुलना में 115 लाख गाँठों के रिकार्ड स्तर तक पहुँच गया है । रिकार्ड कपास निर्यात के पृष्ठपटल में देशी वस्त्रोद्योग मिलों को कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने दि. 5.3.2012 से देश से कपास निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है । इसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी दि.9.4.2012 को हुई बैठक में लंबित संविदाओं की पूर्ति के लिए कपास निर्यात को अनुमति दी है । तथापि वर्तमान में अधिसूचना सं.113(आरई-2010)/2009-14 दि.4.5.2012 द्वारा कपास निर्यात ओजीएल के अधीन है ।

around by around 13% to 120 lakh bales as against 106.20 lakh bales in previous year, cotton production in Madhya Pradesh is estimated to be at par with previous year level i.e. 17.70 lakh bales.

In Southern zone, absence of second spell, high temperature, resultant moisture had affected the yield in Andhra Pradesh due to which the cotton production in Andhra Pradesh has been placed at 54.50 lakh bales vis-à-vis 59.50 lakh bales in previous year. However in Karnataka, with favourable agro-climatic conditions during the sowing as also during growth period, the cotton production has increased by around 9% to 13.25 lakh bales as against 11.10 lakh bales in previous year.

(i) The international cotton prices in cotton season 2011-12 had been higher than the domestic cotton prices. With the weakening of Rupee by around 19% vis-à-vis US Dollar and the decision of Chinese Government to build up huge reserve, the cotton exports from the country had reached a record level of 115 lakh bales as against 78 lakh bales in previous year. In the backdrop of record cotton exports, with a view to ensure availability of cotton to the domestic textile mills, the Government of India had banned cotton exports from the country on 5-3-2012. Subsequently, the Group of Ministers (GoM) in their meeting held on 9-4-2012 has allowed cotton exports for fulfillment of pending contracts. However, at present vide notification No.113 (RE-2010)/2009-14 dated 4-5-2012, cotton exports are under OGL.

1.2 कपास मौसम 2011-12 के लिए भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 10% से 12% तक बढ़ाया है । मध्यम स्टैपल ग्रुप के लिए 2500/-रू. प्रति क्विंटल से 2800/-रू. प्रति क्विंटल तक और लंबे स्टैपल ग्रुप के लिए 3000/-रू. प्रति क्विंटल के विरूद्ध 3300/-रू. प्रति क्विंटल (एमएसपी) तक बढ़ाया गया है ।

1.3 चीन द्वारा संचय के पुनःनिर्माण के निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की अच्छी मांग थी । इसके फलस्वरूप मौसम के आरंभ से सभी कपास उत्पादक राज्यों में वर्तमान कपास मूल्य (सीड कॉटन) न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से ऊपर बने रहे । सीड कॉटन मूल्य पिछले मौसम की तुलना में खाद्य तेल के महंगे आयात और तिलहन के कमी के कारण ऊँचे बने रहे हैं । अभूतपूर्व आर्थिक परिवर्तन यानि, रूपये के मूल्यह्रास के साथ सीड के ऊँचे मूल्य ने सीड कॉटन (कपास) के मूल्य को मजबूती दी है जो मार्च, 2012 में 15-20 दिन की अल्प अवधि को छोड़कर सभी कपास उत्पादक राज्यों में एमसीपी से ऊँचे बने रहे, जब आंध्र प्रदेश के सुदूरवर्ती केंद्रों में कपास के प्रचलित मूल्य निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की प्रतिक्रिया में न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर पर बने रहे ।

1.4 समीक्षाधीन वर्ष के पहले भाग में यानि अप्रैल से सितंबर, 2011 में मालसूची जमा होने के साथ यार्न की मांग देशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर घटी रही जिसके साथ ही कच्चे माल के ऊँचे मूल्यों, कताई कर्ताओं द्वारा ऋण पाने में कठिनाई, कॉटन यार्न के गिरते मूल्य और केमिकल फाईबर से प्रतिस्पर्धा ने भी प्रभाव डाला । इसके परिणामस्वरूप मांग में कमी के साथ और तैयार माल के जमा होने, कताई मिलों की उपयोग क्षमता उनकी उपयोग क्षमता के एक तिहाई पर गिर गयी जिसके द्वारा कताई कर्ताओं के लाभ मार्जिन में आगे और गिरावट आयी । तथापि गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने और कपास एवं कपास यार्न के मूल्यों को स्थिर करने में सहायता देने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2011 और 1 अक्तूबर, 2010 से पूर्वव्यापी प्रभाव से कपास यार्न और कपास पर डीईपीबी लाभ को पुनः बहाल किया तथा कपास निर्यात से कैप हटा दिया है। फिर भी, कताई कर्ताओं

1.2 For cotton season 2011-12, the Government of India has increased the Minimum Support Prices (MSPs) by 10% to 12%. In medium staple group, the MSP has been increased to Rs.2800/- per quintal from Rs.2500/- per quintal and in the case of long staple group, the same has been increased to Rs.3300/- per quintal as against Rs.3000/- per quintal.

1.3 With the decision of rebuilding of reserve by China, there was good demand for cotton in the international market. As a result, since beginning of the season, the prevailing kapas (seed cotton) prices had been ruling above the MSP level in all the cotton growing States. The seed cotton prices had also been higher vis-à-vis earlier season due to shortage of oilseed can costlier imports of edible oil. The unforeseen economic change i.e. devaluation of Rupee coupled with higher seed prices contributed to firmness in the prices of seed cotton (kapas), which ruled higher than the MSP level in all the cotton growing States, except for a short period of 15-20 days in March 2012, when the prevailing kapas prices in remote centres of Andhra Pradesh had ruled at MSP level in reaction to the imposition of ban on exports.

1.4 In the first half of the year under review i.e. April to September 2011, with piling up of inventory, the demand for yarn both domestically and internationally had been subdued faced with high priced raw materials, difficulties to access credit by the spinners, declining prices of cotton yarn and competition from chemical fibres. Subsequently, with slow down in demand and large finished goods inventory, capacity utilization by spinning mills dropped down to one-third of optimal utilization, thereby further declining the operating profit margin of spinners. However, with a view to arrest downward pressure and help stabilize the prices of cotton and cotton yarn, the Government of India reinstated DEPB benefits on export of cotton yarn and cotton with retrospective effect from 1st April 2011 and 1st October 2010 respectively and removed of cap on cotton exports. Still the operating profitability

के लाभ परिचालन पर दबाव बना रहा, जिसने कपास की देशी और अंतर्राष्ट्रीय समग्र मांग को प्रभावित किया है और मिलों ने लीन मौसम की आवश्यकता को जमा करने के स्थान पर तत्काल आवश्यकता के लिए कपास खरीदना उचित समझा है ।

2. वित्तीय परिणाम

2.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने पिछले वर्ष के 2749.02 करोड़ रू. के टर्न-ओवर के विरूद्ध 1797.29 करोड़ रू. का टर्न-ओवर प्राप्त किया है । टर्न-ओवर में घटौती का कारण गत वर्ष की 13.80 लाख गॉठों की तुलना में 1.99 लाख गाँठों की घटी हुई खरीद है ।

2.2 समीक्षागत वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय परिणामों की मुख्य मुख्य बातें नीचे दिये अनुसार हैं :-

	2011-12	2010-11
देशी बिक्री (लाख गांठों में)	8.02	12.68
निर्यात बिक्री (लाख गांठों में)	0.19	0.17
टर्न-ओवर (करोड़ रूपयों में)	1797.29	2749.02
कर के बाद लाभ/(हानि) (करोड़ रूपयों में)	(179.89)	(0.96)

कपास मौसम 2010-11 में कपास क्षेत्र ने अभूतपूर्व मूल्य स्थिरता का सामना किया है । मौसम के पहले भाग में (अक्तूबर, 2010 से मार्च, 2011तक) स्थितियाँ उत्साहजनक थी, जबकि दूसरे भाग में (अप्रैल, 2011 से सितंबर, 2011 तक) मांग में प्रतिबंध था, जिसके फलस्वरूप देशी और अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्यों में अभूतपूर्व गिरावट आयी । कई मिल खरीददार संविदा पूरी करने में असफल रहे जिसके लिए ऐसे चूककर्ता मिल खरीददारों को विधिक नोटिस जारी किया गया है । ऐसे चूककर्ता मिल खरीददारों की न उठायी गयी गाँठों की उनके जोखिम और लागत पर पुनः बिक्री की गयी है और पुनः बिक्री पर हानि का दावा करने के लिए उनके विरूद्ध मध्यस्थता मामला आरंभ किये जा रहे हैं । तथापि, इंन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेन्टस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक, एएस-9 के प्रावधानों के अनुरूप जारी किया गया है । राजस्व मान्यता को निगम ने अस्थगित

of the spinners remained under pressure which had affected the overall demand for cotton domestically & internationally and the mills preferred to purchase cotton to meet immediate requirements rather than building lean season requirement.

2. FINANCIAL RESULTS:

2.1 During the year under review, your Corporation could achieve a turnover of Rs.1797.29 crores as against the previous year's turnover of Rs. 2749.02 crores. The reduction in turnover was due to less purchase of 1.99 lakh bales as compared to 13.18 lakh bales of previous year.

2.2. The highlights of the financial results during the financial year under review were as follows:

	2011-12	2010-11
Domestic sales (in lakh bales)	8.02	12.68
Export sales (in lakh bales)	0.19	0.17
Turnover (in Rs. crores)	1797.29	2749.02
Profit / (Loss) after tax (in Rs. crores)	(179.89)	(0.96)

The cotton sector has seen unprecedented price volatility in the Cotton Season 2010-11. The first half (October 2010 to March 2011) of the season was all along encouraging, whereas, in the second half (April 2011 to September 2011), there was demand restriction, resulting in unprecedented downfall in the domestic and international cotton prices. Many of the mill buyers failed to perform the contracts, for which legal notices have been issued to such defaulting mill buyers. The unlifted bales of such defaulting mill buyers have been resold at their own risk and cost and arbitration cases are being initiated against them for claiming loss on resale. However, in conformity with the provision of Accounting Standard AS-9 "Revenue recognition" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and on prudent considerations, the Corporation

किया है जो चूककर्ता खरीददारों पर दावों के संबंध में अंततः वसूली के बारे में उल्लेखनीय अनिश्चितता के कारण है जो उन्हें आरंभ में बेची गयी मात्रा की पुनः ब्रिक्री में से होने वाली हानि के लिए है । आगे बिक्री दरों में अभूतपूर्व गिरावट के कारण बिक्री प्राप्ति लागत के अनुकूल नहीं हो पायी और निगम के पास पड़े हुए अंतिम स्टॉक का मूल्य घट गया है जिसके फलस्वरूप 31.3.2012 को समाप्त वर्ष के लिए हानि हुई है ।

2.3 रिपोर्ट के अधीन वर्ष में आपके निगम का अल्पावधि ऋण सीएआरई ए1+(A one plus) रहा है यानि 4000 करोड़ रू. की अल्प अवधि बैंक उधार के लिए इस श्रेणी में दी गयी उच्चतम क्रेडिट रेटिंग है, जो अल्पावधि ऋण देयता पर समय पर भुगतान के लिए दृढ़ क्षमता दिखाती है और न्यूनतम ऋण जोखिम रखती है ।

2.4 लाभांश :

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए किसी प्रकार के लाभांश की सिफारिश नहीं की है ।

3. वर्ष 2011-12 में कपास उत्पादन तथा उपभोग :

कपास सलाहकार मंडल (सीएबी) द्वारा उनकी 18 अप्रैल, 2012 की बैठक में अनुमानित 347 लाख गॉठों के कपास उत्पादन तथा उसके साथ 39.10 लाख गॉठों के अवशेष स्टॉक और 6.00 लाख गॉठों के अनुमानित आयात से कपास मौसम 2011-12 में कपास उपलब्धता का अनुमान सीएबी द्वारा बनाये गये कपास तुलन पत्र के अनुसार 392.00 लाख गाँठें रहा है, जबकि पिछले वर्ष यह 384.50 लाख गाँठे था ।

देश में कुल कपास उपभोग (मिल, छोटी मिल तथा मिलेतर उपभोग शामिल है) का अनुमान 252.00 लाख गॉठें लगाया गया है और 115.00 लाख गाँठों के अनुमानित कपास निर्यात के साथ कपास मौसम 2011-12 में कपास की कुल विलुप्तता 367.00 लाख गॉठें बतायी गयी है, जबकि पिछले वर्ष के 345.40 लाख गाँठें थी ।

इस प्रकार कपास मौसम 2011-12 के अंत में, यानि 30 सितंबर, 2012 को अवशेष स्टॉक का अनुमान 25.10 लाख गॉठे लगाया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 39.10 लाख गाँठें था । कपास सलाहकार मंडल ने अपनी 18 अप्रैल, 2012 को आयोजित बैठक में निम्नानुसार तुलन-पत्र प्रस्तुत किया है:-

defers revenue recognition, owing to significant uncertainty about its ultimate collection, in respect of claims lodged on the defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them. Further, due to unprecedented downfall in sale rates, sales realization could not match the cost and the value of closing stock lying with the Corporation has reduced, resulting in loss during the financial year ended 31.03.2012.

2.3 During the year under report, your Corporation's short term debt is rated CARE A1+[A One Plus] i.e. the highest credit rating assigned in this category for short term bank borrowings of Rs. 4000 crores which signifies strong capacity for timely payment of short term debt obligation and carry lowest credit risk.

2.4 DIVIDEND:

The Board of Directors have not recommended any dividend for the Financial Year 2011-12.

3. COTTON PRODUCTION AND CONSUMPTION DURING 2011-12:

With cotton production of 347 lakh bales estimated by Cotton Advisory Board (CAB) in its meeting held on 18th April 2012 added with carryover stock of 39.10 lakh bales and estimated imports of 6.00 lakh bales, the total availability in cotton season 2011-12, as per cotton balance sheet drawn by CAB has been estimated at 392.00 lakh bales as against 384.50 lakh bales in previous year.

With total estimated cotton consumption in the country (including mill, small mill and non-mill consumption) at 252.00 lakh bales and estimated exports of 115.00 lakh bales, total disappearance in cotton season 2011-12 has been estimated at 367.00 lakh bales as against 345.40 lakh bales in previous year.

Thus, the carry over stock, as at the end of the cotton season 2011-12 i.e.30th September 2012, has been estimated at 25.10 lakh bales as against 39.10 lakh bales in previous year. The cotton balance sheet as drawn by CAB in its meeting held on 18th April 2012 is as follows:

मात्रा लाख गॉठों में - 170 कि.ग्रा.प्रति

	2011-12	2010-11
आपूर्ति		
आरंभिक स्टॉक	39.10	40.50
कपास फसल	347.00	339.00
आयात	6.00	5.00
कुल उपलब्धता	**392.10**	**384.50**
मांग		
मिल उपभोग	211.00	220.70
छोटी मिल उपभोग	21.00	24.70
मिलेतर उपभोग	20.00	22.00
कुल उपभोग	**252.00**	**267.40**
निर्यात	115.00	78.00
कुल विलुप्तता	367.00	345.40
आगे लाया गया	**25.10**	**39.10**
स्रोतः कपास सलाहकार मंडल		

Quantity in lakh bales of 170 kgs

	2011-12	2010-11
SUPPLY		
Opening stock	39.10	40.50
Cotton crop	347.00	339.00
Imports	6.00	5.00
Total availability	**392.10**	**384.50**
DEMAND		
Mill consumption	211.00	220.70
Small Mill consumption	21.00	24.70
Non-Mill consumption	20.00	22.00
Total consumption	**252.00**	**267.40**
Exports	115.00	78.00
TOTAL DISAPPEARANCE	367.00	345.40
CARRY FORWARD	**25.10**	**39.10**
Source: Cotton Advisory Board		

4. देशी मूल्य प्रवृत्ति :

कपास, यार्न और वस्त्रोद्योग उत्पाद की घटी हुई मांग के कारण कपास मौसम 2011-12 में कपास के आरंभिक मूल्य गत वर्ष के आरंभिक मूल्यों से थोड़ा ही ऊपर थे । मौसम के आरंभिक भाग में मिलों से और निर्यातकों से मजबूत मांग ने मूल्यों को भड़काया । जनवरी, 2012 में मूल्यों के गिरने के साथ चढ़ाई की यह प्रवृत्ति प्रतिकूल हो गयी । तथापि यह तेजी अल्पावधि की थी और कपास मूल्य उसके बाद के महीनों में घटे हुए स्तर पर बने रहे क्योंकि देशी और निर्यातकों दोनों से मांग बहुत कम थी । मिलें कच्चे माल की मालसूची जमा करने की इच्छुक नहीं थी । महत्वपूर्ण किस्मों के लिए कपास रूई मूल्य की गति नीचे दिये अनुसार है :-

4. DOMESTIC PRICE TREND :

In the backdrop of sluggish demand for cotton, yarn and textile products, the opening cotton prices in the cotton season 2011-12 had been marginally higher than the opening prices of previous year. Strong demand both from mills as well as exporters fuelled the price rise during the early part of the season. The upward trend was reversed with prices bouncing back in January 2012. This spurt was, however, short-lived and the cotton prices sought lower level in the subsequent months as demand from both domestic mills as well as exporters was on wane. Mills were not keen on building up of raw material inventory. The movement of cotton lint prices for important varieties are as under:

(मूल्य-रू.प्रति कैंडी स्पॉट / Prices in Rs.per candy spot)

दिनांक Date	जे-34 J-34	एच-4 H-4	एस-6 S-6	बीबी BB	डीसीएच-32 DCH-32
1-10-2011	33900	35500	38000	39000	49500
1-11-2011	32500	36300	39500	39400	49000
1-12-2011	31000	34000	35500	35400	44000
1-01-2012	31300	33500	35300	35500	42500
1-02-2012	33300	35000	36300	36200	48500
1-03-2012	30600	32900	34400	34800	47000
1-04-2012	31600	33700	35000	35300	45500
1-05-2012	31100	33600	34900	35800	46000
1-06-2012	30300	32600	32800	35100	47000
1-07-2012	32700	33500	34500	37000	50000

स्रोतः कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई / Source: Cotton Association of India, Mumbai

5. निगम का कार्य-कलाप :

5.1 भारत सरकार द्वारा अक्तूबर 1986 में जारी किया गया नीति मार्गदर्शन आपके निगम की खरीद नीति को नियंत्रित करता रहा और इसकी भूमिका पिछले वर्ष की तरह जारी रही यानि,

- जब कभी कपास के मूल्य सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य को छूने लगें, तब किसी मात्रात्मक सीमा के बिना समर्थन मूल्य पर कार्य करना ।
- भारतीय कपास निगम के अपने स्वयं के जोखिम पर वाणिज्यिक खरीद कार्य करना ।
- निर्यात वचनबद्धता को पूरा करने के लिए खरीद कार्य करना ।

5.2 जब कभी कपास के प्रचलित मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर तक पहुँच जाते हैं, तब आपका निगम भारत सरकार से प्राप्त निदेशों के अनुसार कपास उत्पादकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की संपूर्ण मात्रा की खरीद के लिए बाजार में प्रवेश करता है । भारत सरकार ने कपास मौसम 2011-12 के लिए पिछले कपास मौसम 2010-11 में निश्चित किये

5. OPERATIONS OF THE CORPORATION:

5.1 The policy guidelines issued by the Government of India in October 1986 continued to govern the purchase policy of your Corporation and its role continued to be the same as reported last year viz.,

- To undertake price support operations whenever the market prices of kapas touch the support prices announced by the Government of India without any quantitative limit:
- To undertake commercial operations, only at CCI's own risk and;
- To purchase cotton to fulfill export commitments.

5.2 As and when the prevailing kapas prices touch the MSP level, your Corporation, as per the directives from the Government of India, enters the market to buy entire quantity of kapas offered to it by the cotton growers at Minimum Support Prices (MSPs). Government of India had increased the MSPs by 10 to 12% for the cotton season 2011-12

गये न्यूनतम समर्थन मूल्य से 10 से 12% बढ़ा दिया है । देश में लगातार 7वें वर्ष में अधिक कपास उत्पादन की आशा में आपके निगम ने भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य परिचालन के लिए जब कभी कपास के वर्तमान मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर तक पहुँच जाते हैं, 300 खरीद केंद्रों के नेट-वर्क द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य करने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया है ।

5.3 तथापि, कपास मौसम 2011-12 में चूंकि सभी कपास उत्पादक राज्यों में सभी किस्मों में कपास के प्रचलित मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से बहुत ऊपर बने रहे । तथापि मार्च, 2012 के पहले सप्ताह में कपास मूल्य 20-22 दिनों के लिए गिरावट की प्रवृत्ति में आ गये और सीमित क्षेत्र में सीमित अवधि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर तक पहुँच गये । इसलिए भारतीय कपास निगम ने भारत सरकार की नोडल एजेन्सी के रूप में आंध्र प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य किया और कपास मौसम 2011-12 में न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन के अधीन 7600 गाँठें खरीदी है ।

आगे वर्ष 2011-12 में न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन की असंभाव्यता को देखते हुए आपके निगम ने नियमित मिल खरीददारों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वाणिज्यिक खरीद कार्य आरंभ किया है । निगम ने वाणिज्यिक खरीद कार्य के अंतर्गत 1.91 लाख गाँठों के समकक्ष 881657 क्विंटल कपास खरीदी है ।

5.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने अपने स्टॉक की परिसमाप्ति के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण का अनुपालन जारी रखा, जिससे स्टॉक के परिसमापन में सहायता मिली है । वित्तीय वर्ष के दौरान आपके निगम का खंडवार ब्रिक्री कार्य-निष्पादन नीचे दिये अनुसार हैं:-

as were fixed for the cotton season 2010-11. In the wake of expectations of higher cotton production in the country for the seventh consecutive year, your Corporation, as the nodal agency of the Government of India for MSP operations had fully geared up itself for undertaking MSP operations through a network of around 300 procurement centres in the event of prevailing kapas prices touching the MSP level.

5.3 However, in cotton season 2011-12, since the prevailing kapas prices in all the cotton growing states in all the varieties were ruling well above the MSP level. However, during the first of week of March 2012 the kapas prices observed a downward trend for 20-22 days and had touched MSP level for a limited period in limited area. Thus, CCI being a nodal agency of the Government of India carried out MSP operations in the remote areas of Andhra Pradesh and had procured 7600 bales under MSP operations in the cotton season 2011-12.

Further, looking to the impossibility of MSP operations in 2011-12, your Corporation had started commercial operations to cater the needs of its regular mill buyers. The Corporation has purchased around 881657 quintal of kapas equivalent to 1.91 lakh bales under commercial operations.

5.4 During the year under review, your Corporation continued to pursue the pragmatic approach to liquidate the stocks, which has helped in liquidating the stocks. The segment-wise sales performance of your Corporation during the financial year was as follows:-

				मात्रा लाख गाँठों में
	2011-12	कुल बिक्री पर प्रतिशत	2010-11	कुल बिक्री पर प्रतिशत
एनटीसी	0.85	10.60	1.15	9.07
एसटीसी /को-आप.	0.17	2.12	0.59	4.65
निजी	7.00	87.28	10.94	86.28
कुल	**8.02**	**100.00**	**12.67**	**100.00**

5.5 कपास मौसम 2011-12 के आरंभ से भारत सरकार ने कपास निर्यात को ओजीएल के अधीन रखा है । चीनी सरकार के अपने संचय के पुर्नःगठन के निर्णय से भारतीय कपास के लिए पडोसी देशों से विशेषतः चीन से मांग रही है । इसके फलस्वरूप फरवरी, 2012 के अंत तक देश से लगभग 115 लाख गाँठों के निर्यात का पंजीकरण किया गया । अतः देशी वस्त्रोद्योग मिलों को कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने दि.5.3.2012 की अधिसूचना द्वारा देश से कपास निर्यात पर प्रतिबंध लगाते हुए अस्थायी कदम उठाया है । तथापि कपास किसानों के हितों को देखते हुए सरकार ने अधिसूचना सं. 106 दि.12.3.2012 द्वारा कपास निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया है ।

आगे, अधिसूचना सं.114 दि.4.5.2012 द्वारा भारत सरकार ने आपके निगम को 2011-12 के दौरान निर्यात की अनुमति दी है । तद्नुसार आपके निगम ने एस-6 किस्म की 18000 कपास गाँठों के लिए दि.5.5.2012 को विश्वीय निविदा जारी की थी । विदेशी शिपर्स से प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में तेज. गिरावट के कारण बहुत कम रही, यूरोप में मंदी और ग्रीक में उथल-पुथल, यूएसए के कपास उत्पादक क्षेत्रों में वर्षा से कपास उपज की संभावना में सुधार ने प्रभाव डाला है । तथापि आपके निगम ने दैनिक आधार पर वेबसाईट पर निर्यात कोट्स के प्रदर्शन द्वारा तथा बंगला देश प्राधिकारियों के साथ निर्यात संभावनाएँ खोजने के लिए व्यापारिक बातचीत द्वारा निर्यात प्रोत्साहित करने का प्रयास जारी रखे।

				Quantity in lakh bales
	2011-12	% to total sales	2010-11	% to total sales
NTC	0.85	10.60	1.15	9.07
STC/COOP	0.17	2.12	0.59	4.65
PRIVATE	7.00	87.28	10.94	86.28
TOTAL	**8.02**	**100.00**	**12.67**	**100.00**

5.5 For cotton season 2011-12, since beginning, the Government of India had placed cotton exports under OGL. With the decision of Chinese Government to rebuild its reserve, there had been demand for Indian cotton from neighbouring countries especially China. As a result, till end-February 2012, almost 115 lakh bales had been registered to exports from the country. Hence, with a view to ensure availability of cotton to domestic textile industry vide Notification dated 5-3-2012, the Government of India had taken temporary measures by imposing ban on cotton exports from the country. However, looking to the interests of cotton farmers, the Government had lifted ban on cotton exports vide Notification No.106 dated 12-3-2012.

Further, vide Notification No.114 dated 4-5-2012, the Government of India had allowed your Corporation to export cotton during 2011-12. Accordingly, your Corporation had floated a global tender on 5-5-2012 for 18000 cotton bales of S-6 variety. The response from the overseas shippers had been bleak on account of sharp decline in international prices; slow down in Europe and turmoil in Greek, rains in cotton growing areas of USA improving prospect of cotton crop. However, your Corporation had continued efforts to boost exports by displaying export quotes on website on daily basis, besides holding trade talks with Bangla Desh authorities to explore export possibilities.

6. अंतर्राष्ट्रीय कपास स्थिति :

6.1 पिछले कपास मौसम यानि 2010-11 में अन्य प्रतियोगी उपजों की तुलना में कपास मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए वर्ष 2011-12 में विश्व कपास क्षेत्रफल 8% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ गत वर्ष के 33.35 मिलियन हेक्टर की तुलना में 35.95 मिलियन हेक्टर तक पहुँच गया है । कपास के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वर्तमान कपास मौसम 2011-12 में विश्व कपास उत्पादन 8% वृद्धि द्वारा वर्ष 2010-11 में 25.10 मिलियन टन्स की तुलना में 27.10 मिलियन टन्स पर पहुँच गया है । वर्ष 2011 और 2012 में विश्वीय आर्थिक उन्नति में अनुमानित मंदी द्वारा वस्त्रोद्योग उत्पाद के कपास उपभोग और कपास फाईबर प्रभावित होने की आशा है । इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 में विश्वीय कपास मिल उपभोग लगभग 6% की गिरावट के साथ वर्ष 2010-11 में 24.48 मिलियन टन्स के विरूद्ध 23.11 मिलियन टन्स तक पहुँचने की आशा है । विश्वीय उत्पादन के विश्वीय उपभोग से अधिक बढ़ने के साथ विश्वीय स्टॉक गत वर्ष के 9.31 मिलियन टन्स के विरूद्ध वर्ष 2011-12 में 13.26 मिलियन टन्स तक बढ़ने की आशा है । अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आयसीएसी) द्वारा बनाये गये कपास तुलन पत्र के पिछले 3 वर्ष के ब्यौरे नीचे दिये अनुसार हैं :-

			मेट्रिक टन में
	2009-10	**2010-11**	**2011-12**
विश्व का आरंभिक स्टॉक	11.92	8.69	9.31
विश्व उत्पादन	22.17	25.10	27.10
विश्व उपभोग	25.34	24.48	23.11
विश्व निर्यात	7.80	7.62	8.74
विश्व आयात	7.87	7.67	8.70
विश्व का अंतिम स्टॉक	8.69	9.31	13.26
स्रोतः आयसीएसी (कॉटन दिस मन्थ, 1, जून 2012)			

6.2 अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्तिः

विश्वीय आर्थिक स्थिति की बढ़ती अनिश्चितता और यूरो जोन के लागतान बढ़ते संकट से अधिकांश

6. INTERNATIONAL COTTON SITUATION:

6.1 After viewing significant rise in cotton prices as compared to other competing crops in previous cotton season i.e 2010-11, the world cotton acreage in 2011-12 has increased significantly by 8% to 35.95 million hectares as against 33.35 million hectares in the previous year. With increased acreage under cotton, world cotton production in current cotton season 2011-12 is expected to increase by 8% to 27.10 million tons as against 25.10 million tons in 2010-11. The projected slowdown in global economic growth in 2011 and 2012 is expected to affect the cotton consumption of textile products and therefore demand for cotton fibre. As a result, the global cotton mill use in 2011-12 is expected to decline by around 6% to 23.11 million tons as against 24.48 million tons in 2010-11. With global production exceeding global consumption, global stocks are estimated to increase at 13.26 million tons in 2011-12 as against 9.31 million tons in the previous year. The details of cotton balance sheet, as drawn by the International Cotton Advisory Committee (ICAC) for the last three years are as under:-

			In million metric tons
	2009-10	**2010-11**	**2011-12**
World beginning stocks	11.92	8.69	9.31
World production	22.17	25.10	27.10
World consumption	25.34	24.48	23.11
World exports	7.80	7.62	8.74
World imports	7.87	7.67	8.70
World ending stocks	8.69	9.31	13.26
Source: ICAC (Cotton This Month, 1st June 2012)			

6.2 International price trend:

With increasing uncertainty of the global economic health and the Euro zone woes

पण्य मूल्यों में तेजी से गिरावट आयी, जिसमें कपास भी एक थी । **कॉटलुक ए** सूचकांक का आरंभिक मूल्य, जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का मापक है, कपास मौसम 2011-12 के लिए 1 अगस्त, 2011 को 113.80 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी था, जो वर्ष 2010-11 के आरंभिक मूल्य पर 32% की वृद्धि दिखाता है । तथापि अक्तूबर, 2011 के प्रथम सप्ताह से कॉटलुक मूल्य में गिरावट की प्रवृत्ति आयी और दिसंबर, 2011 के मध्य तक कॉटलुक सूचकांक लगभग 19% गिरकर 92.10 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी पहुँच गया । तथापि मांग में उल्लेखनीय मंदी के कारण और ऋण प्राप्ति में समस्याओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्यों में गिरावट आरंभ हो गयी । वर्तमान में 25 मई, 2012 को कॉटलुक ए सूचकांक 83.30 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी पर बना हुआ है, जो पिछले वर्ष की अनुरूप अवधि में कॉटलुक ए सूचकांक की तुलना में लगभग 50% कम है । 3 वर्ष के लिए कॉटलुक ए इंन्डेक्स का माह-वार औसत नीचे दिये अनुसार हैं :-

			यूएस सेन्टस् प्रति एलबी में
माह	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**
अगस्त	64.14	90.35	114.10
सितंबर	63.99	104.73	116.90
अक्तूबर	66.82	126.55	110.61
नवंबर	71.78	155.47	104.75
दिसंबर	76.78	168.22	95.45
जनवरी	77.39	178.93	101.11
फरवरी	80.05	213.18	100.75
मार्च	85.80	229.37	99.50
अप्रैल	88.08	216.62	100.10
मई	90.07	165.52	88.79
जून	93.04	167.16	82.18
जुलाई			
वर्ष औसत	**77.99**	**165.13**	**101.29**

continuing to enlarge and expand, most commodities prices fell sharply with cotton being no exception. The **Cotlook A** index opening price, a measure for international prices, for cotton season 2011-12 on 1st August 2011 was 113.80 US C/lb which was an increase by 32% over the opening price of 2010-11. However, since first week of October 2011, there was declining trend in the Cotlook prices and by mid-December 2011, the Cotlook index dropped down by around 19% to 92.10 US Cents per lb. However, due to significant slowing in demand and also due to problems of credit access, the international cotton prices have started declining. At present, as on 25th May 2012, the Cotlook A index has been ruling at 83.30 US C/lb, which is lower by around 50% against the Cotlook A Index in corresponding period last year. The details of month-wise average Cotlook A Index for three years is given as follows:

			In US Cents/lb
Month	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**
August	64.14	90.35	114.10
September	63.99	104.73	116.90
October	66.82	126.55	110.61
November	71.78	155.47	104.75
December	76.78	168.22	95.45
January	77.39	178.93	101.11
February	80.05	213.18	100.75
March	85.80	229.37	99.50
April	88.08	216.62	100.10
May	90.07	165.52	88.79
June	93.04	167.16	82.18
July			
Year Avg	**77.99**	**165.13**	**101.29**

7. संदूषण-मुक्त कपास का संसाधन

आलोच्य वर्ष के दौरान निर्यातोन्मुख इकाईयों तथा गुणवत्ता के प्रति जागरूक मिलों से संदूषण मुक्त कपास की मांग पूरी करने के लिए आपके निगम ने पिछले वर्ष की उपलब्धि के विरूद्ध कुल खरीद का लगभग 88% न्यूनतम संदूषण के साथ संसाधित किया है । मिलों से प्रतिक्रिया सकारात्मक रही और निगम आधुनिक जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों में संसाधित कपास, प्रीमियम के साथ बेचने में सफल रहा है । आपका निगम आगामी वर्षों में अपने ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसे जारी रखने और मात्रा बढ़ाने का प्रस्ताव करता है ।

8. भंडारणगृह परिसर

आपके निगम के पास निर्यात प्रयोजन के लिए गॉठों के भंडारण हेतु कलंबोली में निर्मित एक भंडारण गृह परिसर है। वर्ष के दौरान निगम द्वारा कपास के निर्यात की संभावना बहुत कम देखते हुए एक गोदाम की भंडारण क्षमता को, जिसमें दो कंपार्टमेन्ट है, निर्यात प्रयोजन के लिए अभिचिन्हित कर दिया है । जबकि शेष क्षमता प्रतिस्पर्धी दरों पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए लीज पर दी गयी है, रेलवे स्लाईडिंग दीर्घावधि लीज पर एक पार्टी को लीज किराया प्राप्ति के लिए दी गयी है । आलोच्य वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 5.00 करोड़ रू. की सीमा तक राजस्व अर्जित किया है, जबकि पिछले वर्ष यह 6.10 करोड़ रू. का राजस्व था।

9. विकासात्मक गतिविधियाँ

जैसा कि आप जानते हैं, वृद्धित कपास उत्पादन, उत्पादकता और कपास की गुणवत्ता में सुधार करते हुए उसके द्वारा कपास उत्पादकों की आय में वृद्धि करना और वस्त्र मिलों को गुणवत्तावाली कपास की अत्याधिक आपूर्ति सुनिश्चित करना आपके निगम का सदैव प्रयास रहा है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका निगम विस्तार गतिविधियों के रूप में विभिन्न विकासशील गतिविधियाँ संचालित करता रहा है । तथापि, फरवरी, 2000 में कपास प्रौद्योगिकी मिशन के आरंभ के साथ कई गतिविधियाँ टीएमसी के मिनी मिशन I और II में शामिल हो गयी हैं । इसलिए आपके निगम ने, सघनित कपास खेती(संविदा खेती) जैसी सीमित विकासशील गतिविधियों को भारत सरकार और राज्य कृषि विभागों के प्रयत्नों को समर्थन देने के लिए जारी रखा है ।

7. PROCESSING OF CONTAMINATION FREE COTTON

In order to meet the demand for contamination free cotton from EOUs and other quality conscious mills during the year under review, your Corporation had processed around 88% of the total procurement with least contamination as against achievement during the last year. The response of the mills was positive and the Corporation was able to sell cotton processed in the modern G&P factories with premium. Your Corporation proposes to continue and increase the quantity to meet the growing demand of its customers in the coming years as well.

8. WAREHOUSING COMPLEX

Your Corporation is having warehousing complex at Kalamboli constructed for storage of bales meant for export purpose. Looking to the opportunities for export of cotton by the Corporation from Navi Mumbai ports, storage capacity of only one godown comprising two compartments had been earmarked for export purpose. While the balance capacity has been leased for commercial utilization at competitive rates, railway sliding has been given on long-term lease to one party fetching lease rental. During the year under review, your Corporation has generated revenue to the tune of Rs.5.00 crores as against the revenue of Rs.6.10 crores generated in previous year.

9. DEVELOPMENTAL ACTIVITIES

Increasing cotton production, productivity and improving the quality of cotton thereby increasing the income of cotton growers and ensuring abundant supply of quality cotton to the textile mills had always been the endeavor of your Corporation. To attain this objective, your Corporation had been undertaking various developmental activities in the form of extension activities. However, with the launching of Technology Mission on Cotton in February 2000, many of these activities have been covered under Mini Mission I and II of TMC. Your Corporation has, therefore, continued with limited developmental activities like Integrated Cotton Cultivation (Contract Farming) to supplement the efforts of the Government of India and the State Agriculture Departments.

10. सघनित कपास खेती (संविदा खेती) :

सघनित कपास खेती के संकल्प को प्रोत्साहित करने और लोकप्रिय करने के लिए यानि किसानों के बीच संविदा खेती को लोकप्रिय बनाने तथा उसका लाभ कपास किसानों और खरीददार मिलों / ग्राहकों को पहुँचाने के लिए आपके निगम ने वर्ष 2002-03 के दौरान, आरंभ में सुविधाकर्ता के रूप में चार राज्यों में सधनित कपास खेती आरंभ की।

कपास मौसम 2011-12 के दौरान, आपके निगम ने इस परियोजना को सभी कपास उत्पादक राज्यों में बढ़ाते हुए संविदा खेती के अंतर्गत 47,246 हैक्टर क्षेत्रफल लाया, जबकि पिछले वर्ष यह 48,649 हैक्टर था । इस कार्यक्रम में शामिल उपायों में किसान क्लब की संरचना, क्लब/एसोसिएट खरीददार मिल/जिनरीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे गुणवत्तावाले निवेशों की आपूर्ति की व्यवस्था करना, किसानों के प्रशिक्षण, उपज और कीटनाशकों के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए स्काउट लगाना तथा गांव/मार्केट यार्ड में कपास की खरीद और कीट प्रबंधन के बारे में उचित सलाह देना शामिल है । विभिन्न प्रयत्नों के कारण तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए कपास किसानों की बदली हुई विचारधारा के कारण उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, उत्पादन लागत में लगातार घटौती हुई तथा कपास किसानों की आय में वृद्धि हुई है ।

11. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम (डीपीई) ने अपने दिनांक 9 अप्रैल 2010 के पत्र द्वारा विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का संकल्प आरंभ किया है, जिसके द्वारा उनके शुद्ध लाभ में से कुछ भाग को लोकोपकारी गतिविधियों तक पहुँचाने विस्तार करने और सार्वजनिक एवं व्यापारिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य किया गया है, ताकि लंबे समय तक प्रतियोगी लाभ बना रह सके।

डीपीई के मार्गदर्शन के अनुसार आपके निगम ने वर्ष 2010-11 से सीएसआर के अधीन ग्राम अधिग्रहण कार्यक्रम परियोजना " एक ग्रामः एक किस्म " का संकल्प तीन राज्यों में आरंभ करते हुए कार्यान्वित किया है, यानि महाराष्ट्र (विदर्भ क्षेत्र) के दो गाँव, ओडिसा में एक और तामिलनाडु में

10. INTEGRATED COTTON CULTIVATION (CONTRACT FARMING):

With a view to improve the quality of cotton through transfer of technology and improved farm practices, the Government of India has been propagating Contract Farming project, which has backward linkages with cotton farmers and forward linkages with the ultimate consumers. Your Corporation has been undertaking Integrated Cotton Cultivation (Contract Farming), as a facilitator, initially in four States during 2002-03.

In cotton season 2011-12, your Corporation has extended the project in all the cotton growing States bringing an area of 47,246 hectares under contract farming as against 48,649 hectares in the previous year. The steps involved in the programme were formation of farmer's club, signing of Memorandum of Understanding with the Club/associate buyer mill/ginneries, organizing supply of quality inputs such as seeds, fertilizers, pesticides, training to farmers, engagement of scouts for monitoring and management of crops and the pests, for proper advice of pest management and procuring of kapas at village/ market yards. Due to various efforts and the changed mindset of cotton farmers in adopting latest technology, there has been substantial increase in the yield, lower cost of production and increased income to the cotton farmers.

11. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

The Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (DPE) vide their letter dated 9th April 2010 had introduced the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) in various Central Public Sector Enterprise (CPSE) mandating to expend some portion of their net profit to extend beyond philanthropic activities and reaches out to the integration of social and business goals to secure sustainable competitive advantage in long term.

As per the guidelines of DPE, your Corporation had taken up CSR in the year 2010-11 on long term sustainable basis under Village Adoption Programme with "One Village: One Variety" concept in three States viz., two villages of Maharashtra (Vidarbha region), one village in

दो गाँव, जहां पहले के वर्षों में कपास की उत्पादकता कम है तथा जो संशोधित और नये उत्पादन और पैकेज प्रथाओं से वंचित हैं। निगम ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए सीएसआर परियोजना हेतु 40.00 लाख रू निश्चित किये हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 में सीएसआर पर कुल खर्च 36.45 लाख रू हुआ, जबकि पिछले वर्ष 27.65 लाख रू था ।

12. मानव संसाधन विकासः

12.1 रिपोर्ट के अधीन वर्ष में आपके निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 31 मार्च, 2012 को 1113 थी, जिसमें 124 अधिकारी तथा 989 कर्मचारी शामिल है, जबकि पिछले वर्ष कुल संख्या 1181 थी । इस में से 120 महिला कर्मचारी है जिनमें 16 महिला अधिकारी, 104 महिला यूनियन कैडर है । आपका निगम भर्ती और पदोन्नति दोनों के मामलों में अनु.जा./अनु.ज.जा./ अन्य पिछड़े वर्ग/शा.वि. के अनुरक्षण के बारे में भारत सरकार के नीति मार्गदर्शन का अनुपालन कर रहा है । अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग/शा.वि. के लिए संपर्क अधिकारी आपके निगम के अनु.जा./ अनु.ज.जा./ अन्य पिछड़े वर्ग/शा.वि.के कर्मचारियों के हित की रक्षा के लिए प्रबंधन को सहायता देती रही है । समीक्षाधीन अवधि में आपके निगम ने 1 सहायक प्रबंधक (मासंवि), 1 सहायक प्रबंधक (विपणन), 2 लेखाधिकारी (जिसमें से 1 ओबीसी श्रेणी का है), और 1 मेनटेन्स स्टॉफ (ओबीसी श्रेणी) की भर्ती की है। आपके निगम ने फील्ड कर्मचारियों तथा अधिकारियों के रोटेशनल स्थानांतरण भी किये हैं ।

12.2 आपका निगम विकलांगता अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के प्रावधान विशेषतः विकलांगतावाले व्यक्तियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण की धारा 33 के कार्यान्वयन का अनुपालन कर रहा है । चूंकि आपके निगम के कार्य-कलापों में फील्ड कार्य-कलाप शामिल है, जिसमें शारीरिक क्षमता की बहुत आवश्यकता होती है, शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए नियुक्ति का क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जाता है। इस प्रकार की सीमाओं के बावजूद आपके निगम में वर्तमान में 20 शारीरिक विकलांगतावाले व्यक्ति

Orissa and two villages in Tamil Nadu having lesser productivity of cotton in the earlier years and are deprived of improved and innovative cultivation and package practices. In the year under review, your Corporation had earmarked Rs.40.00 lakhs for CSR project for F.Y 2011-12. The actual expenditure on CSR for the financial year 2011-12 is amounted to Rs.36.45 lakhs as against Rs.27.65 lakhs in previous year.

12. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:

12.1 The total strength of your Corporation during the year under report was 1113 as on 31st March 2012 consisting of 124 officers and 989 unionized staff as compared to the total strength of 1181 employees during the last year. Out of the strength of 1113 employees, there are 120 women employees comprising 16 women officers and 104 women unionized staff. Your Corporation continued to follow the policy/guidelines of the Govt. of India in respect of the reservation of SC/ST/OBC/ PH categories both in recruitment as well as promotion. The liaison officer for SC/ST/ OBC/PH continued to function to safeguard the interest of SC/ST/OBC/PH employees of your Corporation. During the period under review your Corporation recruited 1 A.M(HRD),1 A.M.(Mktg), 2 Accounts Officer (Out of which 1 is of OBC Category) and 1 Maintenance Staff (OBC category). Your Corporation effected rotational transfer of field staff and officers.

12.2 Your Corporation is observing the provision of implementation of the persons with Disabilities Act 1995, especially on implementation of Section 33 of reservation of vacancies for persons with disabilities. As the work of your Corporation involves field operations – which requires a lot of physical exertion – the scope for employment of physically Handicapped persons is extremely limited. Despite such limitations, Your Corporation presently has a strength of 20 physically handicapped persons. With a view to give career development opportunity

कार्यरत है । योग्य व्यक्तियों को कैरियर विकास के अवसर देने के लिए आपके निगम ने ग्रेड-V यानि का.प्र.(सा./ले.)/व.क.क्र.अ. के लिए अर्हता परीक्षा रखी और 7 सफल उम्मीदवारों (3 लेखाधिकारी तथा 4 सहायक प्रबंधक) को लेखाधिकारी तथा सहायक प्रबंधक पद पर प्रोन्नत किया ।

12.3 आपके निगम द्वारा वर्ष, 1975-76 में आरंभ की गई प्रबंधन व्यवस्था में कर्मचारियों की सहभागिता योजना निगमित और शाखा दोनों स्तरों पर सहज रूप से चल रही है । निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे और किसी मानव दिन की हानि नहीं हुई है ।

13. विदेशी दौरे :

समीक्षाधीन वर्ष में आपके निगम ने अधिकारियों के विदेश दौरे पर 9.63 लाख रू खर्च किये, जो बेजिंग, चीन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के रूप में दौरे पर थे ।

14. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 :

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शनों के आधार पर वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार आपके निगम ने मैन्युअल संग्रहण/प्रकाशन, केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी और केन्द्रीय सहा. सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम तैयार करने तथा प्रत्येक लोक प्राधिकारी से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई के लिए आंतरिक पद्धति को स्ट्रीमलाईन करने के बारे में कार्रवाई की है।

1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के दौरान विभिन्न आवेदकों से 52 अनुरोध प्राप्त हुए थे । सभी मामलों में जानकारी प्रदान की गयी । 4 मामले प्रथम अपील अपीलीय अधिकारी के सामने तथा 2 में दूसरी अपील थी, जो केन्द्रीय सूचना केन्द्र के सामने रखी गयी और दोंनो अपील आपको निगम की पक्ष में थी ।

सूचना अधिकार अधिनियम की तिमाही रिपोर्ट को वस्त्र मंत्रालय के दि.08 जून 2011 के पत्र के निदेश के अनुसार निगम की वेबसाईट के साथ-साथ केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाईट पर नियमित रूप से अपलोड् किया जाता है ।

to the deserving person, your Corporation conducted Qualifying Test for Gr.V i.e. OM(Gen & Accts)/Sr.CPO and promoted 7 successful candidate to the post of Accounts Officers and Assistant Manager (4 Asstt. Managers and 3 Accounts Officers).

12.3 The Scheme for workers' participation in Management introduced by your Corporation since 1975-76 continues to function smoothly, both at the corporate level and also at the branches. The industrial relations in your Corporation continued to remain very cordial and there was no loss of man-days.

13. FOREIGN TOUR:

During the year under Review, Rs.9.63 lakhs was spent on foreign tour for the officials of your Corporation for visit to Beijing, China as members of Indian delegation on behalf of CCI.

14. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005:

In accordance with the instructions received from the Ministry of Textiles, Government of India, New Delhi, based on the guidelines issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, your Corporation has taken action regarding compilation/publishing of manuals, appointments of Central Assistant Public Information Officers, framing the rules for giving effect to the provisions of the Act and internal procedures to streamline the channel for dealing with requests received by each Central Public Information Officer.

During the period from 1st April 2011 to 31st March 2012, 52 requests were received from different applicants. In all the cases information was made available to the applicant. 4 applicants preferred for the First Appeal before the Appellate Authority and 2 applicants made Second Appeal with Central Information Commission (CIC) and decision in both the appeals were in favour of your Corporation.

The Quarterly Report of RTI is uploaded regularly on the website of the Corporation as well as on the website of Central Information Commission (CIC) as instructed by the Ministry of Textiles vide its letter dated 8th June, 2011.

15. सतर्कता संरचना तथा गतिविधियाँ - 2011-12

15.1 आपके निगम के सतर्कता कोष्ठ के प्रधान, मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं जिनके साथ मुख्यालय में उप महा प्रबंधक तथा शाखा कार्यालयों में उप महा प्रबंधक/उप प्रबंधक/ सहायक प्रबंधक कार्यरत हैं ।

15.2 मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा मुख्यालय / शाखाओं में तैनात अन्य अधिकारियों ने आकस्मिक जाँच / निरीक्षण किए ।

15.3 शिकायतें

वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों से सतर्कता कोष्ठ में 13 शिकायतें प्राप्त हुई । गत वर्ष से 17 शिकायतें आगे लायी गयीं । कुल 30 शिकायतों में से 2 मामले अपराधिक स्वरूप के होने के कारण "अपराधिक मामले" के रिकार्ड में भेजे गये । इन दोनों मामलों में मान. अडिशनल जुनियर सिविल जज चिलाकलूरिपेट के न्यायालय में दि. 18.08.2009 और दि.31.03.2010 को चार्ज-शीट दायर किये गये । एक मामले में संबंधित अधिकारी को चेतावनी पत्र जारी किया गया । एक अन्य मामले में एक अधिकारी को छोटा दंड लगाया गया और 5 कर्मचारियों के विरूद्ध नॉन-रिकार्डेबल वॉरनिंग जारी किये गये तथा 13 मामले जांच स्तर पर बंद किये गये । शेष 13 मामले दि.31.03.2012 को जांच/ अंतिम निर्णय के लिए लंबित है और इसलिए अगले वर्ष के लिए आगे लाये गये ।

15.4 विभागीय जांच

बड़े दण्ड की कार्यवाहियाँ

गत वर्ष से बड़े दंड की कार्रवाई के 7 मामले आगे लाये गये तथा वर्ष के दौरान सतर्कता कोष्ठ द्वारा 5 मामलों पर कार्रवाई की गई । इन 12 मामलों में से 4 मामलों में विभागीय जांच के बाद संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी ने 4 कर्मचारियों पर दि.05.05.2011, दि.01.07.2011, दि.18.01.2012 और दि.27.03.2012 के विभिन्न आदेशों द्वारा छोटा दण्ड लगाया गया है । दि.31.03.2012 को शेष 8 मामलों पर अनुशासनिक प्राधिकारी की विभागीय कार्रवाई/निर्णय चल रहा है । इसलिए, ये 8 मामले आगामी वर्ष में आगे लाये गये ।

15. VIGILANCE SET-UP AND ACTIVITIES 2011-12

15.1 The Vigilance Cell of the Corporation is headed by a Chief Vigilance Officer assisted by Dy.General Manager at the Head Office and Dy.General Manager/Manager/ Deputy Manager/Assistant Managers in the Branches.

15.2. The Chief Vigilance Officer and other officials posted at Head Office/Branches conducted Surprise Checks/Inspections.

15.3 Complaints

The Vigilance Cell in all received 13 complaints during the year from various sources. 17 complaints were brought forward from the previous year. Out of these total 30 complaints, 2 cases being of criminal nature, are shifted to the record of “Criminal Cases.” In these both the cases, charge-sheet has been filed in the Hon’ble Court of Addl.Junior Civil Judge, Chilakaluripet on 18.08.2009 and 31.03.2010. In 1 case, warning letter is issued to the concerned official.In 1 case, Minor Penalty imposed on 1 official and non-recordable warnings issued against 5 officials, and 13 cases are closed at the investigation stage. Balance 13 cases are pending for investigation/final decision as on 31.03.2012, hence, carried forward for the next year.

15.4. Departmental Enquiries

Major Penalty Proceedings

7 cases of Major Penalty proceedings were carried forward from previous year and 5 cases instituted during the year were dealt with by the Vigilance Cell. Out of these total 12 cases:In 4 cases, after completion of Departmental Enquiry, the concerned Disciplinary Authority has imposed Minor Penalty on 4 Officials vide various orders dt. 05.05.2011, 01.07.2011, 18.01.2012 and 27.03.2012. Departmental proceedings/ decision of Disciplinary Authority is in process on the remaining 8 cases as on 31.03.2012, hence, these 8 cases are carried forward for the next year.

15.5 छोटे दंड की कार्यवाहियाँ

वर्ष के दौरान सर्तकता कोष्ठ द्वारा 12 मामलों पर छोटे दंड की कार्यवाही शुरू की गयी । इन 12 में से 8 मामलों पर 8 कर्मचारियों पर छोटा दंड लगाया गया । 1 मामले में संबंधित 5 अधिकारियों पर नॉन-रिकार्डेबल चेतावनी जारी की गयी । शेष 3 मामले कार्यवाही के लिए लंबित है और इसलिए अगले वर्ष के लिए आगे लाये गये ।

15.6 निलंबन

दि.31.3.2012 को 1 महा प्रबंधक, 1 उप प्रबंधक, 2 लेखाधिकारी और 4 यूनियन स्टाफ निलंबन के अधीन हैं ।

15.7 सीबीआई द्वारा खोजे गये मामले

सीबीआई द्वारा पाच कर्मचारियों के विरुद्ध 6 मामले खोजे गये और पंजीकृत किये गये । इन 6 मामलों में से 5 में सीबीआई द्वारा माननीय विशेष न्यायाधीश के सामने 4 कर्मचारियों के विरूद्ध जोधपुर, हैदराबाद तथा विशाखपट्नम में चार्ज-शीट दायर की गयी । 1 मामले में जांच चल रही है ।

15.8 निवारक सतर्कता और के.स.आ. मार्गदर्शन

सीसीआई स्टॉक की सुरक्षा के लिए सुधारात्मक उपाय निम्नानुसार है :-

(i) नियंत्रक/सर्वेक्षक अधिकारियों को सलाह दी गयी है कि जहाँ आवश्यक हो सुधार के उपायों के द्वारा कार्य-पद्धति में सुधार के लिए शाखा कार्यालयों तथा केन्द्रों के दौरों में वृद्धि की जाए ।

(ii) शाखा /केन्द्रों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शन तथा मुख्यालय के अनुदेशों के अनुसार खरीद, संसाधन, तुलन आदि कार्य उचित और पारदर्शी रूप से करने के लिए कहा गया ।

खरीदः

- कपास खरीद एपीएमसी/एपीएमसी घोषित यार्ड से होना चाहिए । केन्द्र प्रभारी को एपीएमसी यार्ड में कपास खरीद कार्य करने के लिए एपीएमसी से प्रमाणित लाईसेंस प्राप्त करना चाहिए ।
- वजन पर्ची, बिडिंग पर्ची को एपीएमसी अधिकारी/

15.5 Minor Penalty Proceedings

12 cases of minor penalty proceedings instituted during the year are dealt with by the Vigilance Cell. Out of these 12 cases:In 8 cases, Minor Penalty imposed on concerned 8 officials. In 1 case involving 5 officials, non-recordable warning issued to all the concerned 5 officials. Balance 3 cases are pending for action in the matter, hence, carried forward for the next year.

15.6 Suspension

1 General Manager, 1 Dy.Manager, 2 Accounts Officers and 4 Unionised Staff are placed under suspension as on 31.03.2012.

15.7 Cases detected by CBI

6 cases were detected & registered by CBI against 5 officials. Out of these 6 cases, in 5 cases the CBI has filed charge sheet against 4 officials before the Hon'ble Special Judge for CBI Cases, Jodhpur, Hyderabad and Visakhapatnam. In one case, investigation is in process.

15.8 Preventive Vigilance and CVC Guidelines

For safety and security of CCI's stock, the corrective action taken as under:-

(i) Controlling/supervisory Officers were advised to enhance tours to Branch Office and its centers for improving the system by performing corrective surgery wherever necessary.

(ii) Branch/centers were emphasized to do the procurement, processing, weighment etc. in fair and transparent manner and according to the CVC guidelines and H.O. instructions.

Procurement:

- Kapas procurement through APMC/APMC declared yards. Centre-Incharge to obtain an authentic licence from APMC for conducting kapas procurement in APMC yard.
- Weighment slips, bidding slips should be filled in completely and signed by APMC

संबंधित केन्द्र अधिकारी/किसान/प्रतिनिधि द्वारा पूरी तरह भरा जाये और हस्ताक्षरीत किया जाये ।

- आवक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ सही, सच और पूर्ण होना चाहिए । किसान का नाम, किसान के पिता का नाम, पता, वाहन नंबर जैसी प्रविष्टियाँ सही रूप से भरा जायें ।
- कपास की गुणवत्ता निर्धारित मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए ।

संसाधन

- जी & पी फैक्टरियाँ को कार्य देने के लिए निविदा प्रक्रिया का अनुपालन पूरी तरह से किया जाये ।
- ईओटी उचित और पारदर्शी परिणामों के लिए किया जाये ।
- गांठों की पैकिंग निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाये ।
- गांठों का प्रेस वजन और सुपुर्दगी वजन की प्रभावी जांच की जाये ।

(iii) सतर्कता अधिकारियों को मार्केट यार्ड, जि.एवं प्रे.फैक्टरियों आदि में अग्नि / चोरी आदि को रोकने के लिए उचित अग्नि-शमन मशीनरी का अनुरक्षण करने तथा सतर्क रहने की सलाह दी गयी ।

(iv) सतर्कता अधिकारियों को केन्द्रीय भंडार निगम, राज्य भंडार निगम, एपीएमसी गोदाम भंडारण सुविधा तथा निजी गोदामों में तथा परिवहन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी ताकि सीसीआई की पूर्ण-बंधित गॉठों को अग्नि, चोरी आदि दुर्घटनाओं से बचाया जा सके । सतर्कता अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को इन क्षेत्रों में दौरे करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया ।

(v) महा प्रबंधक/उप महा प्रबंधक/प्रबंधकों से जिला प्रशासन, अग्नि-शमन सेवा, पुलिस विभाग से सहायता प्राप्त करने के लिए संपर्क रखने की सलाह दी गयी, जिससे सीसीआई के स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। उन्हें आगे, अग्नि घटनाओं से बचाव के लिए मानक परिचालन कार्यविधि (एस. ओ.पी) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी ।

Official/respective Centre-Incharge, Farmer/ Representative.

- Inward register's entries should be truthful, correct and complete. Entries like Farmer's Name, Farmer's Father's Name, Address, Vehicle Number should be correctly entered.
- Quality of kapas should be maintained as per prescribed parametres..

Processing

- For engagement of G&P Factories tender procedure should be followed in toto.
- EOT should be taken extensively for fair and transparent results.
- Packing of bales should be as per the prescribed norms.
- Press weight and delivery weight of bales should be checked effectively.

(iii) Advised the Vigilance Officers to be proactive and advocate the maintenance of adequate fire fighting machinery at market yard, ginning & pressing factories and various godowns etc. to prevent fire/theft etc.

(iv) Vigilance officers were advised to ensure and supervise the safety and security mechanism at CWC, SWC, APMC, GSF and private godowns and during transit to avert the incidents of fire, theft etc. in the F.P. Bales of CCI. Vigilance Officers and other officers were motivated to visit these areas and ensure compliance.

(v) Advised the G.M., Dy.G.M., B.Ms. to be in live contact with Dist. Administration, Fire Service, Police Department for obtaining support, which could help in ensuring safety and security of CCI stock. They were further advised to ensure strict compliance of Standard Operating Procedure (SOP) for prevention of fire incidents.

(vi) शाखा प्रबंधक तथा अन्य कर्मचारियों को सलाह दी गयी है कि ट्रकों में उनकी क्षमता तथा ट्रक के आकार के अनुसार सामान भरा जाए तथा तारपोलीन के साथ उचित रूप से उसे कवर भी किया जाए ।

(vii) सीसीआई स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समितियों द्वारा रात्रि में निगरानी, जाँच और पहरेदारी करने की सलाह दी गयी ।

(viii) सुरक्षा मानदंडों के सर्वेक्षण के लिए मजदूरों में से सुरक्षा रक्षक बनाये जायें ।

(ix) सतर्कता अधिकारियों को सौंपे गए जाँच कार्य को पारदर्शिता, ईमानदारी तथा जिम्मेदारी से करने का निदेश दिया गया ।

(x) शाखा प्रबंधकों और अधिकारियों को माल सत्यापन/ रिकार्ड के मिलान/विभिन्न गोदामों/जीएसफ गोदाम में रखा गया माल के निरंतर सीसीआई अधिकारियों और गोदाम अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जांच की सलाह दी गयी ।

(xi) गांठे भुगतान की रसीद/लिखित सुपुर्दगी आदेश के बिना न दी जाये।

(xii) बीमा कवहरेज वर्तमान माल के मूल्य के अनुसार होनी चाहिए ।

(xiii) रिवॉलविंग केडिट, गाँठों की सुपुर्दगी, बीमा आदि के बारे में मुख्यालय का जानकारी भेजी जाये ।

16. हिंदी का प्रगामी प्रयोग

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में आपके निगम ने वर्ष 2011-12 के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया है । वर्ष 2009-10 के दौरान हिंदी कार्यान्वयन में की गयी प्रगति के लिए निगम के मुख्यालय को "ख" क्षेत्र में 14 सितंबर, 2011 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड से 19वीं बार प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है । इसके अलावा वर्ष 2010-11 के लिए शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए हिंदी कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय राजभाषा विभाग द्वारा "क" क्षेत्र में स्थित शा.का.श्रीगंगानगर को द्वितीय पुरस्कार और "ख" क्षेत्र में शा.का. औरंगाबाद को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया । राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत निगम के अब तक कुल 14 शाखा कार्यालय अधिसूचित हो चुके हैं ।

(vi) Advised B.M. and other officials to supervise that the trucks were loaded according to the capacity and size of truck and were properly covered with tarpaulins.

(vii) Night surveillance, checking, patrolling by various committees were advised to ensure safety and security of CCI stock.

(viii) Safety wardens from among the labourers be made to supervise safety and security norms.

(ix) Vigilance Officers were directed to conduct the enquiries given to them with transparency, probity and accountability.

(x) Advised to Branch Managers and other officials to conduct stock verification/ reconciliation of records/stocks stored in various godowns/ GSF godowns, jointly by CCI Officials and Godown Officials frequently.

(xi) Bales should not be delivered without receipt of payment/written delivery order.

(xii) Insurance coverage should be appropriate as per the value of the existing stock.

(xiii) Every working, such as, Revolving credit, delivery of bales, insurance, etc. should be reported to Head Office.

16. PROGRESSIVE USE OF HINDI

Your Corporation has achieved all the targets laid down in annual programme for the year 2011-12 by Department of Official Languages, Home Ministry. Head Ministry. Head Office has been honoured with first prize for Indira Gandhi Rajbhasha Shield for the 19th time on 14th September, 2011 for the year 2009-10 in “B” Region by Hon’ble President of India. Apart from this, B.O. Sriganganagar has been awarded Second prize in “A” Region and B.O. Aurangabad has been awarded First prize in “B” Region by Regional Official Language Department for the progress made in Hindi implementation for the year 2010-11.So far Head Office and 14 branches of the Corporation have been notified under Official Languages Rule 10(4).

मुख्यालय तथा शाखा कार्यालयों में कंप्यूटर पर द्विभाषी प्रोग्रामिंग करायी जा चुकी है । निगम में सी-डैक की सहायता से हिंदी में ई-मेल भेजने की व्यवस्था की गई है तथा यूनिकोड फॉन्ड की सुविधा भी उपलब्ध करायी गई है । वर्ष, 2003 से निगम की वेब-साईट द्विभाषी रूप में उपलब्ध है तथा उसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है । निगम की गृह पत्रिका राजभाषा रश्मि का वर्ष 1984 से नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है । ई-जर्नल "राजभाषा रश्मि" जुलाई 2009 से हमारे वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाती है । 31 मार्च, 2012 को हिंदी पत्रों का प्रतिशत 94.06 रहा है ।

निगम के मुख्यालय को नवी मुंबई नगर राजभाषा समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गयी है । आलोच्य वर्ष के दौरान 2 बैठकें, 3 राजभाषा संगोष्ठी और 1 प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । नवी मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से "समन्वय" नामक पत्रिका के 10वें तथा 11वें अंक का भी प्रकाशन किया गया है । इसके अलावा, हमारे शाखा कार्यालय आदिलाबाद और औरंगाबाद भी संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की अध्यक्षता कर रहे हैं ।

17. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति :

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, आपके निगम ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई सुधार करने में सफलता प्राप्त की है :-

17.1 ईआरपी कार्यान्वयन

i) आपके निगम ने मेसर्स केपजेमिनि इंडिया प्रा. लि. को वेन्डर के रूप में (सिस्टम इंटिग्रेटर) और मेसर्स विप्रो लिमिटेड को सलाहकार के रूप में लेते हुए ईआरपी सॉफ्टवेअर बिजनेस सल्यूशन (पैकेज) के रूप में ओरॅकल-ए बिजनेस सूट का कार्यान्वयन किया है । सिस्टम इंटिग्रेटर को 1 वर्ष की कार्यान्वयन की अवधि के साथ एपलिकेशन को मेनटेन करने के लिए 5 वर्ष की संविदा सौंपी गयी है ।

ii) ईआपी का कार्यान्वयन (गो-लाईव) दि.01.11.2011 को किया गया है ।

iii) निगम के मुख्यालय, नवी मुंबई में डाटा सेन्टर स्थापित किया है और मुख्यालय और शाखा कार्यालय के बीच मेसर्स ट्यूलिप टेलिकॉम लि. (वेन्डर) की मार्फत

Bilingual computer programming is made available at Head Office as well as all Branch Offices. Corporation has also arranged to transmit E-Mail in Hindi with the help of C-Dac and facility of Unicode Font is also made available. Web-site is available in bilingual form, since 2003 and it is updated from time to time. Corporation is also regularly publishing House Journal named "Rajbhasha Rashmi" since 1984. E-Journal "Rajbhasha Rashmi" is being hosted on our wesite since July, 2009. Correspondence in Hindi stands at 94.06% as on 31st March,2012.

Head Office of your Corporation has been entrusted with the responsibility of heading Town Implementation Committee. Two meetings three seminars and one training programme were conducted during the year. Navi Mumbai Tolic has also published 10th and 11th issue of "Samanvay" magazine. Apart from this our Branch Office Adilabad and Auranganbad are also heading their respective Town Official Languages Implementation Committee.

17. PROGRESS IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY:

During the financial year 2011-12, your Corporation had achieved a number of improvements in the field of Information Technology:-

17.1 ERP IMPLEMENTATION:

i) The Corporation has implemented Oracle E-business Suite as ERP Software Business Solution (package) through M/s.Capgemini India India Pvt. Ltd. as vendor (System Integrator) and M/s.Wipro Ltd. as consultant. The System Integrator has been assigned with 5 years contract to maintain the application including implementation period of 1 year.

ii) The ERP has been implemented (Go-Live) on 01/11/2011.

iii) The Corporation has established data centre at HO, Navi Mumbai and implemented WAN (Wide Areas Network) between HO

डब्लयूएएन (वाईड एरिया नेटर्वक) कार्यान्वित किया गया है । हार्डवेअर एवं डब्लयूएएन वेन्डर को 3 वर्ष की वारंटी अवधि के साथ एपलिकेशन को मेनटेन करने के लिए 5 वर्ष की संविदा दिया गया है ।

iv) मुख्यालय और शाखा कार्यालय डब्लयूएएन कनेक्टीविटी से मुख्यालय के डाटा सेन्टर द्वारा ईआरपी एपलिकेशन और इंटरनेट कनेक्टीविटी एक्सेस कर रहे हैं ।

v) निगम के शाखा कार्यालय अहमदाबाद में डिसासटर रिक्वरी साईट स्थापित किया गया है, जिसने दि.31.10.2011 से कार्य करना शुरू कर दिया है ।

vi) मुख्यालय में ईआरपी हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जो शाखा कार्यालय में ईआरपी कार्यान्वयन/ चलाने में किसी भी कठिनाई में मद्द करेगा ।

17.2 वेबसाईट

हमारे वेबसाईट काउच्चीकरण, वृद्धि और री-डिजाईनिंग पूरा हो गया है और दि.10.01.2012 को इसका शुभारंभ किया गया है । नयी वेबसाईट नेट प्लॅटफॉर्म पर अध्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विकसित की गयी है । नयी वेबसाईट अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार है और अधिक यूजर फ्रेंडली है । नयी वेबसाईट अध्यतन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए और इंडियन गवरमेन्ट वेबसाईट (जीआयजीडब्लयू) की वेब कन्टेन्ट्स एक्सेसबिलिटी गाईडलाईन्स (डब्लयूसीएजी) को ध्यान में रखते हुए बनायी गयी है । इससे सभी उपयोग करने वाले को वेबसाईट तक पहुँचने में सरलता रही है ।

नयी वेबसाईट की मुख्य विशेषतः यह है कि विकलांग व्यक्ति भी प्रौद्योगिकी की सहायता से वेबसाईट तक पहुँच सकता है । इन विशेषताओं के साथ सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शनों का भी कार्यान्वयन किया गया है ।

वेबसाईट में "क्या नया है" यह नयी विशेषता जोड़ी गयी है जो वेबसाईट पर अध्यतन जानकारी, निगमित सामाजिक जिम्मेदारी, सर्तकता आदि को देखती है ।

वेबसाईट पर मुख्यालय और शाखा कार्यालयों के परिपत्र जोड़ने के लिए एक नया मॉडयूल जोड़ा

and Branches through M/s.Tulip Telecom Ltd.(vendor).The Hardware & WAN Vendor has been assigned with 5 years contract to maintain the application including warranty period of 3 years.

iv) The HO and BO's are accessing ERP application and internet connectivity from HO data centre over WAN connectivity.

v) The Corporation has installed Disaster Recovery Site at BO Ahemdabad, which has started functioning w.e.f. 31.10.2011.

vi) One ERP Help Desk has been setup at Head Office for help in case of any difficulty in implementation/running of ERP at branches.

17.2 WEBSITE

The upgradation, enhancement and redesigning our website is completed and it is launched on 10.01.2012. The new website is developed using the latest technology on net platform. The new website is designed as per international standards and more user friendly. The new website is developed using the latest technology, keeping in mind the Guidelines of Indian Government Website (GIGW) & Web Contents Accessibility Guidelines (WCAG). It will help all users to navigate and access the website with ease.

The salient feature of the new website is that a person even with disability will be able to access the website with the help of assistive technologies. With these features, the guidelines of Ministry of Social Justice, Govt. of India is also implemented.

New features has been added in the website such as What's new, which shows the latest updates in the website, Corporate Social Responsibility, Vigilance etc.

A new module has been added in the website for adding circulars by HO and Branches.

गया है । इसके उपयोग से मुख्यालय और शाखा कार्यालय संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी परिपत्र देख सकते है ।

मुख्यालय और शाखा कार्यालय द्वारा जारी निविदा और नीलामी के ब्यौरे हमारी वेबसाईट www.cotcorp.gov.in पर और सरकारी निविदा पोर्टल www.tenders.gov.in और www.eprocure.gov.in पर प्रकाशित किये जा रही है और उसके लिए आवश्यक प्राधिकारण शाखाओं को दिया गया है ।

17.3 ई-मेल सूचना

मुख्यालय और शाखा कार्यालयों का ई-मेल पता सिंगल डोमेन यानि @cotcorp.com दिया गया है, जो सिंगल सर्वर पर प्रदर्शित है । आगे मुख्यालय के अधिकारियों और शाखा प्रधानों, वित्त प्रधान और सर्तकता अधिकारियों को वैयक्तिक ई-मेल आयडी दिया गया है, ताकि वे निगम के अंदर सहजता से पत्र व्यवहार कर सके ।

17.4 हार्डवेअर और सॉफ्टवेअर उच्चीकरण

जहां कही आवश्यक था मुख्यालय और शाखा कार्यालयों में वर्तमान हार्डवेअर और सॉफ्टवेअर का उच्चीकरण किया गया है और नया हार्डवेअर स्थापित किया गया है।

17.5 सीईआरटी-ईन मार्गदर्शन

सीईआरटी-ईन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन का निगम में सूचना प्रौद्योगिकी डाटा सिक्यूरीटी, वाईरस एर्लट, सुरक्षा उपायों और सावधानियों के बारे में अनुपालन किया जाता है ।

18. निगमित शासन :

आपका निगम विश्वास करता है कि सफल होने के लिए एक कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि अपने सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए निगमित आचरण का विश्वीय मानदंड बनाये । आपकी कंपनी को विश्वास है कि औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत अच्छे शासन के लिए सोपान हैं । कंपनी का यह उद्यम है कि प्रशासन का उच्चतम स्तर प्राप्त करें और अपने व्यापार क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशासी कंपनियों के साथ अपना स्थान बनाये ।

By using this HO & Branch users can view, the circulars issued by respective authority.

The details of tenders and auctions floated by Branches are being published on our website www.cotcorp.gov.in and on Government Tenders portals www.tenders.gov.in & www.eprocure.gov.in by HO and respective BO's on their own, the necessary authorization for the same is provided to each BO's.

17.3 EMAIL COMMUNICATION

The email address to HO and Branches have been provided with single domain i.e.@cotcorp.com which is hosted on a single server. Further, the officers at HO and Branch Heads, Finance Head and Vigilance Officers at BO's have been provided with individual email ID's to ease and make the communication faster within the Corporation.

17.4 HARDWARE & SOFTWARE UPGRADATION

Wherever found necessary, the upgradation of the existing hardware and software and installation of new hardware has been completed at H.O. and Branches.

17.5 CERT-IN GUIDELINES

The guidelines received from Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), Department of Information Technology, Ministry of Communication and Information Technology, Government of India about IT/ Date Security, Virus Alerts, related security measures and precautions etc. are being implemented in the Corporation from time to time.

18. CORPORATE GOVERNANCE:

Your Corporation believes that for a company to be successful, it must maintain global standards of corporate conduct towards all its stakeholders. Your Company believes that the principles of fairness, transparency and accountability are the cornerstones for good governance. It is the Company's endeavour to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark itself with the best governed companies in the similar trade.

19. निदेशक मंडल

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्री आर.के.केडिया, निदेशक (वित्त) दि.31.01.2012 अधिवर्षिता प्राप्त करने के कारण निदेशक मंडल में नहीं थे और उनके स्थान पर श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल को निदेशक (वित्त) के रूप नियुक्त किया गया है ।

20. मंडल की बैठकें

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए मंडल की 6 बैठकें 9 जून, 2011, 25 जुलाई, 2011, 18 अगस्त 2011, 22 सितंबर 2011, 5 नवंबर 2011 तथा 6 जनवरी 2012 को हुई ।

21. निदेशकों के दायित्वों की विवरणी

कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 217(2एए) के अनुसरण में निदेशकों के दायित्वों की एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं ।

21.1 यह कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, माल की सुपुर्दगी से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू मानकों और कंपनीज अधिनियम 1956 की संशोधित अनुसूची VI का अनुपालन किया गया है ।

21.2 यह कि निदेशकों ने इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन किया है और उसे कड़ाई से लागू किया है तथा ऐसे औचित्यपूर्ण एवं स्पष्ट निर्णय एवं अनुमान लगाये हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्य - व्यवहार का तथा आलोच्य वर्ष के लाभ-हानि खाते का सही चित्रण देते हैं ।

21.3 यह कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को पकडने़ और रोकने के लिए कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार लेखों के रखरखाव के लिए पर्याप्त एवं उचित सावधानी बरती है ।

21.4 यह कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लेखों को निदेशकों ने "गोइंग कन्सर्न" के आधार पर तैयार किया है ।

19. BOARD OF DIRECTORS

During the year, under review Shri R.K. Kedia, Director(Finance), who superannuated on 31.1.2012 ceased to be Director on the Board and Shri Pradeep Kumar Agarwal was appointed as Director(Fin) in his place.

20. BOARD MEETINGS

During the year ended 31st March 2012, 6 Board meetings were held on 9th June 2011, 25th July 2011, 18th August 2011, 22nd September 2011, 5th November 2011 and 6th January 2012.

21. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the requirement under Section 217(2AA) of the Companies Act, 1956 with respect to Directors' Responsibilities Statement, it is hereby confirmed.

21.1 That in the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March,2012 the applicable accounting standards and Revised Schedule VI of the Companies Act, 1956 had been followed along with proper explanation relating to material departures;

21.2 That the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for the year under review;

21.3 That the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities

21.4 That the directors had prepared the accounts for the financial year ended 31st March, 2012 on a "going concern" basis.

22. लेखा परीक्षा समिति

22.1 आपके निगम ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 292 ए के अनुपालन में तथा निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षा समिति की शर्तों के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति की दो बैठकें आयोजित की गयी।

22.2 आपके निगम की लेखा परीक्षा समिति में 3 निदेशक शामिल हैं यानि श्री वी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, श्री बी.के.मिश्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय कपास निगम लिमिटेड और श्री के. रामचंद्रन पिल्लाई, जिन्हें निगम के निदेशक मंडल द्वारा नामित किया गया था।

23. वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

23.1 वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ वास्तविक परिणाम के आधार पर लोक उद्यम विभाग ने "अच्छा" श्रेणी प्रदान की है ।

23.2 आपके निगम तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए समझौता ज्ञापन पर 28 मार्च, 2012 को हस्ताक्षर किए गए ।

24. लेखा परीक्षा समीक्षा

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दिए गए अवलोकन पर निदेशक मंडल की टिप्पणियों को इस रिपोर्ट के परिशिष्ट में दिया गया है ।

25. कर्मचारियों के ब्यौरे

कंपनीज. (कर्मचारियों का ब्यौरा) नियम 1975 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम 1956 (अधिनियम) की धारा 217(2ए) की सूचना के अनुसार जानकारी को शून्य माना जाये ।

26. आभार

26.1 आपके निदेशकगण माननीय वस्त्र मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभारी हैं । माननीय राज्य वस्त्र मंत्री, भारत सरकार के प्रति भी आभारी हैं । आपके निदेशक सचिव, संयुक्त सचिव तथा वस्त्र मंत्रालय के अन्य अधिकारियों, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, कृषि मंत्रालय और वस्त्र आयुक्त के कार्यालय और उनके अधिकारियों के प्रति उनके द्वारा दिए

22. AUDIT COMMITTEE

22.1 During the year under review your Corporation held two meetings of Audit Committee in compliance with Section 292A of Companies Act, 1956 and Terms of reference of the Audit Committee given by the Board of Directors.

22.2 The Composition of Audit Committee of your Corporation during the year comprise of three Directors viz. Shri V. Srinivas, Joint Secretary, Ministry of Textiles, Shri B.K. Mishra, Chairman cum Managing Director, Cotton Corporation of India Ltd., and Shri K. Ramachandran Pillai who were nominated by the Board of Directors of your Corporation.

23. MOU WITH THE MINISTRY OF TEXTILES

23.1 The achievement based on actual results vis-à-vis targets for the year 2010-11 had been rated “Good” by Department of Public Enterprises.

23.2 The Memorandum of Understanding between your Corporation and the Ministry of Textiles for the year 2012-13 was signed on 28th March 2012.

24. AUDIT REVIEW

The comments of the Board of Directors on the observations made by Jt.Statutory Auditors in their report to the members are as Addendum to this report.

25. PARTICULARS OF EMPLOYEES

Information as per Section 217(2A) of the Companies Act, 1956 (“the Act”) read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975, treated as nil.

28. ACKNOWLEDGEMENT

26.1 The Directors wish to place on record their grateful thanks for the guidance and cooperation extended by the Hon’ble Minister of Textiles, Government of India. Thanks are also placed on record to Hon’ble Minister of State for Textiles, Govt. of India. The Directors also wish to thank the Secretary, Joint Secretaries and other officials of the Ministry of Textiles, officials of Ministry of Finance, Ministry of Agriculture and Textile Commissioner and his officials,

गए मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं, जिसके अभाव में आपका निगम समीक्षागत वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की सफलता बनाये रखने में सफल नहीं हो पाता ।

26.2 आपके निदेशकगण बैंक ऑफ बड़ौदा और संकाय के अन्य सदस्य बैंकों द्वारा निगम को समय पर दिए गए उनके सहयोग तथा मदद के प्रति आभारी हैं । आगे आपके निदेशकगण प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य लेखा परीक्षा मंडल - II और उनके कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान निगम को दिए गए उनके सहयोग के प्रति आभारी हैं ।

26.3 समीक्षागत वर्ष के लिए निगम के लेखों की परीक्षा करते समय निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स चौकसी एंड चौकसी कंपनी सनदी लेखापाल, मुंबई और मैसर्स प्रेम गुप्ता एंड कंपनी, सनदी लेखापाल, नई दिल्ली द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन के लिए आपके निदेशक आभारी हैं ।

26.4 आपके निदेशक नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन और उनकी सहायिकाओं, राज्य वस्त्र निगम, सहकारी स्पिनिंग मिलें तथा विभिन्न निजी मिलों के प्रति भी आभारी हैं, जिन्होंने वर्ष, 2010-11 के दौरान अपनी आवश्यकता की अधिकांश कपास, निगम से खरीदी और इस प्रकार गुणवत्ता, मूल्य-प्रतिस्पर्धा और निगम द्वारा दी गई सेवाओं पर विश्वास बनाये रखा हैं। कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (सीआयटीआय), कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राज्य भंडार निगम और केन्द्रीय भंडार निगम द्वारा निगम को दिए गए सहयोग के प्रति भी हम आभारी हैं ।

26.5 आपके निदेशक निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भी आभारी हैं, जिन्होंने सभी स्तरों पर अपना सहयोग, सघन प्रयत्न और कर्तव्यनिष्ठा बनाये रखी ।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(बी.के. मिश्र)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 25.07.2012

but for which, to maintain trends that were set earlier in the recent past with regard to working of the Corporation, would not have been possible in the year under review.

26.2 Thanks are also due to Bank of Baroda and other member banks of the Consortium for extending timely help and support to the Corporation. The Directors further desire to place on record their sincere thanks to the Principal Director of Commercial Audit and Ex-Officio Member Audit Board–II for their co-operation.

26.3 Your Directors gratefully acknowledge valuable suggestions and guidance given by the Statutory Auditors M/s Chokshi & Chokshi Co. Chartered Accountants, Mumbai and M/s Prem Gupta & Co. Chartered Accountants, New Delhi during the course of their audit of the accounts of the Corporation for the year under review.

26.4 Our grateful thanks are also due to the National Textile Corporation and its subsidiaries, the State Textile Corporations, Co-operative Spinning Mills and various Private Sector Mills who covered their cotton requirements from your Corporation during 2011-12 thus placing their faith in the quality, price competitiveness and service being rendered by the Corporation. Our sincere thanks are also due to the Confederation of Indian Textile Industry (CITI), Cotton Association of India, SWCs, CWC for the co-operation extended by these organization to the Corporation.

26.5 Your Directors thank all the Officers and staff of the Corporation for their co-operation, concerted efforts and dedication at all levels.

For and on behalf of the Board of Directors.

(B.K. MISHRA)
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR

Place: Navi Mumbai
Date: 25.07.2012

वर्ष 2011-12 के लिए निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट
ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT FOR THE YEAR 2011-12

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों का उत्तर :

लेखा परीक्षकों की टिप्पणी:

2. कंपनी द्वारा "आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियों" पर इंस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानक 29 (एएस.29) का अनुपालन नहीं किया गया है ।

   कंपनी ने पंजाब संरचना विकास तथा विनियमन अधिनियम 2002 (संशोधित) के अंतर्गत कपास खरीद के उपकर पर 2123.37 लाख रूपये के ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है । इसके परिणामस्वरूप 715.04 लाख रूपये की हानियों का अंडर स्टेटमेंट और वर्तमान देयताओं (नोट 12) के 2123.37 लाख रूपये का अंडरस्टेटमेंट तथा (लेखा के नोट्स सं.26.1. (iv) का संदर्भ देखें) आरक्षित और अधिशेष में 1408.33 लाख रूपये का ओवरस्टेटमेंट हुआ है।

प्रबंधन का उत्तर :

पंजाब राज्य ने दिनांक 11.7.2002 को अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक डीलर को कृषि उत्पाद की खरीद पर, जिसमें कपास भी शामिल है, 1% उपकर देना बाध्यकर होगा । इसे पंजाब संरचना विकास अधिनियम, 1998 तथा पंजाब संरचना विकास उपकर (कलेक्शन नियम) 1998 द्वारा अधिनियमित किया गया है । यह दिनांक 1.4.2005 से प्रभावी हो गया है । इस उपकर को दिनांक 1.4.2008 से 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है । इसे पंजाब तथा हरियाणा, उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में निगम द्वारा सिविल रिट पिटिशन-3713-2008 कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ पंजाब एण्ड अदर्स द्वारा चुनौती दी गई है । पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने सीडब्ल्यूपी 6676 /1999 फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ पंजाब एण्ड अदर्स के मामले में अपने दिनांक 22.6.2009 के निर्णय द्वारा इसका निपटान करते हुए, यह कहा है कि यह जजमेंट इस बैच से संबंधित सभी 112 रिट पिटिशन्स, जिसमें निगम भी शामिल है, का निपटान करता है ।

पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के निर्णय के विरूद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एसएलपी दायर किया गया है, जो अंतिम निर्णयन के लिए लंबित है ।

Reply to comments of Joint Statutory Auditors:

Comment of the Auditors:

2. The Company has not complied with the requirements of Mandatory Accounting Standard 29 (AS-29) issued by the Institute of Chartered Accountants of India on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets."

   The Company has not provided for interest towards cess on purchase of cotton under Punjab Infrastructure Development and Regulation Act, 2002 (Amended) amounting to Rs.2123.37 lakhs. This has resulted into understatement of losses by Rs. 715.04 lakhs and understatement of Other Current liabilities (Note 7) by Rs. 2123.37 lakhs and overstatement of Reserves and Surplus (Note 2) by Rs. 1408.33 Lacs (Also refer Note No.26.1(iv) to the Note 26)

Reply of the Management:

Punjab State issued Notification dated 11.7.2002 vide which it was provided that every Dealer shall be liable to pay infrastructure cess @1% on purchase of agricultural produce including cotton. It was enacted vide Punjab Infrastructure Development Act, 1998 and the Punjab Infrastructure Development Cess (Collection Rules), 1998. It was effective from 1.4.2005. The cess was increased from 1% to 2% with effect from 1.4.2008. It was challenged in the Punjab and Haryana High Court, Chandigarh by the Corporation in Civil Writ Petition – 3713-2008 titled Cotton Corporation of India Vs. State of Punjab & Others. The High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh, vide decision dated 22.6.2009 disposed off CWP 6676 of 1999 titled Food Corporation of India Vs. State of Punjab and another stating that this judgment shall also dispose of the connected batch of 112 writ petitions including that of the Corporation.

Against the judgment of Punjab and Haryana High Court, Chandigarh, SLP has been filed in the Hon'ble Supreme Court of India which is pending for final adjudication.

पंजाब संरचना उपकर से संबंधित 3946.62 लाख रूपये का बही खातों में प्रावधान किया गया है । ब्याज की राशि 2123.37 लाख रूपये बनती है, जिसमें 1865.74 लाख रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य परिचालन से और 257.63 लाख रूपये वाणिज्यिक कार्य परिचालन से संबंधित है, जिसका प्रावधान आकस्मिक देयताओं में, पैरा सं.26.1 (iv) के अधीन लेखा का भाग बनाने वाले नोट्स में नहीं किया गया है । न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन पर ब्याज की, यदि कोई वसूली योग्य होगा, तो उसकी प्रतिपूर्ति, भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य हानियों के भाग के रूप में की जायेगी ।

6 जनवरी 2011 को हुई लेखा परीक्षा समिति की बैठक में संयुक्त लेखा परीक्षकों की सलाह के अनुसार यह मामला उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भेजा गया था, जिसमें उनकी भी राय है कि ब्याज अपने स्वरूप में आकस्मिक है और निगम ने उसका आकस्मिक देयता में प्रावधान सही रूप में किया है । ब्याज की देयता पीआईडीआरए अधिनियम की धारा 25 (3) के प्रावधानों के रूप में उपार्जित नहीं होगी, जिसके अनुसार पंजाब वैट अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार किया गया है, जो ब्याज के भुगतान का प्रावधान बिल्कुल नहीं करते हैं । आगे ब्याज के शुल्क के लिए प्रावधान किए गए अधिनियम के अधीन कोई स्वतंत्र प्रावधान नहीं है और इसकी अनुपस्थिति में, पंजाब वैट अधिनियम के प्रावधान लगाते हुए कर अधिनियम के अधीन ब्याज की राशि वसूल नहीं की जा सकती है । इस मामले में 106-एसटीसी-460 में रिपोर्ट किए गए इंडिया कार्बन लि. बनाम असम राज्य (1997) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर निर्भर रहा जा सकता है ।

मामला 25 जुलाई 2012 को हुई लेखा परीक्षा समिति के मंडल की 22वीं बैठक के सामने रखा गया और समिति की भी यही राय थी कि इसी प्रकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उदाहरण को देखते हुए, ब्याज का बही खातों में प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। निदेशक मंडल ने भी पंजाब संरचना कर के ब्याज के गैर-प्रावधान पर लेखा परीक्षा समिति की स्फिारिशों को स्वीकार किया है ।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

(बी.के. मिश्र)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 25.7.2012

Punjab Infrastructure Cess amounting to Rs.3946.62 lakhs has been provided in the Books of Accounts. The amount of interest which works out to Rs. 2123.37 lakhs comprising of Rs.1865.74 lakhs pertaining to MSP operations and Rs. 257.63 lakhs of CP operations have not been provided in the Books but shown as Contingent Liability, in the Note – 26 Notes forming part of accounts under Para No. 26.1(iv). Interest if any leviable on MSP operations would be reimbursable by Govt. of India as part of MSP losses

As advised by the Joint Statutory Auditors in the Audit Committee Meeting held on 06th January 2011, the matter was referred to two Senior Advocates of High Court, wherein, they also opined that the interest on the Cess amount is contingent in nature and the Corporation has correctly provided for the same in the contingent liability. The liability for the interest may not accrue as provisions of section 25(3) of the PIDRA Act, according to which the provisions of the Punjab VAT Act have been extended, do not provide for the payment of interest at all. Further, there is no independent provision under the act provided for the levy of interest and in the absence of the same, the amount of interest cannot be recovered under the Cess Act by applying provisions of the Punjab VAT Act. Reliance in this regard is placed upon the Judgment of Hon'ble Supreme Court in the case of India Carbon Ltd. vs State of Assam reported in (1997) 106-STC460.

The matter was placed before the Audit Committee of Board in its 22nd meeting held on 25th July 2012 and committee was also of the opinion that in view of precedent of Supreme Court judgment in another similar type of case, interest need not to be provided in the books of accounts. The Board of Directors has also accepted the recommendations of Audit Committee's on non provision of interest on Punjab Infrastructure Cess.

For and on behalf of the Board of Directors.

(B.K. MISHRA)
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR

Place: Navi Mumbai
Date: 25.07.2012

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
AUDITOR'S REPORT

सदस्य
भारतीय कपास निगम लि.
नवी मुंबई

हमने भारतीय कपास निगम लिमिटेड (दि कंपनी), नवी मुंबई की 31 मार्च, 2012 को संलग्न तुलन पत्र की तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के संलग्न लाभ तथा हानि खाते और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी की भी लेखा परीक्षा की है । इन वित्तीय विवरणियों की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है । हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करना है ।

हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसरण में लेखा परीक्षा की है । इन मानकों की अपेक्षा के अनुसार हम इस प्रकार से योजना बनाते हैं और लेखा परीक्षा करते हैं कि क्या वित्तीय विवरणियाँ मटेरियल मिस-स्टेटमेंट से मुक्त हैं । लेखा परीक्षा की जाँच में परीक्षण के आधार पर, राशियों के समर्थन में प्रमाण और वित्तीय विवरणियों में उसकी अभिव्यक्ति शामिल है । लेखा परीक्षा में लेखा नीतियों का निर्धारिण भी शामिल किया जाता है और प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण आकलन के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरणी प्रस्तुतीकरन का मूल्यांकन किया जाता है । हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा हमारे विचारों को उचित आधार देती है ।

हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं :

1. कंपनीज अधिनियम, 1956(अधिनियम) की धारा 227 (4ए) द्वारा जारी कंपनीज. (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003(संशोधित) की अपेक्षा के अनुसार हम कथित आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषय पर एक विवरणी, परिशिष्ट में संलग्न करते हैं ।
2. आगे, उपर्युक्त पैरा 1 के परिशिष्ट में संदर्भित हमारी टिप्पणी में हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने भारत के सनदी लेखा परीक्षा संस्थान द्वारा जारी किए गए अनिवार्य लेखा मानदंड 29(एएस-29) की आवश्यकताओं का अनुपालन "प्रावधानों, समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्ति" पर नहीं किया है :-

The Members
The Cotton Corporation of India Limited,
Navi Mumbai.

We have audited the attached Balance Sheet of The Cotton Corporation of India Limited (the Company), Navi Mumbai as at 31st March 2012 and the annexed statement of Profit & Loss Account of the Company for the year ended on that date and also the Cash Flow Statement for the year ended on that date. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with Auditing Standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

We report as follow:

1. As required by the Companies (Auditors Report) Order 2003 (as amended), issued by the Central Government of India under Section 227(4A) of the Companies Act, 1956 (the Act), we enclose in the annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 & 5 of the said order.
2. Further to our comments in the Annexure referred to in paragraph 1 above, we report that *the Company has not complied with the requirements of Mandatory Accounting Standard 29 (AS-29) issued by the Institute of Chartered Accountants of India on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets."*

कंपनी ने पंजाब संरचना विकास और विनियम अधिनियम 2002(संशोधित) के अंतर्गत कपास की खरीद पर कर और ब्याज के लिए प्रावधान नहीं किया है, जो 2123.37 लाख रूपये की राशि है । इसके फलस्वरूप 715.04 लाख रूपये की अंडर स्टेटमेन्ट की हानि आती है और 2123.37 लाख रू. की राशि द्वारा वर्तमान देयताओं (नोट-7) की अंडर स्टेटमेन्ट आती है तथा 1408.33 लाख रू. की राशि द्वारा आरक्षित और अधिशेष की (नोट-2) की ओवर स्टेटमेन्ट आती है । (लेखा के नोट्स की नोट 26 का नोट नं. 1(iv) देखें)।

3. उपर्युक्त के आगे, हम रिपार्ट करते हैं :-

क) हमने अपनी लेखा परीक्षा के उदेश्य के लिए आवश्यक, सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं;

ख) हमारे विचार में, निगम ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा की उचित बहियाँ रखी हैं, जो हमारे द्वारा परीक्षित बहियों से ज्ञात होता है ;

ग) इस रिपोर्ट द्वारा तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी कंपनी के खाता बहियों के साथ मेल खाते हैं ;

घ) हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरणी उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित को छोड़कर कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में संदर्भित अनिवार्य लेखा मानक का अनुपालन करते हैं ।

ङ) वित्त मंत्रालय (कंपनी कार्यकलाप विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः जी.एस.आर. 829(ई) दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 को देखते हुए कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (जी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है ।

4. *हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि उपरोक्त पैरा 2 में हमारे द्वारा की गयी टिप्पणियों पर विचार किया गया है, वर्ष के लिए अवधि समायोजन से पहले शुद्ध हानि और कर 19164.38 लाख रू. होगा । (जो बतायी गयी हानि के आंकड़ों 18449.34 लाख रूपये के विरूद्ध है), वर्तमान देयताएँ (नोट-7) 11715.63 लाख रूपये होंगी (जो बताये गये आंकड़ों 9592.26 लाख रूपये के विरूद्ध है), तथा आरक्षित और अधिशेष (नोट-2) 13569.63 लाख रूपये होंगे (जो बताये गए आंकड़ों 14977.96 लाख रूपये के विरूद्ध है)।*

The Company has not provided for interest towards cess on purchase of cotton under Punjab Infrastructure Development and regulation Act, 2002(Amended) amounting to Rs.2123.37 lakhs. This has resulted into under statement of losses by Rs. 715.04 lakhs and understatement of Other Current liabilities (Note 7) by Rs. 2123.37 lakhs and overstatement of Reserves and Surplus (Note 2) by Rs. 1408.33 Lacs (Also refer Note No.26.1(iv) to the Note 26)

3. Further to above, we report that:-

a) We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary to the purpose of our audit.

b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of books.

c) The Balance Sheet, Statement of Profit & Loss account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts of the Company.

d) In our opinion, the Balance Sheet, Statement of Profit & Loss account and the Cash Flow Statement dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in sub section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956 except as mentioned in paragraph 2 above

e) The provisions of Section 274(1) (g) of the Companies Act, 1956 are not applicable to the Company in view of Notification No.G.S.R. 829(E) dated 21st October 2003, issued by the Ministry of Finance (Department of Company Affairs).

4) *We further report that, had the observations made by us in paragraph 2 above been considered, the Net Loss for the year before tax would have been Rs. 19164.38 lakhs (as against the reported Loss figure of Rs. 18449.34 lakhs), Other Current Liabilities (Note 7) would have been Rs. 11715.63 lakhs (as against the reported figures of Rs.9592.26 lakhs) and Reserves and Surplus (Note 2) would have been Rs. 13569.63 lakhs (as against the reported figures of Rs.14977.96 lakhs.) .*

हमारी राय और हमारी जानकारी के अनुसार *पैराग्राफ 2 तथा 4* के अधीन हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कथित लेखा उस पर पठित के साथ और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की नोट 25, कंपनीज अधिनियम 1956 की अपेक्षा के अनुसार आवश्यक जानकारी देते है और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार सही और उपयुक्त चित्र देते हैं ।

i) 31 मार्च, 2012 को निगम के काम-काज की स्थिति के तुलन-पत्र के मामले में

ii) इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लाभ एवं हानि के खाता विवरणी के मामले में हानि तथा

iii) इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी के नकदी प्रवाह के मामले में ।

Subject to the paragraph 2 & 4, in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said accounts read with the notes thereon and note 25 of significant accounting policies give the information required by the Companies Act, 1956 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.

i) In the case of the Balance Sheet of the state of affairs, of the Company as at 31st March 2012.

ii) In the case of the Statement of Profit & Loss Account, of the loss of the Company for the year ended on that date; and

iii) In the case of Cash Flow Statement, of the Cash flows for the year ended on that date.

कृते चौक्सी एंड चौक्सी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं
101872W

हस्ता/-
(कनु चौक्सी)
भागीदार
एम नं. 17085

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं
000425N

हस्ता/-
(प्रेम बिहारी गुप्ता)
भागीदार
एम नं. 80245

दिनांक : 25 जुलाई, 2012
स्थान : नई दिल्ली

For CHOKSHI & CHOKSHI
Chartered Accountants
Firm Registration No.
101872W

Sd/-
(Kanu Chokshi)
Partner
M. No. 17085

For PREM GUPTA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No.
000425N

Sd/-
(Prem Behari Gupta)
Partner
M. No. 80245

Date: 25th July, 2012
Place: New Delhi

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षकों की समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के पैरा 1 में संदर्भित .

1. (क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों की स्थिति और मात्रात्मक विवरण के साथ पूरे ब्यौरे दर्शाने वाले उचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है ।

   (ख) जैसा हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, प्रबंध व्यवस्था ने वर्ष के अंत में अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया था । इस प्रकार के सत्यापन में कोई वास्तविक विसंगति नहीं पायी गयी है ।

   (ग) हमारी राय और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों के किसी उल्लेखनीय भाग का निपटान नहीं किया गया ।

2. (क) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि वर्ष के अंत में स्वतंत्र सत्यापक द्वारा मालसूची का उचित अंतराल पर वास्तविक सत्यापन किया गया है । हमारी राय में, मालसूची की मात्रा को देखते हुए सत्यापन की आवृत्ति उचित है ।

   (ख) प्रबंधन व्यवस्था द्वारा मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए अपनायी गयी कार्यविधि कंपनी के आकार तथा इसके कार्य-कलाप के स्वरूप के अनुसार उचित तथा पर्याप्त है ।

   (ग) जैसा हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कंपनी मालसूची का उचित रिकार्ड रख रही है । जहां तक मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान पायी गयी विसंगतियों का संबंध है, हमें यह जनकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है कि कंपनी के परिचालन से संबंधित कोई विसंगतियाँ नहीं पायी गयी थी और उन्हें बही लेखों में उचित रूप से किया गया है ।

3. कंपनी ने कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में निहित के अनुसार कंपनियों, फर्मस् या अन्य पार्टियों को/से किसी भी प्रकार का रक्षित

ANNEXURE TO AUDITOR'S REPORT

Refer to in Paragraph 1 of our report of even date (For the year ended 31st March, 2012)

1. (a) The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.

   (b) As explained to us, the management has carried out physical verification of fixed assets at the year end. No material discrepancies were noticed on such verification.

   (c) In our opinion and according to the information and explanation given to us, a substantial part of fixed assets has not been disposed off by the Company during the year.

2. (a) As explained to us, the inventories have been physically verified at reasonable intervals by the Independent Stock Verifiers at the year end. In our opinion, having regard to the volume of the inventories, the frequency of verification is reasonable.

   (b) The procedure of physical verification of inventory followed by the management is reasonable and adequate in relation to the size of the Company and the nature of its business.

   (c) As explained to us and in our opinion the Company is maintaining proper records of inventory. So far as the discrepancies noticed during the course of physical verification of inventories are concerned it has been informed and explained to us that the discrepancies were not material in relation to the operation of the Company and the same have been properly dealt with in the books of accounts.

3. The Company has not granted or taken any loans, secured or unsecured to/from Companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301

या अरक्षित ऋण न तो प्रदान किया है और न ही लिया है । तद्नुसार, आदेश का खंड (iii) (क) से (iii) (छ) कंपनी पर लागू नहीं है ।

4. हमारी राय तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूची तथा अचल परिसंपत्तियों की खरीद और माल बिक्री के संबंध में आंतरिक नियंत्रण कार्यविधियों को तथा सेवाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है । आगे, हमारी लेखा परीक्षा के दौरान, हमें ऐसी कोई बात न तो ध्यान में आयी है और न ही सूचित की गई है, जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई बड़ी कमजोरी बताती हो ।

5. हमारी राय तथा हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान ऐसा कोई सौदा नहीं हुआ है जिसे कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में प्रविष्टि की आवश्यकता हो ।

6. कपनी ने अधिनियम की धारा 58एए तथा 58एए या अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है ।

7. हमारी राय में, कंपनी की आंतरिक लेखा पद्धति को और मजबूत करने की आवश्यकता है जो लेखा परिक्षाकी स्वतंत्रता और लेखा परीक्षा के क्षेत्र के संदर्भ में ताकि वह कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय स्वरूप के अनुरूप हो, विशेषतः आंतरिक लेखा परीक्षा स्टाफ अन्य कार्यालयीन कार्य में व्यस्त होते है, जिसके फलस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

8. हमने कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनीज (लागत लेखाविधि रिकार्ड) नियमावली 2011 के अनुसरण में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लागत रिकार्ड की समीक्षा की है और हमारी राय में निर्धारित रिकार्ड प्रथम दृष्टिया अनुरक्षित किया गया है । तथापि हमने लागत रिकार्ड का विस्तृत परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए नहीं किया है कि क्या वे सही या पूर्ण है ।

of the Companies Act, 1956. Accordingly clauses (iii) (a) to (iii) (g) of the Order are not applicable to the Company.

4. *In our opinion and according to the information and explanations given to us, the internal control procedures with regard to the purchase of inventory and fixed assets and sale of goods and services needs to be further strengthened.* Further during the course of our audit, we have neither come across nor informed of any major weakness in the internal controls.

5. In our opinion, and accordingly to the information and explanations given to us, there is no transaction during the year under audit that need to be entered into the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956. Accordingly para (v) (b) of the Order is not applicable to the Company

6. The Company has not accepted any deposits from the public within the meaning of Sections 58A and 58AA of the Act or any relevant provisions of the Act.

7. *In our opinion, Internal Audit System of the Company needs to be further strengthened w.r.t Independence of Auditors and Scope of Audit, to make it commensurate with the size of the Company and nature of its business, more particularly the internal audit staff is also occupied with other office work resulting into conflict of interest.*

8. We have broadly reviewed the Cost Records maintained by the Company pursuant to the Companies (Cost Accounting Record) Rules, 2011 prescribed by Central Government under Section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956 and are of the opinion that *prima facie* the prescribed records has been maintained. We have, however, not made a detailed examination of the Cost Records with a view to determine whether they are accurate or complete.

9. (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा जांचे गये कंपनी के रिकार्ड के आधार पर हमारी राय में कंपनी भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, कार्य संविदा कर, शुल्क तथा अन्य प्रमुख सांविधिक देय राशि, अविवादित सांविधिक देय राशि उपयुक्त प्राधिकारियों के पास, जैसा कि लागू हो, सामान्यतः नियमित रूप से जमा कर रही है और संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर कोई अविवादित बकाया सांविधिक राशि नहीं है जो देय तारीख से 6 माह से अधिक समय के लिए बकाया हो ।

(ख) कंपनी के रिकार्ड और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, बिक्री कर/वैट/सेवा कर/आयकर/ संरचना कर के मामलों के खाते पर निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार बकायों को विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हैं :-

9. (a) According to the information and explanation given to us and on the basis of the records of the Company examined by us, in our opinion, the Company is generally regular in depositing the undisputed statutory dues including provident fund, income tax, sales tax, work contract tax, cess and other material statutory dues, as applicable, with the appropriate authorities and there are no outstanding undisputed statutory dues as at the last day of the financial year concerned, for a period of more than six months from the date they became payable.

(b) According to the records of the Company and information and explanations given to us, the following are the particulars of dues on account of Sales Tax/VAT/ Service Tax/Income Tax/Infrastructure Cess matters that have not been deposited on account of dispute.

सांविधिक का नाम Name of the Statute	देय राशि का प्रकार Nature of dues	जमाराशि जो विवाद के अंतर्गत अभी तक जमा नहीं की गई है (रु. लाख में) Amount under dispute not yet deposited (Rs. in lakh)	राशि से संबंधित अवधि (निर्धारण वर्ष) Period to which the amount relates (Assessment Year)	किस फोरम पर विवाद लंबित है Forum where dispute is pending.
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax	खरीद कर के अंतर्गत मांग Demand under Purchase Tax	60.29	1996-97	बिक्री कर ट्रिबुनल, विशाखापटनम में अपील Appeal in Sales Tax Tribunal, Visakhapatnam
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales tax	4.06	1980-81. 1981-82 1989-90 & 1992-93	पुनः निर्धारण के लिए अपील दुबारा भटिंडा बिक्री कर कार्यालय भेजा गया Appeal remanded back for reassessment at Bhatinda Sale Tax Office
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax	आरंभिक स्टॉक पर निवेश जमा का डिसऑलाऊंस - Disallowance of input Credit on opening stock	53.36	2006-07	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के पास अपील Appeal with Rajasthan Tax Board, Ajmer
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत ब्याज की मांग Interest demand under Sales Tax	1.17	2001-02	बिक्री कर अपीलेट ट्रिबुनल विशाखापटनम के पास अपील Appeal with Sales Tax Appellate Tribunal, Vishakapatnam
पंजाब इन्फ्रास्ट्रैक्चर (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 2002 Punjab Infrastructure (Developoment & Regulation) Act 2002	पंजाब इन्फ्रास्ट्रैक्चर सेस Punjab Infrastructure Cess	3946.62	2005-06 to 2010-11	सर्वोच्च न्यायालय के पास एस.एल.पी. दायर की है . Special Leave Petition filed with Hon'ble Supreme Court.
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales tax	0.88	2008-09	सह-आयुक्त, बिक्री कर, कोलकाता के पास अपील Appeal with Joint Commissioner of Sales Tax, Kolkata
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales tax	3.97	2005-06	सह-आयुक्त, बिक्री कर, कटक ओडिसा के पास अपील Appeal with Joint Commissioner of Sales Tax, Orissa, Cuttack
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales tax	1.53	2006-07	सह-आयुक्त, बिक्री कर, कटक ओडिसा के पास अपील Appeal with Joint Commissioner of Sales Tax, Orissa, Cuttack

सांविधिक का नाम **Name of the Statute**	देय राशि का प्रकार **Nature of dues**	जमाराशि जो विवाद के अंतर्गत अभी तक जमा नहीं की गई है (रु. लाख में) **Amount under dispute not yet deposited (Rs. in lakh)**	राशि से संबंधित अवधि (निर्धारण वर्ष) **Period to which the amount relates (Assess-ment Year)**	किस फोरम पर विवाद लंबित है **Forum where dispute is pending.**
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	धारा 200 ए के अंतर्गत U/s 200A	1.03	2008-09	आयकार आयुक्त, इंदौर के पास अपील Appeal with Commissioner of Income Tax, Indore
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	धारा 200 ए के अंतर्गत U/s 200A	176.27	2006-07 to 2010-11	आयकार आयुक्त, मुंबई के पास अपील Appeal with Commissioner of Income Tax, Mumbai
राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	नियम 44 तथा 45 के अंतर्गत गलत गणना Wrong calculation Under rule 44 and 45	201.95*	1994-95	उप आयुक्त, व्यापार कर, अहमदाबाद के पास अपील Appeal with Dy. Commissioner, Commercial Tax, Ahmedabad
	कुल / Total	**4451.13**		

* यह राशि बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के लिए निगम को देय वापसी राशि के विरूद्ध समायोजित की गयी है ।

* The amount has been adjusted by the sales tax authorities against the refund due to the Corporation for the Assessment Year 1995-96 and 1996-97

10. 31 मार्च, 2012 को कंपनी की संचित हानियाँ इसके शुद्ध मालिकियत के 50% से अधिक नहीं है । *तथापि, कंपनी ने 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान तथा तत्काल पहले के वर्ष यानि 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष में नकद हानि अर्जित की है ।*

11. हमारे द्वारा कंपनी के जाँच किए गए रिकार्ड और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक या डिबेंचर्स को देय राशि की चुकौती में तुलन-पत्र की तारीख तक कोई चूक नहीं की है ।

12. कंपनी ने शेयर्स, डिबेंचर्स तथा अन्य सिक्यूरिटीज को गिरवी रखकर किसी प्रकार का ऋण प्रदान नहीं किया है ।

13. कंपनी कोई चिटफंड अथवा निधि म्युचुअल बेनिफिट फंड/ सोसायटी नहीं है । अतः आदेश के खंड (xiii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं ।

14. जैसी सूचना दी गई है, कंपनी शेयर्स में कार्य या व्यापार नहीं कर रही है, सिक्यूरिटीज, डिबेंचर्स तथा अन्य निवेश में डीलिंग या व्यापार नहीं करती है । अतः आदेश के खण्ड (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं ।

15. हमारे विचार में तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान अन्य द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है ।

16. जैसे हमें सूचित किया गया कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई आवधिक ऋण नहीं लिया गया है/उठाया गया है ।

17. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र रूप से जाँच के बाद हम रिपोर्ट करते हैं कि लघु अवधि के आधार पर लिए गए ऋणों को प्रत्यक्षतः दीर्घावधि निवेश के लिए उपयोग में नहीं लाया गया है ।

18. कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखी गई पंजियों में शामिल पार्टियों तथा कंपनियों को वर्ष के दौरान कंपनी ने अधिमानी शेयर्स का आबंटन नहीं किया है ।

19. कंपनी ने कोई डिबेंचर्स जारी नहीं किये हैं । अतः सिक्यूरिटी का सृजन या डिबेंचर्स के संबंध में चार्ज करने का प्रश्न नही उठता है ।

10. As at 31st March 2012, the accumulated losses of the Company are not more than 50% of its net worth. *However, The Company has incurred cash loss during the year ended 31st March 2012 as well as in the immediately preceding year i.e. year ended 31st March 2011.*

11. According to the records of the company examined by us and the information and explanation given to us, the Company has not defaulted in the repayment of dues to any financial institution or banks or debenture holders as at the Balance sheet date.

12. The Company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.

13. The Company is not a Chit fund or a Nidhi / Mutual Benefit Fund/Society. Therefore, the provisions of clause (xiii) of the Order are not applicable to the Company.

14. As informed, the Company is not dealing or trading in Shares, securities, Debentures and other investments..Therefore, the provisions of clause (xiv) of the Order are not applicable to the Company.

15. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions during the year.

16. As informed to us, No term loans has been taken/ raised by the Company during the year.

17. According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the Balance Sheet of the Company, we report that funds raised on short term basis, have *prima facie*, not been used for long term investment.

18. The Company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.

19. The Company has not issued any debentures. Therefore, the question of creation of security or charge in respect of debentures does not arise.

20. पब्लिक इश्यू से संबंधित प्रावधान कंपनी के लिए लागू नही है, क्योंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू द्वारा किसी प्रकार की राशि प्राप्त नही की है ।

21. हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गयी जानकारी अैर स्पष्टीकरण के अनुसार किसी प्रकार की जालसाजी/फ्रॉड, कंपनी पर या द्वारा न सूचित की गयी और न ही रिपोर्ट की गयी है ।

20. The provisions relating to Public issue are not applicable to the Company, since the Company has not raised any money by way of public issues during the year.

21. Accordingly to information and explanations given to us, no fraud on or by the company has been noticed or reported during the course of our audit.

कृते चौक्सी एंड चौक्सी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं
101872W

हस्ता/-
(कनु चौक्सी)
भागीदार
एम नं. 17085

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं
000425N

हस्ता/-
(प्रेम बिहारी गुप्ता)
भागीदार
एम नं. 80245

दिनांक : 25 जुलाई, 2012
स्थान : नई दिल्ली

For CHOKSHI & CHOKSHI
Chartered Accountants
Firm Registration No.
101872W

Sd/-
(Kanu Chokshi)
Partner
M. No. 17085

For PREM GUPTA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No.
000425N

Sd/-
(Prem Behari Gupta)
Partner
M. No. 80245

Date: 25th July, 2012
Place: New Delhi

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2012

कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय मानदंडों के अनुसार 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लि. की वित्तीय विवरणी तैयार करना कंपनी की प्रबंधन व्यवस्था का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अधीन नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो लेखा परीक्षा के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षा और उनकी व्यावसायिक निकाय इंस्टिटयूट ऑफ चार्टेड एकाऊंटेन्टस् ऑफ इंडिया दारा निर्धारित आश्वासन मानदंड पर आधारित है। यह उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट 25 जुलाई 2012 द्वारा बताया गया है।

नियंत्रक और भारत के महा लेखा परीक्षक की ओर से, मैंने भारतीय कपास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपार्ट की समीक्षा न करने का निर्णय लिया है और इसलिए कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन कोई टिप्पणी नहीं है ।

कृते और नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता/-

(नयना अ. कुमार)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं

पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा मंडल - II , नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 3 अगस्त, 2012

The preparation of financial statement of The Cotton Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2012 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on the independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 25 July, 2012.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to review the report of the Statutory Auditors` on the accounts of The Cotton Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2012 and as such have no comments to make under section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

sd/-

(Naina A. Kumar)

Principal Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board - II,
New Delhi

Place: New Delhi
Date : 03 August, 2012

31 मार्च, 2012 का तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2012

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	नोट Note	दि 31.3.2012 को As at 31.03.2012	दि.31.3.2011 को As on 31.03.2011
(I) ईक्विटी एवं देयताएँ EQUITY AND LIABILITIES			
(1) शेयरधारकों की निधि / Shareholders' Funds			
(क) शेयर पूँजी / (a) Share Capital	1	2500.00	2500.00
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष / (b) Reserve and Surplus	2	14977.96	32967.24
(ग) शेयर वारंटस के विरूद्ध प्राप्त धन (c) Money Received against Share Warrants			
(2) आबंटन लम्बित शेयर आवेदन राशि Share Application Money Pending Allotment		-	-
(3) गैर चालू दायित्व Non-current Liabilities			
(क) दीर्घावधिक उधार / (a) Long-Term Borrowings		-	-
(ख) आस्थगित कर देयताएँ / (b) Deferred tax Liabilities		-	-
(ग) अन्य दीर्घावधिक देयताएँ / (c) Other Long Term liabilities	3	370.24	440.89
(घ) दीर्घावधिक प्रावधान / (d) Long term Provisions	4	2650.39	1818.78
(4) चालू दायित्व Current Liabilities			
(क) अल्पावधिक ऋण / (a) Short-term borrowings	5	6575.00	178500.00
(ख) व्यापारिक देयताएँ / (b) Trade Payables	6	3366.23	1734.97
(ग) अन्य वर्तमान देयताएँ / (c) Other current liabilities	7	9592.26	21541.76
(घ) अल्पावधिक प्रावधान / (d) Short-term provisions	8	1655.32	1571.24
कुल / TOTAL		**41687.40**	**241074.88**
(II) परिसंपत्तियाँ ASSETS			
(1) गैर चालू परिसंपत्तियॉ Non-current Assets			
(क) अचल परिसंपत्तियाँ (शुद्ध) (a) Fixed Assets (Net)	9		
(i) मूर्त परिसंपत्तियाँ / Tangible Assets		5274.57	5130.57
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियाँ / Intangible Assets		191.10	1.86
(iii) पूँजीगत कार्य प्रगति पर / Capital Work-in-progress		276.09	245.69
(iv) विकास अधीनअमूर्त परिसंपत्तियाँ Intangible Assets under Development		-	28.12
(ख) गैर चालू निवेश (b) Non-Current Investments	10	0.01	0.01
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध) (c) Deferred Tax Assets (Net)	11	1671.77	1383.28

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	नोट Note	दि 31.3.2012 को As at 31.03.2012	दि.31.3.2011 को As on 31.03.2011
(घ) दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम (d) Long-term Loans and Advances	12	949.26	873.55
(च) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियॉ (e) Other Non-Current Assets	13	190.48	187.25
(2) वर्तमान परिसंपत्तियॉ Current Assets			
(क) वर्तमान निवेश / (a) Current Investments		-	-
(ख) माल सूचियाँ / (b) Inventories	14	21813.54	157124.78
(ग) व्यापार प्राप्य / (c) Trade Receivables	15	7269.17	18907.39
(घ) नकद और नकद समकक्ष (d) Cash and cash equivalents	16	367.73	50560.44
(च) अल्पावधिक ऋण और अग्रिम (e) Short-term Loans and Advances	17	2407.92	3035.51
(छ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ (f) Other Current Assets	18	1275.76	3596.43
कुल / TOTAL		**41687.40**	**241074.88**

1 से 26 तक लेखा नीतियाँ और नोटस वित्तीय विवरणियों का एक समाकलित भाग बनाते हैं
Accounting Policies and Notes 1 to 26, form an integral part of the Financial Statements.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
(बी. के. मिश्र)	(सी.एस. तेवतिया)	(प्रदीप कुमार अग्रवाल)	(मनोज बजाज)
(B. K. Mishra)	(C.S. Teotia)	(Pradeep Kumar Agarwal)	(Manoj Bajaj)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (विपणन)	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक(वित्त)
Chairman-cum-Managing Director	Director (Marketing)	Director (Finance)	Company Secretary-cum-General Manager (Finance)

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते चौक्सी एंड चौक्सी
For Chokshi & Chokshi
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(कनु चौक्सी)
(Kanu Chokshi)
भागीदार
Partner

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
For Prem Gupta & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(प्रेम बिहारी गुप्ता)
(Prem Behari Gupta)
भागीदार
Partner

दिनांक : 25-07-2012
स्थान : नई दिल्ली

Date : 25-07-2012
Place : New Delhi

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि लेखा
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	नोट Note	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011
I. परिचालनों से राजस्व Revenue from Operations	19	176560.52	276792.28
II. अन्य आय Other income	20	3621.90	1734.82
III. कुल राजस्व (I+II) Total Revenue (I+II)		**180182.42**	**278527.10**
IV. व्यय Expenses			
(क) उपभोग की गई सामग्री की लागत			
(a) Cost of Material Consumed			
- कच्चा माल / Raw Material		44242.62	311769.39
- पैकिंग माल / Packing Materials		122.20	410.61
- तारपोलीन / Tarpulins		504.88	470.98
(ख) व्यापार के माल की खरीद			
(b) Purchase of Stock In Trade		21.45	348.82
(ग) तैयार माल, व्यापारिक स्टॉक तथा प्रक्रियागत स्टॉक की माल सूचियों में परिवर्तन			
(c) Changes in Inventories of Finished Goods, W.I.P. , Stock In Trade	21	135865.74	(63529.57)
(घ) कर्मचारी लाभ व्यय			
(d) Employee Benefit Expenses	22	7780.08	6793.28
(च) वित्त लागत			
(e) Finance Cost	23	5823.20	8672.92
(छ) मूल्यहास और परिशोधन व्यय			
(f) Depreciation and Amortization Expenses		343.12	238.01
(ज) अन्य व्यय			
(g) Other Expenses	24	3928.47	13691.7
मूल व्यय / Total Expenses		**198631.76**	**278866.16**
V. अपवादात्मक और असाधारण मदों से पहले लाभ/(हानि) तथा कर (III-IV) Profit/ (Loss) before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)		(18449.34)	(339.06)
VI. अपवादात्मक मदें Exceptional items		0	0
VII. अपवादात्मक मदों से पहले लाभ/(हानि) और कर (V-VI) Profit/(Loss) before Extraordinary items and Tax (V-VI)		(18449.34)	(339.06)
VIII. असाधारण मदें Extraordinary Itmes		0	0

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	नोट Note	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011
IX. कर से पहले लाभ Profit Before Tax		(18449.34)	(339.06)
X. कर व्यय Tax Expenses			
(क) वर्तमान कर / (a) Current Tax		0.00	43.00
(ख) आस्थगित कर / (b) Deferred Tax		(288.49)	(215.17)
(ग) बट्टे खाते कराधान के लिए अधिक प्रावधान (c) Excess Provision For Taxation Written Back		(171.57)	(71.03)
XI. कर के बाद लाभ/(हानि) (IX-X) Profit/(Loss) after Tax (IX-X)		(17989.28)	(95.86)
100% प्रति के अंकितमूल्य की प्रति ईक्विटी शेयर आय/(हानि) Earnings/(Loss) per equity share of face value of Rs. 100 each			
मूलभूत और तनुकृत Basic and Diluted		(719.57)	(3.83)

1 से 26 तक लेखा नीतियाँ और नोटस वित्तीय विवरणियों का एक समाकलित भाग बनाते हैं
Accounting Policies and Notes 1 to 26, form an integral part of the Financial Statements.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

Sd/- (बी. के. मिश्र) (B. K. Mishra) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director	Sd/- (सी.एस. तेवतिया) (C.S. Teotia) निदेशक (विपणन) Director (Marketing)	Sd/- (प्रदीप कुमार अग्रवाल) (Pradeep Kumar Agarwal) निदेशक (वित्त) Director (Finance)	Sd/- (मनोज बजाज) (Manoj Bajaj) कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक(वित्त) Company Secretary-cum-General Manager (Finance)

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते चौक्सी एंड चौक्सी
For Chokshi & Chokshi
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(कनु चौक्सी)
(Kanu Chokshi)
भागीदार
Partner

दिनांक : 25-07-2012
स्थान : नई दिल्ली

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
For Prem Gupta & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(प्रेम बिहारी गुप्ता)
(Prem Behari Gupta)
भागीदार
Partner

Date : 25-07-2012
Place : New Delhi

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2012

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(A) Cash Flow from Operating Activities		
कराधान के पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) तथा असाधारण मदें Net Profit Before Taxation and extraordinary items	(18,449.34)	(339.06)
समायोजन के लिए **Adjustment for**		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय Depreciation & Amortization Expenses	343.12	238.01
ब्याज व्यय Interest Expenses	5,823.20	8,672.92
ब्याज आय Interest Income	(1,312.38)	(388.22)
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री/निकालने पर हानि Loss on Sale/Discard of Fixed Assets	2.60	7.60
कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ **Operating Profit Before Working Capital Changes**	**(13,592.80)**	**8,191.25**
कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन के लिए समायोजन **Adjustment for change in Working Capital**		
व्यापार प्राप्ति योग्य में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Trade Receivables	11,638.22	(15,798.69)
मालसूची में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Inventories	135,311.24	(63,259.99)
अल्पावधि ऋण और अग्रिम में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Short Term Loans and Advances	627.59	(1,706.83)
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Other Current Assets	2,320.67	118,352.84
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Long Term Loans and Advances	(24.21)	8,394.41
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियॉ में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Other Non-current Assets	(3.23)	(187.24)
व्यापार भुगतान योग्य में वृद्धि / (कमी) Increase / (Decrease) in Trade Payables	1,631.26	(1,476.25)
अन्य वर्तमान देयताएँ में वृद्धि / (कमी) Increase / (Decrease) in Other Current Liabilities	(11,949.50)	11,102.78
अल्पावधि प्रावधान में वृद्धि / (कमी) Increase / (Decrease) in Short term Provisions	84.08	(7,660.13)

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011
अन्य गैर चालू देयताएँ में वृद्धि / (कमी) Increase/ (Decrease) in Other Non- current Liabilities	(70.65)	(1,042.20)
दीर्घावधि प्रावधान में वृद्धि / (कमी) Increase/ (Decrease) in Long term Provisions	831.61	(324.10)
परिचालन से निर्मित नकद / (उपयोग में) **Cash Generated from / (used in) Operations**	**126,804.28**	**54,585.85**
प्रदत्त कर (वापसी का शुद्ध) Taxes Paid (Net of Refund)	(51.50)	(331.20)
बट्टे खाते डाले गये आय कर के लिए अधिक प्रावधान Excess Provision for Income Tax written back	171.57	71.03
परिचालन गतिविधियाँ से शुद्ध नकद प्रवाह **Net Cash from Operating Activities**	**126,924.35**	**54,325.68**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह **(B) Cash Flow from Investing Activities**		
अचल परिसंपत्तियों की खरीद जिसमें अमूर्त परिसंपत्तियाँ, पूँजी कार्य प्रगति पर और पूँजी अग्रिम शामिल है Purchase of Fixed Assets, Including Intangible assets, Capital WIP and Capital advances	(682.84)	(255.02)
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री जिसमें अमूर्त परिसंपत्तियाँ, पूँजी कार्य प्रगति पर और पूँजी अग्रिम शामिल है Sale of Fixed Assets, Including Intangible assets, Capital WIP and Capital advances	1.60	5.16
प्राप्त ब्याज Interest Received	1,312.38	388.22
शुद्ध नकद प्रवाह (उपयोग में) निवेश गतिविधियाँ (ख) **Net Cash Flow/ (Used in) Investing Activities (B)**	**631.14**	**138.36**
ग) वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह **(C) Cash Flow from Financing Activities**		
अल्पावधिक उधार (शुद्ध) से प्राप्त राशि / (चुकौती) Proceed from / (Repayment of) Short Term Borrowings (Net)	(171,925.00)	3,800.00
प्रदत्त ब्याज Interest Paid	(5,823.20)	(8,672.92)
ईक्विटी शेयर पर प्रदत्त लाभांश Dividend Paid on Equity Share	-	(500.00)
वितरित लाभपर प्रदत्त कर Tax paid on Distributed Profit	-	(83.05)
शुद्ध नकद प्रवाह / (उपयोग में) वित्तीय गतिविधियाँ (ग) **Net Cash Flow / (Used in) Financing Activities (C)**	**(177,748.20)**	**(5,455.97)**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी) Net Increase/ (Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	(50,192.71)	49,008.07
वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष Cash and Cash Equivalent as at the beginning of the year	50,560.44	1,552.37
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष Cash and Cash Equivalent as at the Close of the year	**367.73**	**50,560.44**

1 से 26 तक लेखा नीतियाँ और नोटस वित्तीय विवरणियों का एक समाकलित भाग बनाते हैं
Accounting Policies and Notes 1 to 26, form an integral part of the Financial Statements.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

Sd/- (बी. के. मिश्र) (B. K. Mishra) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director	Sd/- (सी.एस. तेवतिया) (C.S. Teotia) निदेशक (विपणन) Director (Marketing)	Sd/- (प्रदीप कुमार अग्रवाल) (Pradeep Kumar Agarwal) निदेशक (वित्त) Director (Finance)	Sd/- (मनोज बजाज) (Manoj Bajaj) कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक(वित्त) Company Secretary-cum-General Manager (Finance)

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते चौक्सी एंड चौक्सी
For Chokshi & Chokshi
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(कनु चौक्सी)
(Kanu Chokshi)
भागीदार
Partner

दिनांक : 25-07-2012
स्थान : नई दिल्ली

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
For Prem Gupta & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(प्रेम बिहारी गुप्ता)
(Prem Behari Gupta)
भागीदार
Partner

Date : 25-07-2012
Place : New Delhi

31 मार्च, 2012 को तुलन-पत्र का भाग बनानेवाली अनुसूची
SCHEDULES FOR THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2012

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2012 को As at 31.03.2012	दि.31.3.2011 को As on 31.03.2011

नोट 1
NOTE 1

शेयर पूँजीः
Share Capital :

प्राधिकृतः
Authorised :

प्रत्येक 100रू. के 75,00,000 ईक्विटी शेयर्स (पिछले वर्ष 100 रू के 75,00,000 ईक्विटी शेयर्स) 75,00,000 Equity Shares Of Rs.100/-Each (Previous Year 75,00,000 Equity Shares Of Rs.100/- Each)	7,500.00	7,500.00

निर्गमित अभिदत्त और प्रदत्तः
Issued, Subscribed & Paid Up:

प्रत्येक 100 रू के 25,00,000 ईक्विटी शेयर्स पूर्णतः प्रदत्त (पिछले वर्ष 100 रू. के 25,00,000 ईक्विटी शेयर्स) 25,00,000 Equity Shares Of Rs.100/- Each Fully Paid Up (Previous Year 25,00,000 Equity Shares of Rs. 100/- Each	2,500.00	2,500.00
कुल Total	**2,500.00**	**2,500.00**

5% से अधिक शेयर धारकों के ब्यौरे
The details of Shareholders holding more than 5% shares

शेयर धारक का नाम Name of the Share holder	**शेयर्स की संख्या (धारित प्रतिशत) दि.31.03.2012 को No of shares (% held) As at 31.03.2012**	**शेयर्स की संख्या (धारित प्रतिशत) दि.31.03.2011 को No of shares (% held) As at 31.03.2011**
भारत के राष्ट्रपति President of India	24,99,997 (99.99%)	24,99,997 (99.99%)

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2012 को As at 31.03.2012	दि.31.3.2011 को As on 31.03.2011

बकाया शेयरों का समाधान निम्नानुसार है
The reconciliation of Shares outstanding is set out below

ब्यौरे Particulars	शेयर्स की संख्या No of Share	राशि (लाख रूपयों में) Amount (Rs. In Lakh)
वर्ष के आरंभ में ईक्विटी शेयर्स Equity Shares at the beginning of the Year	2500000 (2500000)	2500.00 (2500.00)
जोडेः वर्ष के दौरान जारी किये शयर्स Add: Shares issued during the year	-	-
घटाईयेंः वर्ष के दौरान मोचन गये शेयर्स Less: Shares redeemed during the year	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर्स Shares Outstanding at the end of the year	2500000 (2500000)	2500.00 (2500.00)

(कोष्टक में दिये गये आंकडे गत वर्ष के है ।)
(Figures in bracket relates to previous year)

नोट 2
NOTE 2

आरक्षित और अधिशेष
Reserves And Surplus

क. सामान्य आरक्षित a. General Reserve		
आरंभिक शेष / Opening Balance	1,647.58	1,647.58
(+) चालू वर्ष में अंतरण (+) Current Year Transfer	-	-
(-) चालू वर्ष में बट्टे खाते में डाले गये (-) Written Back in Current Year	-	-
इतिशेष कुल (क) Closing Balance Total (A)	1,647.58	1,647.58
ख. अधिशेष b. Surplus		
Opening balance	31,319.66	31,415.52
(+) चालू वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (शुद्ध हानि) (+) Net Profit/(Net Loss) For the current year	(17,989.28)	(95.86)
इतिशेष कुल (ख) Closing Balance Total (B)	13,330.38	31,319.66
कुल (क + ख) / Total (A + B)	**14,977.96**	**32,967.24**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2012 को As at 31.03.2012	दि.31.3.2011 को As on 31.03.2011

नोट 3
NOTE 3

अन्य दीर्घावधिक देयताएँ
Other Long Term Liabilities

प्रतिभूति निक्षेप/ प्रतिधारण धन Security Deposits /Retention Money	168.66	231.30
अन्य देय * Other Payables*	201.58	209.59
कुल Total	**370.24**	**440.89**

टिप्पणः

* अन्य शामिल देय

(क) वर्ष 1976-77 और 1977-78 वर्ष के लिए कपास आयात से संबंधित मामलों पर 95.71 लाख रूपये (गत वर्ष 103.72 लाख रूपये) की राशि प्राप्त हुई है और भारत सरकार को देय है । यह राशि पुराने कपास आयात निधि मामलों के निपटान के अधीन है । (ब्यौरे के लिए नोट 26.6) देखें)

(ख) वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान कपास आयात के संबंध में ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि 105.8 लाख रूपये (गत वर्ष 105.87 लाख रूपये) है जिसके प्रति विधिक मामलें लंबित है । (ब्यौरे के लिए नोट 26.6 देखें)

Foot Note :

*Other Payable includes

(a) Rs. 95.71 lakhs (Previous year Rs. 103.72 lakhs) received on account of Import of Cotton cases pertaining to the year 1976-77 and 1977-78 and payable to the Government of India. This amount is subject to settlement of old cotton import legal cases. (for detail see note 26.6)

(b) Rs. 105.87 Lakhs (Previous Year Rs 105.87 Lakhs) towards advance received from customers against which the legal cases are pending in respect of import of cotton during the year 1976-77 and 1977-78 (for detail see note 26.6)

नोट 4
NOTE 4

दीर्घावधिक प्रावधान
Long Term Provisions

छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान Provisions for Leave Encashment	2,650.39	1,818.78
कुल Total	**2,650.39**	**1,818.78**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2012 को As at 31.03.2012	दि.31.3.2011 को As on 31.03.2011

नोट 5
NOTE 5

अल्पावधिक ऋण
Short Term Borrowings

बैंकों से मांग पर ऋणों का प्रतिदेय
Loans repayable on demand

बैंकों से
From Banks

रक्षित
Secured

अनुसूचित बैंको से (संकाय) * From Schedule Banks (Consortium) *	6,575.00	164,800.00

अरक्षित
Unsecured

अुनसूचित बैंको से (गैर-संकाय) ** From Schedule Banks (Non - Consurtium)**	-	13,700.00
कुल Total	**6,575.00**	**178,500.00**

टिप्पणः

* संकाय बैंकों से ऋण अनुबंध के अनुसार 10.75% प्रति वर्ष की दर से 3600 लाख रूपये उधार 180 दिनों के भीतर देय (गत वर्ष 8.50%-9.75% प्रति वर्ष दर से 119200 लाख रूपये) और 10.75% की दर से 2975 लाख रूपये उधार 90 दिनों के भीतर देय (गत वर्ष 9.5%-10% प्रति वर्ष के दर से 45600 लाख रूपये), कच्चा माल स्टोर्स और स्पेयर्स, अर्ध तैयार माल, तैयार माल और व्यापार प्राप्य के दृष्टिबंधक पर समगति से समरूप चार्ज द्वारा रक्षित ।

** गैर-संकाय बैंको से 180 दिनो के भीतर देय अरक्षित ऋण "शून्य" है (गत वर्ष 8.50% की दर से प्रतिवर्ष 13700/- लाख रूपये)

Foot Note :

* Rs. 3600 lakhs borrowed @ 10.75 % p.a. payable within 180 days (Previous Year Rs. 119200 lakhs @ 8.50% - 9.75% p.a.) and Rs. 2975 lakhs borrowed @10.75 % (Previous Year Rs. 45600 lakhs @ 9.25% - 10% p.a.) payable within 90 days as per Loan Agreement from Consortium of Banks, secured by pari-passu charge on Hypothecation of Raw Materials, Stores and Spares, Semi Finished Goods, Finished Goods and Trade Receivables.

** Unsecured Loan borrowed from Non-consortium banks payable within 180 days is Nil (Previous year Rs. 13700 lakhs @ 8.50 % p.a.)."

नोट 6
NOTE 6

व्यापारिक देयताएँ
Trade Payables

व्यापारिक देयताएँ
Trade Payables

(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों Under Micro, Small and Medium Enterprises	205.88	894.77
(ii) अन्य Others	3,160.35	840.20
कुल Total	**3,366.23**	**1,734.97**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2012 को As at 31.03.2012	दि.31.3.2011 को As on 31.03.2011
नोट 7 NOTE 7		
अन्य वर्तमान देयताएँ Other Current Liabilities		
कर्मचारी लाभ देय Employee Benefits Payable	7.07	22.57
ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज और देय Interest accrued and due on Loans	3.94	-
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम Advance Received from Customers	3,970.90	14,126.30
बयाना धन/प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण धन Earnest Money / Security Deposits / Retention Money	461.90	647.75
पंजाब इंफ्रास्ट्रकचर सेस देय Punjab Infrastructure Cess Payable	3,946.62	3,910.43
अन्य देय : Other Payables :		
- सांविधिक देय - Statutory Dues	415.79	1,606.71
- अन्य - Others	786.04	1,228.00
कुल Total	**9,592.26**	**21,541.76**
नोट 8 NOTE 8		
अल्पावधिक प्रावधन Short Term Provisions		
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान Provision For Employee's Benefit	1,594.00	1,399.00
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बकाया देय पर ब्याज के लिए प्रावधान (ब्यौरे के लिए कृपया नोट सं.26.5 देखे) Provision for Interest on Ouststanding dues to Micro,Small and Medium Enterprises (for detail please refer note no 26.5)	60.75	-
करों के लिए प्रावधान Provision For Taxes	0.57	172.24
कुल Total	**1,655.32**	**1,571.24**

नोट 9 : अचल परिसंपत्तियाँ / NOTE 9 : FIXED ASSETS

(रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)

क्र. सं Sl. No.	ब्योरे Particulars	सकल ब्लॉक / Gross Block				मूल्य ह्रास / Depreciation				शुद्ध ब्लॉक / Net Block	
		दि. 1.4.2011 को As At 1.4.2011	वृद्धियाँ Additions	कटौतियाँ/ समायोजन Deductions / Adjustment	दि.31.3.2012 को As At 31.3.2012	दि.1.4.2011 को As At 1.4.2011	वृद्धियाँ Additions	कटौतियाँ/ समायोजन Deductions / Adjustment	दि.31.3.2012 को As At 31.3.2012	दि.31.3.2012 को As At 31.3.2012	दि.31.3.2011 को As At 31.3.2012
I	**मूर्त परिसंपत्तियाँ / Tangible Assets**										
a	भूखण्ड (पूर्ण स्वामित्व) भूखण्ड (पट्टे पर)										
	Land (Free Hold)	126.38	-	-	126.38	-	-	-	-	126.38	126.38
	Land (Lease Hold)	316.46	-	-	316.46	85.64	3.20	-	88.84	227.62	230.82
b	भवन (पूर्ण स्वामित्व) भवन (पट्टे पर)										
	Buildings (Free Hold)	4,546.54	115.29	-	4,661.83	934.76	74.62	-	1,009.38	3,652.45	3,611.78
	Buildings (Lease Hold)	244.68	-	-	244.68	32.45	2.61	-	35.06	209.62	212.22
c	रेल्वे साईडिंग / Railway Sidings	380.44	-	-	380.44	240.61	18.07	-	258.68	121.76	139.84
d	एअर कंडिशन संयंत्र / Air-Condition Plant	276.55	-	-	276.55	167.13	13.14	-	180.27	96.28	109.42
e	विद्युत संस्थापन-लिफ्ट एवं इलेवेटर्स Electrical Installation Lifts and Elevators	416.70	31.35	-	448.05	235.42	20.18	-	255.60	192.45	181.28
f	प्रयोगशाला उपकरण / Lab Equipments	91.89	0.26	0.79	91.36	34.68	4.10	0.79	37.99	53.37	57.20
g	कंप्यूटर उपकरण / Computer Equipments	275.60	213.53	10.38	478.75	185.19	54.91	9.69	230.41	248.34	90.41
h	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स Furniture and Fixtures	565.37	14.74	3.31	576.80	404.38	30.61	3.09	431.90	144.90	161.00
i	वाहन / Vehicles	151.05	5.67	4.40	152.32	54.53	14.22	2.93	65.82	86.50	96.52
j	कार्यालय उपकरण / Office Equipment	237.71	13.05	9.72	241.04	124.01	10.03	7.90	126.14	114.90	113.70
	कुल I / Total I	**7,629.37**	**393.89**	**28.60**	**7,994.66**	**2,498.80**	**245.69**	**24.40**	**2,720.09**	**5,274.57**	**5,130.57**
II	**अमूर्त परिसंपत्तियाँ / Intangible Assets**										
a	कंप्यूटर सॉफ्टवेअर / Computer Software	33.28	286.67	-	319.95	31.42	97.43	-	128.85	191.10	1.86
	कुल II / Total II	**33.28**	**286.67**	**-**	**319.95**	**31.42**	**97.43**	**-**	**128.85**	**191.10**	**1.86**
III	**पूँजीगत कार्य प्रगति पर Capital Work in Progress**										
a	भवन / Buildings	245.69	136.77	106.37	276.09	-	-	-	-	276.09	245.69
	कुल III / Total III	**245.69**	**136.77**	**106.37**	**276.09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**276.09**	**245.69**
IV	**विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ Intangible Assets Under Development**										
a	कंप्यूटर सॉफ्टवेअर (प्रगति-ईआरपी) Computer Software (PRAGATI- ERP)	28.12	110.15	138.27	-	-	-	-	-	-	28.12
	कुल IV / Total IV	**28.12**	**110.15**	**138.27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.12**
	सकल कुल (I+II+III+IV) Gross Total (I+II+III+IV)	**7,936.46**	**927.48**	**273.24**	**8,590.70**	**2,530.22**	**343.12**	**24.40**	**2,848.94**	**5,741.76**	**5,406.24**
	गत वर्ष / PREVIOUS YEAR	**7,728.78**	**255.02**	**47.33**	**7,936.46**	**2,326.73**	**238.01**	**34.52**	**2,530.22**	**5,406.24**	

नोटः 1) बिल्डिंग/लागत में (कफ-कॅसल को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी लि. में क्रमशः प्रत्येक 50/- रूपये के 10 शेयर्स तथा विकास वैभव हाऊसिंग सोसायटी लि. में 50/- रूपये के 5 शेयर्स) 500/- रूपये तथा 250/- रूपये के अंकित मूल्य के शेयर्स शामिल है ।

Note : 1) Cost of Buildings includes Shares of the Face Value of Rs. 500/- & Rs. 250/- (10 shares of Rs. 50/- each in Cuffe Castle Co-op housing society Ltd., 5 shares of Rs. 50/- each in Vikas Vaibhav Co-op. Housing Society Ltd. respectively)

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2012 को As at 31.03.2012	दि.31.3.2011 को As on 31.03.2011

नोट 10
NOTE 10

गैर चालू निवेश (लागत पर)
Non Current Investment (At Cost)

गैर व्यापारिक
Non Trade

ईक्विटी इंस्ट्रूमेन्ट्स में निवेश (अनुद्धृत)
Investment in Equity Instruments (Unquoted)

राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग तथा जिनिंग मिल्स फेडरेशन लि. के प्रत्येक 1000/- रूपये के 500 ईक्विटी शेयर्स 500 Equity Shares of Rs. 1000/- Each of Rajasthan State Co-Op. Spg. & Ginning Mills Federation Ltd.	5.00	5.00
घटाईयें: निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान Less: Provision for Diminution in Value of Investment	4.99	4.99
कुल Total	**0.01**	**0.01**

टिप्पण : गैर चालू निवेश को कमी द्वारा घटायी गयी लागत पर मूल्यांकन किया गया है ।
Foot Note : Non Current Investments are valued at Cost as reduced by diminution.

नोट 11
NOTE 11

आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)
Deferred Tax Assets (Net)

(क) आस्थगित कर देयताएँ
(A) Deferred Tax Liability

अचल परिसंपत्ति के संबंध में मूल्यह्रास के खाते में Related to Fixed Assets on Account of Depreciation	843.69	828.70
कुल (क) Total (A)	**843.69**	**828.70**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2012 को As at 31.03.2012	दि.31.3.2011 को As on 31.03.2011
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
(B) Deferred Tax Assets		
I) आयकर अधिनियम के अंतर्गत नामंजूर Disallowance Under The Income Tax Act	2,390.73	2,108.19
II) संदिग्ध ऋण तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Debts and Advances	123.11	102.17
III) निवेश मूल्य में कमी के लिए प्रावधान Provision for Diminution in Value of Investment	1.62	1.62
कुल (ख) Total (B)	2,515.46	2,211.98
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (क-ख) Net Defered Tax Assets (Net) (A-B)	**1,671.77**	**1,383.28**

टिप्पण:
लेखा मानक-22 "आय पर कर का लेखांकन" के अनुसार 288.49 लाख रूपये (गत वर्ष 215.17 लाख रूपये) आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी गयी है । कंपनी की हानियों और प्रूडेंस कन्सेप्ट पर विचार करते हुए अग्रेषित हानियों और संचित मूल्यह्रास पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी गयी है ।

Foot Note:
In accordance with Accounting Standard - 22 "Accounting for Taxes on Income", the Deferred Tax Assets (Net) of Rs. 288.49 lakhs (Previous year Rs. 215.17 lakh) has been recognized. Considering the losses of the Company and prudence concept, no Deferred Tax Assets is recognized on carry forward of losses and accumulated depreciation.

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2012 को As at 31.03.2012	दि.31.3.2011 को As on 31.03.2011

नोट 12
NOTE 12

दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम
Long Term Loans and Advances

पूँजीगत अग्रिम		
Capital Advances		
- अरक्षित शोध्य माने गये		
- Unsecured Considered Good	0.63	78.79
जमा प्रतिभूति / अग्रिम		
Security Deposits / Advances		
- अरक्षित शोध्य माने गये		
- Unsecured Considered Good	88.02	86.11
अन्य ऋण और अग्रिम		
Other Loans and Advances		
- रक्षित		
- Secured		
कर्मचारियों को ऋण		
Loans to Employees	248.90	260.17
- अरक्षित शोध्य माने गये		
- Unsecured Considered Good		
कर्मचारियों को अग्रिम		
Advances to Employees	59.97	54.75
अग्रिम आय कर (शुद्ध प्रावधान)		
Advance Income Tax (Net of Provisions)	551.74	393.73
- संदिग्ध		
- Doubtful	5.93	5.93
घटाईयें: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान		
Less: Provisions for Doubtful Advances	(5.93)	(5.93)
कुल		
Total	**949.26**	**873.55**

नोट 13
NOTE 13

अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियाँ
Other Non-Current Assets

दावे और अन्य वसूली योग्य		
Claims & Other Recoverable		
कर्मचारियों के ऋण अग्रिमों पर वसूलि योग्य ब्याज		
Interest receivable on Loans and Advances to Employees	190.48	187.25
कुल		
Total	**190.48**	**187.25**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2012 को As at 31.03.2012	दि.31.3.2011 को As on 31.03.2011

नोट 14
NOTE 14

मालसूची
Inventories

(प्रबंधन द्वारा सत्यपित, मूल्यांकित और प्रमाणित)
(As verified, valued and Certified by Management)

कच्चा माल Raw Material	2,957.51	3,319.82
तैयार माल Finished Goods	17,294.80	153,160.54
अन्य मदें Others Items	1,561.23	644.42
कुल Total	**21,813.54**	**157,124.78**

नोट 15
NOTE 15

व्यापार प्राप्य
Trade Receivables

- **6 माह से अधिक**
- **Exceeding Six Months**

रक्षित योग्य माने गये Secured Considered Good	-	-
अरक्षित योग्य माने गये Unsecured Considered Good	190.74	3,714.95
संदिग्ध माने गये Considered Doubtful	360.47	308.98
घटाईयें: संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Debts	(360.47)	(308.98)
कुल (क) Total (A)	**190.74**	**3,714.95**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2012 को As at 31.03.2012	दि.31.3.2011 को As on 31.03.2011
- अन्य - Others		
रक्षित योग्य माने गये Secured Considered Good	-	-
अरक्षित शोध्य माना गया माल * Unsecured Considered Good*	7,078.43	15,192.44
संदिग्ध माने गये Considered Doubtful	13.03	-
घटाईयें : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Debts	(13.03)	-
कुल (ख) Total (B)	7,078.43	15,192.44
कुल (क + ख) / Total (A + B)	**7,269.17**	**18,907.39**

टिप्पणः

* एनटीसी, सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन (अंतिम रूप देने के लिए लंबित) के अनुसार सुपुर्दगी के लिए बकाया राशि की वसूल एनटीसी मिलों से 2477.57 लाख रूपये की राशि देय ऋण शामिल है । प्रबंधन द्वारा कोई प्रत्याशित महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नही पायी गयी है ।

Foot Note:

* Include debts due from NTC mills amounting to Rs. 2477.58 lakhs (Previous year Rs. 8687.66 lakhs) for delivery as per Memorandum of Understanding (pending finalisation) reached amongst NTC, CCI and Ministry of Textiles for recovery of amount outstanding. No Material discrepancies are anticipated by the Management.

नोट 16
NOTE 16

नकद और नकदी समकक्ष
Cash and cash equivalents

बैंक में शेष Balance with Banks		
चालू / नकद उधार खाते में In Current / Cash Credit Accounts	262.22	12,434.89
अल्पावधि जमाराशि खाते में In Short term Deposit Accounts	-	38,000.22
हाथ में चैक्स, ड्राफ्टस् Cheques, Drafts on hand	105.41	125.00
हाथ में रोकड़ Cash on Hand	0.10	0.33
कुल Total	**367.73**	**50,560.44**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2012 को As at 31.03.2012	दि.31.3.2011 को As on 31.03.2011

नोट 17
NOTE 17

अल्पावधि ऋण और अग्रिम
Short-term loans and advances

अन्य ऋण और अग्रिम
Other Loans and Advances

- रक्षित
- Secured

कर्मचारियों को चालू परिपक्व ऋण Current Maturity of Loans to Employees	50.07	56.25

- अरक्षित शोध्य माने गये
- Unsecured Considered Good

कर्मचारियों को चालू परिपक्व अग्रिम Current Maturity of Advances to Employees	27.86	25.51
अन्य अग्रिम / जमा राशि Other Advances / Deposits	2,329.99	2,953.75
कुल Total	**2,407.92**	**3,035.51**

नोट 18
NOTE 18

अन्य चालू परिसंपत्तियाँ
Other Current Assets

अरक्षित शोध्य माने गये
Unsecured Considered Good

भारत सरकार से प्राप्य एमएसपी हानि MSP Loss Receivable from Government of India	453.00	2,150.25
निदेशकों को ऋण और अग्रिमों पर प्राप्य होनेवाले ब्याज के चालू परिपक्वता Current Maturity of Interest receivable on Loans and Advances to Directors	0.03	0.11
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिमों पर प्राप्य होनेवाले ब्याज के चालू परिपक्वता Current Maturity of Interest receivable on Loans and Advances to Employees	23.15	29.83
अन्य प्राप्य राशि / Other Receivables	799.58	1,416.24
कुल Total	**1,275.76**	**3,596.43**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2012 को As at 31.03.2012	दि.31.3.2011 को As on 31.03.2011
	समाप्त वर्ष 31.3.2012 Year Ended 31.03.2012	समाप्त वर्ष 31.3.2011 Year Ended 31.03.2011
नोट 19 NOTE 19		
परिचालन से राजस्व Revenue from Operations		
(क) उत्पाद की बिक्री / (a) Sale of products		
पूर्ण बंधित गांठे, बिनौले, रूई और विविध की बिक्री Sale of Fully Pressed Bales, Cotton Seed, Lint, and Miscellaneous	166,338.14	269,454.75
(ख) सेवा बिक्री / (b) Sale of Services	-	-
(ग) अन्य परिचालन राजस्व / (c) Other Operating Revenues		
रखरखाव प्रभार और देरी से उठाने के प्रभार Carrying Charges & Late Lifting Charges	4,873.20	3,669.03
संविदा रद्द करने के लिए क्षतिपूर्ति Compensation For Cancellation of Contracts*	4,837.12	43.10
शुल्क वापसी (निर्यात)/ निर्यात प्रोत्साहन Duty Drawback (Export) / Export Incentive	59.06	-
एमएसपी परिचालन पर हानियों की प्रतिपूर्ति Reimbursement of Losses on Minimum Support Price Operations	453.00	3,625.40
	10,222.38	7,337.53
कुल / Total (a+b+c)	**176,560.52**	**276,792.28**

टिप्पणः * कंपनी द्वारा अपनायी महत्वपूर्ण लेखा नीति 25.1 (क) में परिवर्तन के कारण संविदा रद्द करने के लिए क्षतिपूर्ति में 4496.44 लाख रूपये (गत वर्ष - शून्य) की राशि शामिल है (ब्यौरे के लिए नोट 26.3 देखें)

Foot Note: *Compensation For cancellation of contract includes amount of Rs. 4496.44 lakhs (previous year - Nil) due to change in significant accounting policy 25.1(a) adopted by the company (for detail refer note 26.3)

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	समाप्त वर्ष 31.3.2012 Year Ended 31.03.2012	समाप्त वर्ष 31.3.2011 Year Ended 31.03.2011
नोट 20 NOTE 20		
अन्य आय Other Income		
किराया आय Rent Income	771.35	845.07
अल्पावधिक जमाराशि पर प्राप्त ब्याज Interest Received on Short Term Deposits	883.86	10.48
अन्य ब्याज आय Other Interest Income	428.52	377.74
प्रावधान की आवश्यक्ता नही है Provision No Longer Required	89.94	109.32
वसूल किये अशोध्य ऋण Bad Debts Recovered	690.05	6.22
बीमा दावें Insurance Claims	498.00	313.75
विदेशी विनिमय लाभ (शुद्ध) Foreign Exchange Gain (Net)	86.26	22.30
अन्य विविध आय Other Miscellaneous Income	173.92	49.94
कुल Total	**3,621.90**	**1,734.82**
नोट 21 NOTE 21		
तैयार माल, कार्य प्रगति पर, व्यापार में स्टॉक की परिसंपत्तियाँ में परिवर्तन Changes in Inventories of Finished Goods, W.I.P. , Stock In Trade		
तैयार माल का आरंभिक स्टॉक Opening Stock of Finished Goods	153,160.54	89,630.97
घटाईयें: तैयार माल का अंतिम स्टॉक Less : Closing Stock of Finished Goods	17,294.80	153,160.54
परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि) Decrease / (Increase) in Inventories	**135,865.74**	**(63,529.57)**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	समाप्त वर्ष 31.3.2012 Year Ended 31.03.2012	समाप्त वर्ष 31.3.2011 Year Ended 31.03.2011
नोट 22 NOTE 22		
कर्मचारी लाभ व्यय Employee Benefits Expense		
वेतन, भत्ते, बोनस और अन्य प्रोत्साहन Salaries, Allowances, Bonus & Other Incentives	4,721.95	4,586.15
छुट्टी का नकदीकरण (ब्यौरे के लिए नोट 26.8 ख देखें) Encashment of Leave (for detail refer note 26.8B)	1,529.87	572.28
अंशदायी भविष्य निधि एवं पेंशन निधी में अंशदान (ब्यौरे के लिए नोट 26.8 क देखें) Contribution To Provident Fund & Pension Fund (for detail refer note 26.8A)	480.94	656.91
उपदान निधी में अंशदान (ब्यौरे के लिए नोट 26.8 ख देखें) Contribution To Gratuity Fund (for detail refer note 26.8B)	698.06	356.89
अधिवर्षिता निधि में अंशदान (ब्यौरे के लिए नोट 26.8 क देखें) Contribution To Super Annuation Fund(for detail refer note 26.8A)	125.35	379.00
कर्मचारी कल्याण व्यय Staff Welfare Expenses	223.91	242.05
कुल Total	**7,780.08**	**6,793.28**

नोट 23 NOTE 23		
वित्तीय लागत Finance cost		
(क) बैंक ऋणों पर A) On Bank Loans	5,823.20	8,672.92
(ख) अन्य B) Others	-	-
कुल Total	**5,823.20**	**8,672.92**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	समाप्त वर्ष 31.3.2012 Year Ended 31.03.2012	समाप्त वर्ष 31.3.2011 Year Ended 31.03.2011
नोट 24 **NOTE 24**		
अन्य व्यय **Other Expenses**		
(क) जिनिंग एवं प्रेसिंग प्रभार **(A) Ginning and Pressing Expenses**		
जिनिंग प्रभार Ginning Charges	873.72	5,435.52
प्रेसिंग प्रभार Pressing Charges	450.18	2,917.10
श्रम और अन्य संसाधन प्रभार Labour and Other Processing Charges	307.41	1,394.28
कुल (क) **Total (A)**	1,631.31	9,746.90
(ख) अन्य परिचालन व्यय **(B) Other Operating Expenses**		
गोदाम किराया Godown Rent	827.83	1,088.01
बीमा Insurance	710.08	1,156.79
बैंक प्रभार Bank Charges	16.92	21.15
कपास उपज के सुधार पर व्यय Expenses on Improvement of Cotton Yield	10.62	13.28
निगमित सामाजिक दायित्व पर व्यय Expenditure on Corporate Social Responsibility	38.83	27.65
कुल (ख) **Total (B)**	1,604.28	2,306.88

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011
(ग) प्रशासकीय और स्थापना व्यय (C) Administrative and Establishment Expenses		
कार्यालय किराया Office Rent	63.19	91.65
यात्रा व्ययः Travelling Expenses of :		
- निदेशक / Directors	23.61	24.28
- अन्य / Others	95.46	95.06
दर और कर * Rates & Taxes*	(6.28)	38.24
विधिक और व्यावसायिक शुल्क Legal & Professional Fees	78.20	66.41
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक - (ब्यौरे के लिए नोट 26.9 देखें) Remuneration to Auditors (for detail refer note 26.9)	16.44	14.49
मरम्मत और अनुरक्षण (बिल्डिंग) Repairs & Maintenance (Building)	112.32	48.77
मरम्मत और अनुरक्षण (अन्य) Repairs & Maintenace (Others)	12.76	11.35
विज्ञापन Advertisement	32.15	40.05
जनसंपर्क और प्रचार Public Relation & Publicity	7.47	1.72
अचल परिसंपत्तियों के बिक्री/निपटान पर हानि Loss on Sale /Discard of Fixed Assets	2.60	7.60
विद्युत जल प्रभार / जेनरेटर प्रभार Electricity Water Charges / Generator Charges	107.35	66.42
सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को देय बकाया राशि पर ब्याज के लिए प्रावधान Provision for Interest on Ouststanding dues to Micro, Small and Medium Enterprises	60.75	-
अन्य प्रशासनिक व्यय Other Administrative Expenses	242.41	288.69
कुल (ग) Total (C)	848.43	794.73

टिप्पण : *किरायेदारों से 463.36 लाख रूपये की शुद्ध वसूली (गत वर्ष 16.63 लाख रूपये)
Foot Note : *Net of Recovery of Rs. 463.36 lakh (previous year Rs. 16.63 lakh) from the tenants.

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011
(घ) विक्रय, संवितरण एवं प्रेषण व्यय **(D) Selling, Distribution & Forwarding Expenditure**		
विक्रय एवं संवितरण व्यय Selling & Distribution Expenses	278.84	665.41
दलाली / कमीशन Brokerage / Commission	13.53	90.22
नकद छूट Cash Discount	233.95	175.33
निकासी एवं प्रेषण प्रभार Clearing & Forwarding Charges	18.18	30.11
संदिग्ध ऋण / अग्रिम के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Debts / Advances	72.98	9.01
कुल (घ) Total (D)	617.48	970.08
(च) पूर्व अवधि व्यय (शुद्ध) (E) Prior Period Expenses (Net)		
आय Income		
लदान प्रभार,संविदा के रद्द होने पर क्षतिपूर्ति Carrying Charges, Compensation for Cancellation of Contracts	810.84	10.30
कमीशन एवं बीमा * Commission & Insurance Claims *		
विविध आय Miscellaneous Income	15.40	139.70
	826.24	150.00
व्यय Expenditure		
जिनिंग एवं प्रेसिंग प्रभार Ginning & Processing Charges	10.22	(1.80)
प्रशासन तथा अन्य व्यय Administartion & Other Expenses	42.99	24.93
	53.21	23.13
आय / व्यय (शुद्ध) (च) (Income) / Expenditure (Net) (E)	(773.03)	(126.87)
कुल (क+ख+ग+घ+च) Total (A+B+C+D+E)	**3,928.47**	**13,691.72**

टिप्पण: * कंपनी द्वारा अपनायी गयी महत्वपूर्ण लेखा नीति 25.1(क) में परिवर्तन के कारण 805.52 लाख रूपये की राशि शामिल है (ब्यौरे के लिए नोट 26.3)

Foot Note: * Includes amount of Rs. 805.52 lakhs (previous year - Nil) due to change in Significant Accounting Policy 25.1(a) adopted by the company (for detail refer note 26.3)

नोट 25: 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

Note 25: Significant Accounting Policies for the Year ended 31st March, 2012

25.1 लेखा पद्धति :

क. उन खरीददारों की जमाराशि, अग्रिम लदान प्रभार और ऋण शेष राशि को जिन्होंने बिक्री संविदा के अनुसार संविदागत माल न उठाने के कारण अपनी संविदागत बाध्यता पूरी नहीं की है, वर्ष में आय के रूप में मान्यता दी गयी है,जिसमें ऐसे चूककर्ता खरीददारों के विरूद्ध मध्यस्थता कार्यवाहियाँ आरंभ की जा चुकी है । इस प्रकार की आय को "संविदा के रीकरण के विरूद्ध प्रतिपूर्ति" शीर्ष के अंतर्गत गिना जायेगा

ख. कंपनी ने वाणिज्यिक लेखा पद्धति का पालन किया है तथा आय एवं व्यय को प्रोदभूत के आधार पर मान्यता दी है ।

i) निर्यात और आयात लाइसेंस की बिक्री पर आय के संबंध में विदेशी मुद्रा, चुंगी वापसी में व्यय.

ii) संस्थागत खरीददार से बकाया ऋण के बारे में ब्याज से आय, जो लम्बे समय से वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं और उनकी बकाया राशि निगम को राशि देने में नियमित नहीं है.

iii) विवादित कर देयताएँ

iv) चूककर्ता खरीददारों को प्रारंभ में बेची गई मात्रा की पुनः बिक्री से हुई हानि के लिए दायर किए गए (शुद्ध जमाराशि अग्रिम, लदान प्रभार और ऋण शेष के समायोजन के बाद) दावे और उन पर ब्याज,

v) पार्टियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में ब्याज से आय, जो अतिशोध्य बने गए हैं,

vi) बीमा दावे, जिनकी बीमा द्वारा संबंधित हानि वाऊचर जारी करने पर गणना की गयी है.

ग) वित्तीय विवरणियाँ, ऐतिहासिक लागत पर आधृत है तथा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों का

25.1 System of Accounting:

a. The amount of deposit, advance carrying charges and credit balances of the buyers who had not fulfilled their contractual obligations by not lifting the contracted stocks as per sales contract has been recognised as income in the year in which arbitration proceedings had been initiated against such defaulting buyers. Such income is accounted for under the head 'Compensation against Cancellation of Contract'.

b. The Company follows the mercantile system of accounting and recognises income and expenditure on accrual basis except

i) Expenditure in foreign currencies, Octroi refund in respect of export and income on sale of import licences;

ii) Income towards interest in regard to debts outstanding from institutional buyers, who are facing prolonged financial difficulties and are not regular in clearing their dues to the Company;

iii) Disputed tax liabilities;

iv) Net claims (after adjusting deposits, advance carrying charges and credit balances) lodged and interest thereon, on the defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them;

v) Income towards interest in regard to Loans and Advances given to the parties which have become overdue;

vi) Insurance claims which are accounted for on the issuance of relevant loss vouchers by the insurers;

c. The Financial statements are based on historical costs and comply with the accounting standards issued by the Institute

तथा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेन्टस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों का पालन किया गया है ।

25.2 राजस्व मान्यता :

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटस ऑफ इडिया द्वारा जारी लेखा मानक एएस-9 "राजस्व मान्यता" के प्रावधानों की पुष्टि में तथा यथोचित रूप से विचार करके कंपनी ने निम्नलिखित दावों के बारे में अंततोगत्वा उनके संग्रह की अनिश्चितता को देखते हुए राजस्व मान्यता आस्थगित रखी है :-

i) ऐसे संस्थागत खरीददारों से बकाया राशि पर ब्याज की आय के बारे में, जो लंबे समय से वित्तीय कठिनाईयाँ झेल रहे हैं और कंपनी को राशि देने में नियमित नहीं है,

ii) चूककर्ता खरीददारों को प्रारंभ में बेची गई मात्रा की पुनः बिक्री से हुई हानि के लिए दायर किए गए (शुद्ध जमाराशि अग्रिम, लदान प्रभार और ऋण शेष के समायोजन के बाद) दावे और उन पर ब्याज,

iii) पार्टीज को दिए गए ऋण और अग्रिम के बारे में ब्याज के लिए आय, जो अतिशोध्य हो गयी है ।

iv) निर्यात के बारे में चुंगी वापसी दावों और आयात लाइसेंस की बिक्री पर आय की गणना प्राप्ति के आधार पर की गई है, क्योंकि ऐसे दावे दायर करते समय प्राप्ति योग्य राशियों के निर्धारण में अत्यधिक अनिश्चितता होती है ।

v) बीमा दावों की गणना बीमाकर्ता द्वारा हानि से संबंधित वाउचरों के जारी होने पर की जाती है ।

vi) बकाया देयताएँ, जिनमें या तो कोई दावा नहीं है या तीन वर्ष की अवधि के बाद बट्टे खाते में डालने के लिए कोई विधिक मामला लंबित नहीं है ।

25.3 विक्रय :

क) रूई, पूर्ण बंधित गाँठें और कपास बिनौलों की बिक्री कंपनी द्वारा जारी किए गए सुपुर्दगी आदेश के समय मान्य किए गए हैं, बशर्ते कि निगम द्वारा जारी किए ऐसे सुपुर्दगी आदेश के अंतर्गत शामिल मात्रा का वजन लेखा वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व किया गया हो । यद्यपि गोदाम भंडारण सुविधा के अंतर्गत

of Chartered Accountants of India and the provisions of the Companies Act, 1956.

25.2 Revenue Recognition:

In conformity with the provision of Accounting Standard AS-9 "Revenue recognition" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and on prudent considerations, the Company defers revenue recognition, owing to significant uncertainty about its ultimate collection, in respect of :-

i) Income towards interest in regard to debts outstanding from institutional buyers, who are facing prolonged financial difficulties and are not regular in clearing their dues to the Company;

ii) Net claims (after adjusting deposits, advance carrying charges and credit balances) lodged and interest thereon on the defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them;

iii) Income towards interest in regard to Loans and Advances given to the parties, which have become overdue.

iv) Octroi refund claims in respect of exports and income on sale of Import Licences, which are accounted for on receipt basis in view of high degree of uncertainty involved in determining the amount receivable at the time of lodging such claims.

v) Insurance claims, which are accounted for on the issuance of relevant loss vouchers by the insurers.

vi) Outstanding Liabilities, wherein, either there is no claim or no legal case is pending to be written back after period of three years.

25.3 Sales:

a) Sales of lint, fully pressed bales of cotton and cotton seeds are recognised at the time of issuance of delivery orders by the Company provided weighment has taken place on or before the close of the accounting year. Sales under godown storage facility are

बिक्री बुक की गई है, परन्तु गाँठों की वास्तविक सुपुर्दगी पूरी नहीं हुई है ।

ख) निर्यात बिक्री की गणना संबंधित लदान बिल्स की तारीख के आधार पर की जाती है ।

ग) ब्याज और रखरखाव प्रभार की ओर जमा, जहाँ कहीं लागू है, उसे लिया गया है, जो वर्ष के दौरान विक्रीत एवं उठाई गई गाँठों से संबंधित है ।

25.4 अचल परिसंपत्तियाँ और मूल्यह्रास :

क) अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास घटाकर किया गया है ।

ख) अचल परिसंपत्तियों में भूमि तथा अमूर्त परिसंपत्तियाँ (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) को छोड़कर कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसूची XIV के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दर पर सीधी लाईन प्रणाली पर मूल्यह्रास किया गया है । वैयक्तिक कम लागत की आस्तियों (5,000 रू. से कम के लिए प्राप्त) के लिए प्राप्ति के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रास किया गया है ।

ग) लीजहोल्ड लैंड का परिशोधन लीज अवधि पर लिया जा रहा है ।

घ) कार्य में प्रगति की रिपोर्ट वर्ष के अंत में प्राप्त केंद्रीय लोक निर्माण विभाग प्रमाणपत्र के आधार पर की गई है ।

25.5 अमूर्त परिसंपत्तियाँ और परिशोधनः

अमूर्त परिसंपत्तियाँ(कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) 3 वर्ष की अवधि से परिशोधित की जा रही है ।

25.6 नकद प्रवाह विवरणी :

नकद प्रवाह विवरणी अप्रत्यक्ष प्रणाली के अधीन तैयार की गयी है ।

25.7 तुलन पत्र तारीख के बाद उत्पन्न आकस्मिकताएँ और घटनाएँ :

तुलन पत्र तारीख के और जिस तारीख को वित्तीय विवरणियाँ अनुमोदित हुई, जो वर्तमान तुलन पत्र तारीख की स्थितियों से संबंधित राशि के निर्धारण को प्रभावित करनेवाली अतिरिक्त जानकारी देती हैं, के बीच होने वाली घटनाओं के लिए संपत्तियों और देयताओं का समायोजन किया गया है ।

booked though the physical delivery of bales has not been completed.

b) Export sales are accounted on the basis of date of relevant bills of lading.

c) Credit towards interest and carrying charges wherever applicable, has been taken in respect of sales booked and bales lifted during the year.

25.4 Fixed Assets and Depreciation:

a) Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation.

b) Fixed Assets other than land and intangible assets (computer software) are being depreciated on straight line method at the rates and in the manner specified in Schedule XIV of the Companies Act, 1956. Individual low cost Assets (acquired for less than Rs. 5000) are entirely depreciated in the year of acquisition.

c) Leasehold land and buildings are being amortised over the period of lease.

d) Work in Progress is stated on the basis of Central Public Works Department certificate received at year end.

25.5 Intangible Assets and Amortisation:

Intangible Assets (Computer Software) are being amortised over a period of three years.

25.6 Cash Flow Statement:

The cash flow statement is prepared under indirect method.

25.7 Contingencies and events occurring after the balance sheet date:

Adjustment to Assets and Liabilities are made for events occurring between balance sheet date and the date on which the financial statements are approved that provide additional information materially affecting the determination of the amounts relating to the conditions existing at the balance sheet date.

25.8 अवधि से पहले की मदें :

अवधि से पहले की मदें आय और व्यय है, जो वर्तमान अवधि में एक या उससे अधिक पूर्व अवधियों के लिए वित्तीय विवरणियों की तैयारी में चूक और गलतियों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं । पूर्व अवधि में परिस्थितियों द्वारा निर्धारित अन्य समायोजन शामिल नहीं है, जो पूर्व अवधि से संबंधित होते हुए भी वर्तमान अवधि में निर्धारित किये गये है ।

25.9 निवेश :

दीर्घावधि निवेश को लागत पर दर्शाया गया है । निवेश मूल्य में, अस्थायी को छोड़कर,कमी के लिए प्रावधान किया गया है ।

25.10 मालसूची :

क) पूर्ण-बंधित गॉठें/रूई का मूल्यांकन :

i] वाणिज्यिक खरीद के संबंध में औसत मूल्य पर या बाजार वसूली योग्य कीमत, जो भी कम हो, बिक्री के लिए संविदागत नहीं है ।

ii] समर्थन मूल्य परिचालन के अंतर्गत बिक्री के लिए संविदा न की गई गांठों के संदर्भ में औसत लागत पर, यदि कोई हानि होती है तो भारत सरकार से प्रतिपूर्ति योग्य है ।

iii] देशी बाजार में बिक्री के लिए (जब कभी खरीददार द्वारा अनुमोदित हों तथा जिनके लिए संविदा की गई) औसतन लागत या संविदागत दर, जो भी कम हो ।

iv] निर्यात के लिए मात्रा के मामले में (जहाँ कहीं संविदा की गयी हो) संविदागत और ढुलाई आदि द्वारा घटाये गसी औसत लागत या संविदागत मूल्य, जो भी कम हो ।

ख) बिक्री के लिए संविदागत बिनौलों के स्टॉक को संविदागत दरों पर तथा अन्य बिनौलों के स्टॉक का मूल्यांकन वर्ष के अंत में बाजार/वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है, क्योंकि बिनौलों का मूल्य अलग से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है ।

ग) कच्चा माल यानि कपास का मूल्यांकन गुणवत्तावार,केन्द्रवार और कपास वर्षवार औसत मूल्य पर किया जाता है । तथापि जब कभी कच्चा माल यानि कपास में गिरावट आती है और यह

25.8 Prior period items:

Prior period items are income and expenses that arises in the current period as a result of errors and omissions in the preparation of the financial statements of the one and more prior periods. Prior period does not include other adjustments necessitated by circumstances, which though related to prior periods, are determined in the current period.

25.9 Investments:

Non Current Investments are stated at cost. Provision is made for diminution, other than temporary, in the value of investments.

25.10 Inventories:

a) FP Bales/Lint are valued at :

i] Average cost or market/realisable value whichever is lower in respect of commercial purchases not contracted for sale.

ii] Average cost in respect of bales not contracted for sale under Support Price Operations as the loss suffered under such operations if any, is reimbursable by Govt. of India.

iii] Average cost or contracted rates whichever is lower in respect of quantities meant for sale in domestic market (whenever contracted for and approved by buyers)

iv] Average cost or contracted rates as reduced by contracted freight and cartage etc. whichever is lower in case of quantities meant for export. (wherever contracted for).

b) Stocks of seeds contracted for sale are valued at contracted rates and other stocks of seeds are valued at the market / realisable value at the close of the year since the cost of seeds cannot be ascertained separately.

c) Raw Material i.e. Kapas is valued at average cost calculated quality wise, centre wise and cotton year wise. However, when there has been a decline in the price

अनुमान लगाया जाता है कि पूर्ण बंधित गॉठों का मूल्य कच्चे माल यानि कपास के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से बढ़ जायेगा, तो कपास शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम लिखी जाती है ।

घ) यैलो पिकिंग तथा नमूना गाँठों का मूल्यांकन अंत में उगाहे जाने वाले मूल्य पर किया गया है ।

ड) जारी न किये गये हैसियन/ग्रे क्लॉथ, बारदानास, गन्नी बैग्स के स्टॉक का मूल्य औसत लागत मूल्य पर किया जाता है

च) प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि पर तारपत्री बट्टे खाते में डाली जा रही है ।

25.11 गाँठों के निर्यात पर नि.एवं प्रे.व्यय :

संविदागत पूर्णबंधित गाँठों / स्टॉक के मूल्यांकन के लिए औसत लागत के साथ तुलना के प्रयोजन के लिए संविदागत दरों से घटाया जाता है । समरूप संकल्पना को ध्यान में रखते हुए, पूर्णबंधित गाँठों को स्पॉट से पोर्ट/पोतवहन गोदाम तक ले जाने पर संविदागत भाड़ा और ढुलाई आदि पर हुए व्यय को लेखा वर्ष के अंत तक प्रतीक्षित पोतवहन को प्रदत्त माना जाता है और लेखा वर्ष के दौरान राजस्व के लिए प्रभार नहीं लगाया जाता है ।

25.12 कर्मचारी लाभः

क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में अल्पावधि कर्मचारी लाभ को अनडिस्कॉउन्टेड बेसिस पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें संबंधित सेवा दी है ।

ख) रोजग़ार के बाद लाभ :

i) परिभाषित अंशदान योजना :

- **अधिवर्षिता :**

  अधिवर्षिता निधि में अंशदान के लिए प्रावधान, कर्मचारी द्वारा प्रारंभ में बीमांकिक अभ्यर्पित लाभ मूल्य के अनुमान के समकक्ष तथा मूल्यों में मुद्रास्फिति में 10% वार्षिक वृद्धि और डीपीई मे मार्गदर्शन के अनुसार किया जाता है ।

- **भविष्य निधि :**

  भविष्य निधि में अंशदान, कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधान और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अनुसार किया जाता है

of Raw Material i.e Kapas and it is estimated that the cost of the finished goods i.e. FP Bales will exceed net realizable value of raw material, the Kapas are written down to net realizable value.

d) Yellow picking and sample bales are valued at realisable value.

e) Stock of un-issued hessian/grey cloth, bardanas, gunny bags, iron hoops and pesticides are valued at average cost price.

f) Tarpaulins are being written off over a period of three years.

25.11 C & F Expenses on Export Bales:

Contracted freight and cartage etc. are reduced from contracted rates for the purpose of comparison with Average Cost for valuation of Fully Pressed bales/stock meant for export, wherever contracted for. Keeping in view the matching concept, contracted freight and cartage etc. incurred on FP bales moved from spot to the port/godowns of shipment awaiting shipment at the end of Accounting Year are treated as pre-paid and not charged to revenue during the Accounting Year.

25.12 Employees' Benefits:

a) Short Term Employee Benefits:

Short Term Employee Benefits are recognized as an expense on an undiscounted basis in the Profit and Loss Account of the year in which the related service is rendered.

b) Post Employment Benefits:

i) Defined Contribution Plans:

- **Superannuation:**

  Provision for contributions to Superannuation Fund is made equivalent to initial actuarial estimation of surrendered value of perquisites by the employees, with 10% annual escalation towards inflation in prices and as per Department of Public Enterprises guidelines.

- **Provident Fund:**

  Contribution to Provident Fund is made in accordance with the provisions of the Employees Provident Fund and

और उस पर लाभ एवं हानि खाते में प्रभार लगाया जाता है ।

ii) **परिभाषित लाभ योजना :**

- **उपदान :**

  कर्मचारियों के उपदान दायित्व के लिए प्रावधान, वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है ।

- **छुट्टी नकदीकरण :**

  छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान, वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है ।

iii) बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते की विवरणी में मान्यता दी गयी है ।

25.13 उत्पादकता सहबद्ध प्रोत्साहन :

उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना संपूर्ण कार्यनिष्पादन पर आधारित है यानि वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय निष्पादन और कपास वर्ष के लिए वास्तविक निष्पादन । वित्तीय निष्पाद वित्तीय वर्ष पर आधारित और वास्तविक निष्पादन कपास वर्ष के दौरान निष्पादन पर आधारित है । वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है और कपास वर्ष 30 सितंबर को समाप्त होता है यानि वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के बाद पीएलआई योजना के अंतर्गत सर्वोत्तम उत्पादकता सूचकांक की गणना केवल कपास वर्ष यानि प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर के बाद की जा सकती है । अतः पीएलआई के लिए उसी वित्तीय वर्ष में इसका प्रावधान करना संभव नहीं है । अतः कंपनी कपास वर्ष के अंत में पीएलआई की ग्राह्यता तथा मात्रा की गणना करने की प्रथा का अनुपालन करती है और अगले वित्तीय वर्ष में व्यय को नामे करती है ।

25.14 न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यकलापों पर हानियों की प्रतिपूर्ति :

न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन खाते पर यदि कोई हानि होती है, तो भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय से उपचय आधार पर प्रतिपूर्ति की गणना की जाती है ।

Miscellaneous Provision Act, 1952 and is charged to the profit and loss account.

ii) Defined Benefit Plans:

- **Gratuity:**

  Provision for gratuity liability to employees is made on the basis of actuarial valuation as at the close of the year.

- **Leave Encashment:**

  Provision for leave encashment is made on the basis of actuarial valuation as at the close of the year.

iii) The actuarial gain/loss is recognized in statement of profit and loss account.

25.13 Productivity Linked Incentive:

The productivity linked incentive scheme is based on overall performance i.e. Financial Performance for the Financial Year and Physical Performance for the Cotton Year. The Financial performance is based on the Financial Results for the Financial Year and the Physical performance is based on the performance during the Cotton Year. The Financial Year ends on 31st March and the Cotton Year ends on 30th September i.e. after 6 months of close of the Financial Year. The Optimum Productivity Index under the Productivity Linked Incentive Scheme, therefore, can be worked out only at the end of the Cotton Year i.e. after 30th September each year. It is, therefore, not feasible to make provision for PLI in the same Accounting Year itself. Hence the Company follows the practice of working out the eligibility and quantum of PLI at the end of the Cotton Year and debiting the expenditure in the next Financial Year.

25.14 Reimbursement of losses in Minimum Support Price operations:

The losses if any, incurred on account of Minimum Support Price Operations reimbursable from the Government of India, Ministry of Textiles are accounted on accrual basis.

25.15 आकलनों का उपयोग :

सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतो के अनुरूप वित्तीय विवरणियों की तैयारी में आकलनों और अनुमानों की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय विवरणियों की तारीख पर देयताओं और आस्तियों की बतायी गयी राशि पर तथा आलोच्य अवधि में राजस्व और व्यय की राशि पर प्रभावित करता है । वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्य किया गया है, जिसमें ये परिणाम ज्ञात हैं / निष्पादित हुए हैं ।

25.16 उधार लागत :

उधार लागत को, जो अधिग्रहण, निर्माण अथवा अर्हक अस्तियों के उत्पादन से संबंधित हैं, इस प्रकार की अस्तियों को लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया गया है । अर्हक आस्ति वे वह आस्ति हैं, जिसे इसके उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय आवश्यक होता है । सभी अन्य उधारियों की लागतों को, जिस अवधि में खर्च किए गए हैं, उस अवधि में लागत के रूप में मान्यता दी जाती है ।

25.17 विदेशी मुद्रा के सौदे :

चालू परिसंपत्तियाँ तथा देयताओं से संबंधित विदेशी मुद्रा के सौदों को तुलन-पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया गया है और लेन-देन के निपटाने में हुए अंतर को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया गया है । विदेशी मुद्रा में विवादास्पद प्राप्त /देय के संबंध में लेखा कें विनिमय अंतर के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया है ।

25.18 प्रति शेयर आयः

प्रति शेयर की मूल और तनुकृत / हलका आय को ईक्विटी शेयर होल्डर्स को वर्ष के लिए दिये गये शुद्ध लाभ द्वारा विभाजित करते हुए, वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयर की वेटेड एवरेज नंबर से विभाजित किया गया है ।

25.19 कराधान :

आस्थगित कर

देयता पद्धति के अंतर्गत वर्तमान कर की दर पर बुक लाभ एवं कर लाभ के बीच समय अंतराल के परिणामस्वरूप आस्थगित कर को वर्तमान कर के दर पर लेखांकन किया जाता है ।

25.15 Use of Estimates:

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amounts of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Differences between actual results and estimates are recognised in the period in which the results are known/ materialised.

25.16 Borrowing Costs:

Borrowing costs that are attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets are capitalised as part of cost of such assets. A qualifying asset is an asset that necessarily requires a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. All other borrowing costs are recognised as an expense in the period in which they are incurred.

25.17 Foreign Currency Transactions:

Current Assets and Liabilities relating to foreign currency transactions are translated at the exchange rate prevailing as on the date of Balance Sheet and exchange difference arising on settlement of the transactions is recognised in the Profit and Loss Account. No adjustment in respect of exchange difference is made in the accounts in respect of disputed receivables/ payables in foreign currency.

25.18 Earnings per share:

The basic and diluted earnings per share is computed by dividing the net profit attributed to the equity shareholders for the year, by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

25.19 Taxation:

Deferred Tax

Deferred tax resulting from timing differences between tax and book profits is accounted for under the liability method, at the current rate of tax.

आस्थगित कर को स्वीकार किया जाता है बशर्ते जो कर योग्य आय और गणना की आय के बीच अंतर के रूप में होगा, जो एक अवधि में उद्भूत होता है और एक या अधिक परवर्ति अवधि में प्रत्यावर्तन की क्षमता से योग्य है । आस्थागित कर आस्तियों को केवल इस सीमा तक मान्यता प्राप्त है कि इस प्रकार की उचित सुनिश्चितः है कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरूद्ध आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की जा सकेगी है ।

वर्तताान कर

आयकर अधिनियम, 1961 के लागू प्रावधानों के अनुसार अनुमानित कर देयताओं के आधार पर लेखो में वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया गया है ।

25.20 पट्टा (लीज) परिचालन :

पट्टे पर व्यवस्था को, जहाँ परिसंपत्ति की जोखिम और प्रतिफल घटना का मालिकत्व पर्याप्त रूप से पट्टाकर्ता के पास निहित है, परिचालन पट्टे को मान्यता दी गई है । परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा किराया को लाभ एवं हानि खाते में स्ट्रेट लाईन बेसिस पर मान्यता दी गई है ।

25.21 आस्तियों की क्षति :

प्रत्येक तुलन पत्र पर निर्धारण किया जाता है, जहाँ कोई संकेत विद्यमान है कि आस्तियों की क्षति हुई है । यदि इसी प्रकार का कोई संकेत विद्यमान है, क्षति की हानि यानि राशि का, जिसके द्वारा आस्तियों की वर्तमान राशि वसूली राशि से अधिक है, लेखों में प्रावधान किया है । पहले के लेखा अवधि में सामान्य impairment हानि को पीछे लौटाया गया है, यदि वसूली योग्य राशि के आंकलन में कोई परिवर्तन हुआ है ।

25.22 सरकारी अनुदान :

पूँजी अनुदान

परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के मामले में, सकल मूल्य से अनुदान की कटौती दर्शाने के बाद इसका बुक वैल्यू किया जाता है । जहाँ अनुदान संपूर्ण राशि या वस्तुतः परिसंपत्तियों की संपूर्ण लागत के समकक्ष होता है, तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों को नामपत्र मूल्य दर्शाया जाता है ।

राजस्व अनुदान

लाभ एवं हानि खाते में राजस्व अनुदान को मान्यता दी गई है ताकि संबंधित लागत /हानियों के साथ उसका

Deferred tax is recognized, subject to the consideration of prudence, on timing differences, being the difference between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

Current Tax

Provision for the current income tax is made in the accounts on the basis of estimated tax liability as per the applicable provisions of the Income Tax Act, 1961.

25.20 Operating Lease:

Lease arrangements where the risks and rewards incidental to ownership of an asset substantially vest with the lessor, are recognised as operating leases. Lease rents under operating leases are recognised in the profit and loss account on a straight line basis.

25.21 Impairment of Assets:

At each balance sheet an assessment is made whether any indication exists that an asset has been impaired. If any such indication exists, an impairment loss i.e. the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount is provided in the books of accounts. The impairment loss recognized in prior accounting periods is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

25.22 Government Grants:

Capital Grants

In case of depreciable Assets, the grant is shown as deduction from the Gross value to arrive at its book value. Where the grant equals the whole or virtually the whole of the cost of the Asset, the asset is shown in the Balance Sheet at a nominal value.

Revenue Grants

Revenue grants are recognised in the Profit and Loss account to match them with the related costs / losses, which

मिलान हो सके, जिसकी क्षतिपूर्ति करना अभिप्रेत है । ऐसे अनुदानों को "अन्य आय" के अंतर्गत अलग से दर्शाया गया है ।

23. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ :

कंपनी प्रावधान करती है, जब गत घटना के परिणामस्वरूप, वर्तमान में दायित्व है, जहाँ आर्थिक स्त्रोतों पर बहिर्वाह संभव है और दायित्व राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है ।

आकस्मिक देयता के लिए प्रस्तुतीकरण किया जाता है, जब वहाँः-

- संभाव्य दायित्व, उदाहरण (दृष्टांत) जिसकी एक या अधिक अनिश्चित मदों के घटना / अघटना द्वारा पुष्टि की जायेगी, जो कंपनी के पूर्णतः नियंत्रण में नहीं है ।
- वर्तमान दायित्व, जहाँ यह संभाव्य नहीं है, जो स्त्रोतों के बहिर्वाह में आर्थिक लाभों को सम्मिश्रित करते हुए दायित्व का निर्धारण करना आवश्यक होगा ।
- वर्तमान दायित्व जहाँ विश्वसनीय आकलन नहीं किया गया है ।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तिओं को न तो मान्य किया गया है और न ही प्रकट किया गया है ।

are intended to be compensated. Such grants are shown separately under 'Other Income'.

25.23 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The Company makes a provision when there is a present obligation as a result of a past event where the outflow of economic resources is probable and a reliable estimate of the amount of obligation can be made.

A disclosure is made for a contingent liability when there is a :

- Possible obligation, the instance of which will be confirmed by the occurrence/ non occurrence of one or more uncertain items, not fully within the control of the Company.
- Present obligation, where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation.
- Present obligation where a reliable estimate cannot be made.

Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

नोट 26: नोटस् (अन्य)

26.1. आकस्मिक देयताएँ जिनका प्रावधान नहीं किया गया है ।

i) कंपनी के विरूद्ध कर्मचारी और अन्य के दावे, जिनकी राशि अनिश्चित और ऋण के रूप में नहीं मानी गई राशि 594.11 लाख रूपये है (गत वर्ष 1101.92 लाख रूपये) । इसके अलावा यदि विधिक मामले कंपनी के विरूद्ध निर्णित होते हैं तो दावा की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा ।

ii) बिक्री कर की माँग 357.49 लाख रूपये (गत वर्ष 353.77 लाख रूपये), जिसके बारे में कंपनी ने अपील की है ।

iii) आयकर की मांग 177.30 लाख रू.(गत वर्ष शून्य रूपये) की राशि है, जिसके बारे में कंपनी ने आयकर आयुक्त के पास अपील की है ।

iv) पंजाब संरचना सेस पर ब्याज राशि 2123.37 लाख रूपये है, जिसमें 1865.74 लाख रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य से संबंधित है और 257.63 लाख रूपये वाणिज्यिक खरीद कार्य से संबंधित है (गत वर्ष कुल 1408.33 लाख रूपये की राशि थी जिसमें से 1279.71 लाख रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य से संबंधित है और 128.62 लाख रूपये वाणिज्यिक खरीद कार्य से संबंधित है) । कंपनी ने पंजाब संरचना (विकास और विनियम) अधिनियम, 2002 के अधीन कर के शुल्क के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर की है ।

v) कंपनी के विरूद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 7(ए) के अधीन जॉच के बाद सहायक भविष्य निधि आयुक्त ने दि.3.2.2005 को जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों में काम पर लगाये गए कर्मचारियों के लिए कंपनी को मुख्य नियोक्ता मानते हुए आदेश पारित करते हुए यह निदेश दिया है कि इस प्रकार की सभी जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों के कर्मचारियों के ब्यौरे, जिनके पास भविष्य निधि का पी.एफ.कोड नंबर नहीं है तथा जिनके पी.एफ.कोड नंबर हैं, उनका भविष्य निधि जमा के प्रमाणन चालान के ब्यौरों के साथ प्रस्तुत करें । कंपनी द्वारा उक्त आदेश को

Note 25: Notes (Others)

26.1. Contingent Liabilities not provided for:

i) Claims of employees and others against the Company of which the amounts are ascertainable and not acknowledged as debts amounts to Rs. 594.11 lakhs (Previous year Rs. 1101.92 lakhs). In addition, interest on the claimed amount may have to be paid if legal cases are decided against the Company.

ii) Sales Tax demands amounting to Rs. 357.49 lakhs (Previous year Rs.353.77 lakhs) in respect of which the Company is in appeal.

iii) Income Tax demands amounting to Rs. 177.30 lakhs (Previous year Rs.NIL) in respect of which the Company is in appeal before Commissioner of Income Tax (Appeal).

iv) Interest on Punjab Infrastructure Cess amounting to Rs.2123.37 lakhs comprises of Rs.1865.74 lakhs pertaining to MSP operations and Rs.257.63 lakhs of CP operations. (Previous year totaling Rs. 1408.33 lakhs comprises of Rs. 1279.71 lakhs pertaining to MSP operations and Rs. 128.62 lakhs of CP operations.) The Company has filed SLP in Supreme Court against levy of Cess under Punjab Infrastructure (Development and Regulation) Act 2002.

v) In an inquiry u/s. 7 (A) of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 against the Company, the Assistant Provident Fund Commissioner has passed an order dated 3.2.05 holding the Company as the Principal Employer of the workers of ginning and pressing factories engaged by the Company and directed the Company to make available to him the details of the employees of all such factories which are not having P.F. Code along with challans evidencing deposit of provident fund of those factories which are having code number and complying.

ई.पी.ई. अपीली अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष चुनौती दी गई है । माननीय अपीलीय ट्रिबूनल, नई दिल्ली द्वारा 20 अक्तूबर, 2010 को पारित आदेश द्वारा अपील खारिज की गयी है । कंपनी ने आगे 30 दिसंबर, 2010 की याचिका द्वारा माननीय बाबे हाई-कॉर्ट में अपील के निर्णय को चुनौती दी है । उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटान किया है और भविष्य निधि आयुक्त, वाशी तथा अपीलीय अधिकरण के आदेश दि. 3.12.2004 तथा 20.10.2010 को अलग रख दिया है तथा सहायक भविष्य निधि आयुक्त को निदेश दिया कि सभी पार्टियों को नये सिरे से निदेश जारी करें और माामले पर नये सिरे से विचार करें । अब यह मामला कमिश्नर, ईपीएफओ, वाशी के पास लंबित है । इसमें शामिल राशि अनिश्चित है ।

vi) पूँजी लेखा पर संविदाओं की अनुमानित राशि निष्पादित नहीं की गई है और शून्य रूपये के लिए (गत वर्ष 390.79 लाख रू.) प्रावधान नहीं किया गया है ।

26.2. समर्थन मूल्य परिचालन खाते पर हुई हानि 453.00 लाख रूपये (गत वर्ष 3625.40 लाख रूपये) है और उसकी गणना एएस-12 प्रावधान के अंतर्गत की गयी है, जो भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य कर दी गयी है । इन व्यय / हानियों में निम्न शामिल है :-

i) प्रशासकीय और स्थापना खर्चो के भाग को समर्थन मूल्य परिचालन के अंतर्गत खरीद की गई गाँठों के आधार पर बांटा गया है ।

ii) खरीदी गई कपास गाँठों के मूल्य पर आधृत अचल परिसंपत्ति पर मूल्य-ह्रास ।

iii) निधियों पर ब्याज में बैंक ऋण तथा समर्थन मूल्य कार्य में लगायी गयी अपनी निधि निम्नलिखित अवधि के लिए शामिल की गयी है :-

क) गाँठों में बदलने के लिए संसाधन प्रक्रिया यानि कपास की खरीद की तारीख से गाँठों की प्रेसिंग की तारीख तक ।

ख) गॉठों के प्रेसिंग की तारीख से गाँठें उठवाने की तारीख तक के लिए बेची गई और उठायी गई गांठों के लिए ।

The said order was challenged by the Company before E.P.F. Appellate Tribunal, New Delhi. The appeal was dismissed vide order dated 20th October, 2010 passed by the Honorable Appellant Tribunal, New Delhi. The Company further challenged the decision of the appeal before the Honorable Bombay High Court by way of writ petition on 30th December, 2010. The High Court disposed of the writ Petition & set aside order 3.12.2004 & 20.10.2010 of PF Commissioner, Vashi and the appellate Tribunal and with the direction to Assistant Provident Fund Commissioner to issue fresh notice to all parties and consider the matter a fresh. The same is now pending with Commissioner, EPFO Vashi. The amount involved is indeterminate.

vi) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for Rs. NIL (Previous year Rs. 390.79 lakhs).

26.2 Losses amounting to Rs. 453.00 lakhs (Previous year Rs. 3625.40 lakhs) aroused on account of Support Price operations and accounted for under the provision of AS-12 are reimbursable by the Government of India. These expenses/ losses includes:

i) Administrative and establishment expenses, apportioned towards support price operations on the basis of number of bales purchased.

ii) Depreciation on Fixed Assets allocated to support price operations based on the value of the bales purchased.

iii) Interest on funds which includes bank borrowings as well as own funds deployed in support price operations computed for the following periods:-

a) Process cycle for conversion of bales i.e. from the date of purchase of kapas up to the date of pressing of bales.

b) For bales sold and lifted from the date of pressing of bales up to the date of lifting of bales.

ग) गाँठों की प्रेसिंग की तारीख से वर्ष के अंत तक, यानि 31.3.2012 तक अनबिकी गाँठें और बेची गयी लेकिन न उठवाई गई गाँठों के लिए ।

घ) वर्ष के आरंभ में बकाया राशि के लिए ब्याज को भुगतान की प्राप्ति तक लगाया गया है।

iv) कपास के खरीद मूल्य के आधार पर तिरपालों के खर्चो को समर्थन मूल्य खरीद परिचालन पर आबंटित किया गया है ।

v) प्रेस की गई गाँठों की संख्या के आधार पर हैसियन / ग्रे कपड़े के खर्चो को समर्थन मूल्य परिचालन पर आबंटित किया गया है ।

vi) वर्ष के दौरान मायक्रोनेयर टेस्टर तथा मोईश्चर मीटर्स जैसे परीक्षण सामग्री की लागत की खरीद की राशि 20.23 लाख रूपये है (गत वर्ष शून्य रूपये)।

vii) विक्रय और वितरण व्यय वास्तविक आधार पर लिये गये हैं ।

26.3. अन्य आय में 4496.44 लाख रू. तथा पूर्व अवधि की आय 805.52 लाख रू. शामिल है जो कुल 5301.96 लाख रू. (गत वर्ष शून्य रू.) बनती है, जो चूककर्ता खरीददारों से उनको आरंभ में बेची गयी मात्रा की पुनः बिक्री से उत्पन्न हानियों के लिए जमा राशि, अग्रिम, लदान प्रभार, ऋण शेष और उस पर ब्याज से कंपनी द्वारा बनायी गयी/अपनायी गयी लेखा नीति में परिवर्तन के कारण आय के रूप में मानी गयी है । इस प्रकार के परिवर्तन के कारण वर्तमान वर्ष में हानियाँ 5301.96 लाख रू. तक घट गयी हैं । यदि इसका प्रावधान पिछले वर्ष की तरह किया जाता तो वर्ष के लिए हानियाँ 5301.96 लाख रूपये से अधिक होती तथा अन्य वर्तमान देयताएँ - ग्राहक से (नोट 7 में संदर्भ के अनुसार) प्राप्त अग्रिम 5301.96 लाख रूपये से अधिक होती ।

26.4. व्यापार प्राप्ति योग्य में एनटीसी सहायिकायें, संस्थागत खरीददार, अन्य व्यापार प्राप्ति योग्य, ऋण और अग्रिम जमा राशि, जमा राशियाँ अन्य वर्तमान आस्तियाँ तथा भुगतान योग्य व्यापार पुष्टीकरण/समाशोधन के अधीन है । प्रबंधन की राय के अनुसार अचल परिसंपत्तियों और गैर-परिचालन निवेश से अलग परिसंपत्तियों का मूल्य व्यापार की सामान्य अवधि में प्राप्ति योग्य/देय

c) For unsold bales and bales sold but unlifted, from the date of pressing of bales till the end of the year i.e. 31.3.2012.

d) For the amount outstanding in the beginning of the year, interest is charged till receipt of the payment.

iv) Tarpaulins expenditure allocated to support price operations on the basis of purchase value of cotton.

v) Hessian/gray cloth expenditure allocated to support price operations on the basis of the number of bales pressed

vi) Cost of testing equipments namely Micronaire Testers and Moisture meters, purchased during the year amounting to Rs.20.23 Lakhs (Previous Year Rs. NIL).

vii) Selling and Distribution expenses are on actual basis.

26.3 Other Income includes Rs. 4496.44 lakhs and Prior period Income includes Rs. 805.52 lakhs totaling Rs. 5301.96 lakhs (Previous Year Rs. NIL) towards deposits, advance carrying charges, credit balances and interest thereon received from defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them has been considered as income due to change in accounting policy adopted by the company and in view of the opinion given by the Expert Advisory Committee of the Institute of the Chartered Accountants of India. Due to such changes in accounting policy the losses have been reduced by Rs 5301.96 lakhs in the current year. Had it been provided as per preceding year the losses for the year would have been higher by 5301.96 lakh and Other Current liabilities – Advance received from customer (as refer at Note -7) would have been higher by 5301.96 lakhs.

26.4 Trade Receivable comprising NTC Subsidiaries, Institutional Buyers, Other Trade Receivable, Loans and Advances, Deposits, Other Current Asset and Trade Payable are subject to confirmation/Reconciliation. (In the opinion of the Management, the assets other than fixed Assets and non-current investments have a

योग्य है जो कम से कम राशि के समकक्ष है ऐसा बताया गया है ।

26.5 सुक्ष्म एवं लघु उद्यमों का प्रस्तुतीकरण :

(i) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि तथा उस पर देय ब्याज का शेष भुगतान है :

(लाख रूपये में)

	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष
मूल राशि*	205.88	894.77
ब्याज	60.75	6.92

* इसमें ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा राशि शामिल है जो संविदा की शर्तो के अनुसार ठेकेदारों से प्राप्त हुआ है ।

(ii) प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम - 2006 की धारा-16 की शर्तो के अनुसार खरीददार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि "शून्य" है। (गत वर्ष शून्य रूपये)

(iii) ब्याज के कारण और भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय राशि जहां मूल का भुगतान वर्ष के दौरान किया गया किन्तु मायक्रो, स्मॉल अन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट - 2006 के अधीन ब्याज का भुगतान नहीं किया गया - "शून्य" है । (गत वर्ष शून्य रूपये)

(iv) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपचित ब्याज राशि और शेष अप्रदत्त राशि "शून्य" है । (गत वर्ष शून्य रूपये)

(v) आगे देय ब्याज की बकाया राशि और आगामी वर्षो में भी देय उस तारीख तक जब उपर्युक्त बकाया राशि वास्तविक रूप से छोटे उद्यमों को भुगतान किया गया है, जो सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम - 2006 की धारा-23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में डिसअलाउन्स प्रयोजन के लिए देय 60.75 लाख रूपये है । (गत वर्ष 6.92 लाख रूपये)

कंपनी के पास उपरोक्त जानकारी जिस सीमा तक उपलब्ध है, दी गई है ।

value on realization in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated)

26.5 Disclosure for Micro and Small Enterprises:

(i) The principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of each accounting year:

(Rs. In Lakhs)

	Year ended 31 March, 2012	Year ended 31 March, 2011
Principal*	205.88	894.77
Interest	60.75	6.92

*Includes interest free security deposits received from contractors as per the terms of the contract.

(ii) The amount of interest paid by the company in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year is –Rs. NIL (Previous Year Rs NIL)

(iii) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (where principal has been paid but Interest under MSMED Act 2006 not paid is – Rs. NIL (Previous Year Rs NIL)

(iv) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year is- Rs. Nil (Previous Year Rs NIL)

(v) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding year, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is – Rs. 60.75 lakh (Previous Year Rs 6.92 lakh).

The above information is given to the extent available with the Company.

26.6 वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान भारत सरकार की ओर से आयात की गई कपास की पुनः बिक्री पर 1679.63 लाख रूपये (गत वर्ष 1679.63 लाख रूपये) की राशि हानि के लिए संविदागत गॉठें विभिन्न मिलों द्वारा न उठाने के कारण वसूली योग्य परिसमापन क्षति के कारण बकाया थी । कंपनी को भारत सरकार से इसकी प्राप्ति हो चुकी है । इस प्रकार के चूककर्ताओं के विरूद्ध परिसमापन क्षति के रूप में वसूली योग्य हानियाँ माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या, में मामलों के रूप में लंबित हैं । चूककर्ता खरीददारों से जमा की गयी राशि, ऐसे मामले के लंबित रहने तक भारत सरकार को देय अन्य देय शीर्ष के अंतर्गत (संदर्भ नोट - 3) इस प्रकार के मामलों के निपटान हेतु ली गयी है ।

26.7 इस वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को टीएमसी में तैनात करने के लिए उनके वेतन तथा भत्ते हेतु टीएमसी सेल से शून्य रूपये (गत वर्ष 33.96 लाख रूपये) की प्रतिपूर्ति की गई और उसे स्थापना शीर्ष के अंतर्गत वेतन तथा भत्तों से घटाया गया है ।

26.8 लेखा मानक 15 "कर्मचारी लाभ" द्वारा अपेक्षित कर्मचारी लाभों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(क) अंशदान योजनाओं की परिभाषा :

कंपनी ने लाभ तथा हानि खाते में निम्न राशियों को मान्यता दी है :

लाख रूपये में

	2011-12	2010-11
भविष्य निधि तथा भविष्य निधि पेन्शन फंड में अंशदान	480.94	656.91
अधिवर्षिता निधि के लिए अंशदान (कर्मचारी द्वारा अभ्यर्पित लाभ के मूल्य को शामिल करते हुए)	125.35	379.00

(ख) लाभ योजनाओं की परिभाषा/दीर्घावधि प्रतिपूर्ति :

दि.31.3.2012 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार और कर्मचारी लाभ योजना के संबंध में वित्तीय विवरणियों में मान्य है ।

26.6 On account of liquidated damages recoverable from various mills for their failure to lift the contracted bales an amount of loss of Rs. 1679.63 lakhs (Previous Year Rs. 1679.63 Lakhs) on resale of cotton imported on behalf of Government of India during the year 1976-77 and 1977-78 were outstanding. The same has already been received by the Company from the Government of India. The losses recoverable towards liquidated damages against such defaulters are pending in form of large no of cases before Honorable Bombay High Court. The amount collected from the defaulted buyers, pending such cases, has been accounted for on settlement of such cases, under the head of Other Long Term Liabilities - Other Payable (refer Note -3) being payable to the Government of India.

26.7 Pay and Allowances of Rs. NIL (Previous year Rs. 33.96 lakhs) have been reimbursed from TMC cell for the staff deployed to them by the Company during the year and the same has been reduced from Pay and Allowances under Establishment head.

26.8 Details of Employee Benefits as required by the Accounting Standard 15 – "Employee Benefits" are as follows:

A Defined Contribution Plans:

The Company has recognized the following amounts in the profit and loss account:

Rs. in lakhs

	2011-12	2010-11
Contribution to Provident Fund and Pension Fund	480.94	656.91
Contribution to Superannuation Fund (Including value of surrendered benefit by employees)	125.35	379.00

B. Defined Benefit Plans/Long Term Compensated Absences :

As per Actuarial Valuation as on 31.03.2012 and recognized in the finanacial statements in respect of Employee Benefit Schemes:

(लाख रूपये में) / (Rs. in Lakhs)

क्र.सं. S. No	ब्यौरे PARTICULAR	उपदान (निधिक) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment (अनिधिक) (non funded)	
		As on 31.3.2012	As on 31.3.2011	As on 31.3.2012	As on 31.3.2011
i.	**नियोक्ता व्यय के घटक** **Components of employer expense**				
	(क) वर्तमान सेवा लागत (a) Current service cost	121.26	110.16	119.75	111.92
	(ख) ब्याज लागत (b) Interest cost	265.76	253.24	180.06	169.14
	(ग) परिसंपत्ति योजना पर अपेक्षित प्राप्ति (c) Expected return on plan assets	(248.01)	(241.95)	0.00	0.00
	(ड) बीमांकिकी हानि (d) Actuarial Losses	559.20	300.90	1229.71	291.93
	लाभ तथा हानि खाता विवरणी में मान्यता प्राप्त कुल व्यय Total expenses recognized in the Statement of Profit & Loss Account	698.21	422.35	1529.52	572.99
ii.	**वास्तविक अंशदान तथा लाभ भुगतान** **Actual contribution and Benefit payments**				
	वास्तविक लाभ का भुगतान / Actual benefit payments	487.41	498.68	(487.97)	(409.12)
	वास्तविक अंशदान / Actual contribution	357.50	452.76	487.97	409.12
iii.	**तुलन-पत्र में शुद्ध मान्यता प्राप्त दायित्व** **Net liability recognized in Balance Sheet**				
	लाभ बाध्यता की परिभाषा का दायित्व Liability of Defined Benefit Obligation	3759.32	3343.76	3348.31	2306.76
	परिसंपत्ति योजना का उचित मूल्य Fair value of plan assets	3061.11	2986.26	0.00	0.00
	तुलन-पत्र दायित्व में मान्यता प्राप्त शुद्ध Net liability recognized in Balance Sheet	(698.21)	(357.50)	(3348.31)	(2306.76)
iv.	**लाभ बाध्यता की परिभाषा में परिवर्तन** **Change in Defined Benefit Obligations**				
	वर्ष के प्रारंभ में लाभ बाध्यता की परिभाषा का दायित्व Liability of Defined Benefit Obligation at the beginning of the year	3343.76	3208.81	2306.76	2142.88
	वर्तमान सेवा लागत / Current service cost	121.26	110.16	119.75	111.92
	ब्याज लागत / Interest cost	265.76	253.24	180.06	169.14
	बीमांकिकी हानि / Actuarial losses	515.95	270.23	1229.71	291.94
	भुगतान किए गए लाभ / Benefits paid	(487.41)	(498.68)	(487.97)	(409.12)
	वर्ष के अंत में लाभ बाध्यता की परिभाषा का दायित्व Liability of Defined Benefit Obligation at the end of the year	3759.32	3343.76	3348.31	2306.76

(लाख रूपये में) / (Rs. in Lakhs)

क्र.सं. S. No	ब्यौरे PARTICULAR	उपदान (निधिक) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment (अनिधिक) (non funded)	
		As on 31.3.2012	As on 31.3.2011	As on 31.3.2012	As on 31.3.2011
v.	**संपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन Change in Fair Value of Assets**				
	वर्ष के प्रारंभ में संपत्ति योजना Plan assets at the beginning of the year	2986.26	2820.90	0.00	0.00
	संपत्ति योजना पर वास्तविक प्रतिलाभ Actual return on plan assets	248.01	241.94	0.00	0.00
	वास्तविक कंपनी अंशदान Actual Company contribution	357.50	452.76	0.00	0.00
	भुगतान किया गया लाभ Benefits paid	(487.41)	(498.68)	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में संपत्ति योजना पर बीमांकिकी लाभ/(हानि) Actuarial Gain/(Loss) on Plan Assets	(43.25)	(30.66)	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में संपत्ति योजना Plan assets at the end of the year	3061.11	2986.26	0.00	0.00
vi.	**बीमांकिकी धारणा Actuarial Assumptions**				
	छूट की दर (%) Discount Rate (%)	8.50%	8.25%	8.50%	8.25%
	संपत्ति योजना पर प्रति प्राप्ति (%) Expected Return on plan assets (%)	8.60%	8%	0%	0%
	वेतन वृद्धि (%) Salary escalation (%)	7%	4%	7%	4%
vii.	**कुल संपत्ति योजना के प्रतिशत के अनुसार संपत्ति योजना की बड़ी श्रेणियाँ The major categories of plan assets as percentage of total plan assets**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**
	भारत सरकार परिसंपत्तियाँ Government of India Assets	19.45%	21%	0.00	0.00
	कारपोरेट बाँडस् Corporate Bonds	66.49%	66.5%	0.00	0.00
	विशेष जमा राशि योजना Special Deposits Scheme	6.13%	6.3%	0.00	0.00
	अन्य Other	7.93%	6.2%	0.00	0.00

26.9 लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक
26.9 Auditor's Remuneration

	ब्यौरे Particular	2011 - 2012 (Rs. in Lakhs)	2010 - 2011 (Rs. in Lakhs)
क) a)	लेखा परीक्षा शुल्क Audit Fee	10.00	10.00
ख) b)	कर / वॅट लेखा परीक्षा शुल्क Tax / VAT Audit Fees	5.50	4.49
ग) c)	प्रमाणीकरण के लिए For certification	0.50	Nil
घ) d)	खर्चों की प्रतिपूर्ति Reimbursement of Expenses	0.44	Nil
	कुल / Total	**16.44**	**14.49**

26.10 अकोला शाखा में दि.6.5.2010 को पुसद केंद्र के एमएसडब्ल्यूसी गोदाम में 1212 पूर्णबंधित गॉठों का एक दुर्विनियोग पाया गया । दोषी के विरूद्ध पुलिस स्टेशन पुसद में एफआयआर सं.117/10 दि.8.5.2010 द्वारा एक अपराधिक मामला दर्ज किया गया । कथित 1212 पूर्णबंधित गॉठों का मूल्य लगभग 150.63 लाख रू. है । कथित मामला संबंधित पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जांच के अधीन है । जांच के दौरान पुलिस ने 900 पूर्णबंधित गॉठों को प्राप्त किया और उन्हें जब्त किया । ये 900 गांठें एल.सी.बी. यवतमाल के कबजे. में है और पुसद में एमएसडब्लयूसी गोदाम में भंडारित हैं । कंपनी ने इन गांठों के कबजे. और बिक्री के लिए माननीय न्यायालय में आवेदन किया है । 37.49 लाख रू. की राशि की 300 पूर्णबंधित गॉठें दोषी से वसूल हुई है और एल.सी.बी. यवतमाल जांच कार्यालय में जमा की गयी है । शेष 12 पूर्णबंधित गॉठों के पुलिस जांच चल रही है । उपरोक्त को स्टॉक के मूल्यांकन में शामिल नहीं किया गया है तथा इस बारे में किसी प्रकार की प्राप्ति को जब कभी प्राप्त किया जायेगा, गिना जायेगा ।

26.11 गुंतूर शाखा में वर्ष 2007-08 के दौरान 233 कपास गॉठों के स्टॉक और 28882 मीटर्स ग्रे क्लॉथ के स्टॉक का दुर्विनियोजन पाया गया तथा मूल्यांकन प्रयोजन के लिए इसे अंतिम स्टॉक के रूप में नहीं माना गया है । मामला अब ट्रायल कॉर्ट के अधीन है । जांच

26.10 In Akola branch a misappropriation of 1212 FP bales at MSWC godown, Pusad Centre was noticed on dated 06.05.2010. A Criminal case is registered against the accused at police station Pusad vide FIR no. 117/10 dated 08.05.2010. The value of the said 1212 FP Bales is approx Rs.150.63 lakhs. The said case is still under investigation by the concerned police authorities. During the investigation Police recovered 900 FP Bales and ceased. These 900 bales are in the possession of L.C.B. Yeotmal and are stored in MSWC godowns at Pusad. The Company applied to the Honorable Court, Yeotmal for possession and sale of these bales. Value of 300 FP bales amounting to Rs. 37.49 lakhs has been recovered from the accused and deposited with the Investigating office L.C.B. Yeotmal. For balance 12 FP bales police investigation is in progress. Currently the case is investigated by CID, Amravati. The above is not considered in the valuation of the stock and any realization on this account will be accounted as and when received.

26.11 In Guntur branch, during the year 2007-08, misappropriation of stock of 233 cotton bales and 28882 meters of Grey Cloth was observed and the same was not considered as Closing Stock for valuation purpose. The matter is now under Trial Court. During investigation

के दौरान पुलिस ने 100 कपास गॉठें प्राप्त की है जो पुलिस द्वारा कंपनी को सौंपी गयी थी । कथित 100 कपास की गॉठें माननीय न्यायालय चिलकालूरीपेट के आदेश के अनुसार वर्ष 2010-11 में बेची गयी थी और 20,81,399/-रू. की राशि प्राप्त हुई । 83,643/-रू. की राशि गॉठों के निपटान के लिए खर्च के रूप में काटने के बाद 19,97,756/-रू की राशि दि. 19.4.2011 को न्यायालय में जमा की गयी । मामले का निपटान होने के बाद इसे गिना जायेगा ।

26.12 भारत सरकार से अवधि और लागू तारीख का विशेष रूप से उल्लेख करने से संबंधित अधिसूचना के अभाव में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के अंतर्गत टर्न-ओवर पर कर देय है, जिसका निर्धारण नहीं किया गया है, अतः उसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

26.13 प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित मात्रात्मक प्रकटन

(क) आरंभिक स्टॉक, खरीद, बिक्री और कच्चे माल का अंतिम स्टॉक, बेचे गये और तैयार माल के पण्यवार ब्यौरे

Police recovered 100 cotton bales, which were handed over by the police to the Company. The said 100 cotton bales were sold during 2010-11 as per order of the Honorable Court, Chilakaluripet and an amount of Rs. 20,81,399/ was realized thereof. The amount of Rs. 19,97,756/- after deducting expenses on disposal of bales of Rs. 83,643/- has been deposited with the court on 19.4.2011. The same will be accounted as and when the case is settled.

26.12 In absence of relevant notification by the Government of India specifying the period and applicable date at which cess on turnover is payable under section 441A of the Companies Act, 1956, the same is not determinable and hence not provided for.

26.13 Quantitative Disclosure as certified by the Management

A) Commodity wise breakup of opening stock, purchases, sales and Closing Stock of Raw Material, Traded and Finished Good.

कच्चा माल / Raw Material	उपभोग / Consumption	
	मात्रा (क्विंटल में) Quantity (In Qntl.)	मूल्य (लाख रू. में) Value (Rs. In Lakhs)
कपास** Kapas**	**916689** (6603342)	**44242.62** (311769.39)
पैकिंग सामग्री Packing Material	-	**122.20** (410.61)
तारपोलिन Tarpulins	-	**504.88** (470.98)
कुल Total	-	**44869.70** (312650.98)

विपणित माल / **Traded Goods**	**खरीद / Purchases**	
	मात्रा (क्विंटल में) **Quantity (In Qntl.)**	**मूल्य (लाख रू. में)** **Value (Rs. In Lakhs)**
तैयार पूर्ण-बंधित गाँठें Ready FP Bales	**200** (3800)	**21.45** (348.82)
कुल Total	**200** (3800)	**21.45** (348.82)

माल का स्वरूप **Nature of Goods**	**बिक्री** **Sales**		**अंतिम मालसूची (लाख रू. में)** **Closing Inventory (Rs. In lakhs)**		**आरंभिक मालसूची (लाख रू. में)** **Opening Inventory (Rs. In lakhs)**	
देशी कपास संसाधन **Domestic Cotton Processing**	**मात्रा** **Quantity**	**मूल्य (लाख रू. में)** **Value (Rs. In Lakhs)**	**मात्रा** **Quantity**	**मूल्य (लाख रू. में)** **Value (Rs. In Lakhs)**	**मात्रा** **Quantity**	**मूल्य (लाख रू. में)** **Value (Rs. In Lakhs)**
पूर्णबंधित गाँठें(संख्या में) FP Bales (In No.)	***820866** (1281363)	**156904.97** (216731.36)	**102676** (726517)	**16831.05** (152158.53)	**726517** (687989)	**152158.53** (87515.73)
रूई (क्विंटल में) Lint (In Qntls)	****325783** (2161797)	**27.77** (25.57)	**141** (19)	**13.78** (2.53)	**19** (1292)	**2.53** (74.80)
बिनौला (क्विंटल में) Seeds(In Qntls)	**663533** (4316431)	**9383.71** (52318.76)	**27790** (71850)	**449.97** (999.48)	**71850** (181480)	**999.48** (2172.71)
कुल **Total**		**166316.45** (269075.69)		**17294.80** (153160.54)		**153160.54** (89763.24)
विपणित माल Traded Goods						
तैयार पूर्ण-बंधित गाँठें Ready FP Bales	**200** (3800)	**21.69** (379.06)	**0.00** (0.00)	**0.00** (0.00)	**0.00** (0.00)	**0.00** (0.00)
कुल **Total**	**200** (3800)	**21.69** (379.06)	**0.00** (0.00)	**0.00** (0.00)	**0.00** (0.00)	**0.00** (0.00)

नोटः- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गत वर्ष से संबंधित है.

* पूर्ण-बंधित गाँठों में, 200 (गत वर्ष 1889) अग्नि में खोयी/ क्षतिग्रस्त/ चोरी/परिवहन में खोयी आदि शामिल है, उसे पिछले वर्ष के अनुसार सामान्य हानि मानी जाएगी, जिसके लिए बीमा दावे दायर किए गए हैं.

** पूर्ण-बंधित गाँठों के लिए खपत हुई रूई का प्रतिनिधित्व करता है तथा 0 क्विंटल (गत वर्ष 1028.47 क्विंटल), जो अग्नि में नष्ट हुई हैं, उसके लिए बीमा दायर किए गए हैं.

*** अग्नि में नष्ट शून्य (गत वर्ष 376.60 क्विंटल) कपास शामिल है, जिसके लिए बीमा दावे दायर किए गए हैं.

Notes: Figures in bracket relates to previous year

* Includes 200 (Previous Year 1889) F.P. bales lost in fire, damages/ theft/ transit loss etc is being treated as normal loss as followed in previous years for which insurance claims lodged

** Represent lint consumed for FP bales and included 0 qtls (Previous Year 1028.47) qtls lint lost in fire for which insurance claim lodged.

*** includes NIL (Previous Year 376.60 qtls.) kapas lost in fire for which insurance claims lodged.

(ख) विदेशी मुद्रा में अर्जन (जैसे-प्रबंधन द्वारा प्रमाणित) :

(B) Earnings in Foreign Exchange (as certified by the management):

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

	2011-2012	2010-2011
माल के निर्यात पर : **Export of Goods on :-**		
एफ.ओ.बी.आधार पर FOB basis	3214.22	1108.34
सी एंड एफ आधार पर C & F basis	Nil	1837.14
निर्यात पर निकासी प्रभार तथा विनिमय अंतर Carrying charges & Exchange difference on Export	86.28	76.22

(ग) विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर) (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार) :

(C) Expenditure in foreign currency (on Cash Basis) (as certified by the management):

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

	2011-2012	2010-2011
(i) यात्रा Travelling	9.66	10.92
(ii) पुस्तकें, पत्रिकाएँ एवं अभिदान Books, Periodicals & Subscription	3.38	3.14
(iii) निर्यात पर कमीशन Commission on export	–	24.73

26.14.सेग्मेंट रिपोर्टिंग :

क) कंपनी मुख्य रूप से कपास व्यापार का कार्य करती है । संघटनात्मक ढाँचा और आंतरिक रिपोर्टिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, उसमें जोखिम और लाभ का कोई अंतर नहीं पड़ता है, वह केवल रिपोर्ट योग्य व्यापार का एक भाग है, जिसमें अनुपयुक्त सुविधाओं से उत्पन्न आय शामिल है ।

ख) चूँकि भारत के बाहर बिक्री, कुल बिक्री के 10% से कम है, भौगोलिक सेग्मेंट का भौगोलिक रिपोर्ट नहीं किया गया है ।

26.14 Segment Reporting:

a) The Company is predominantly engaged in cotton trading. Considering the organizational structure and internal reporting system, there are no differing risk and returns, this is the only reportable business segment which includes income arising from idle facilities.

b) The sales outside India is less than 10% of the total sales, hence Geographical segment is not reported.

26.15 आय/(हानि) प्रति शेयर की गणना
Calculation of Earning / (Loss) per share

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

ब्यौरे / Particular	31.3.2011 को As on 31.3.2012	31.3.2010 को As on 31.3.2011
क) विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ/(हानि) (लाख रूपये में) A) Profit/(Loss) Available for Appropriation (Rs. in Lakh)	(17989.28)	(95.86)
ख) ईक्विटी शयर्स की वेटेज औसत संख्या B) Weighted Average No. of Equity Shares (No's)	25,00,000	25,00,000
ग) प्रति ईक्विटी शेयर्स नाममात्र मूल्य C) Nominal Value Per Equity Shares (Rs)	100	100
घ) मूल और तनुकृत आय/(हानि) प्रति शेयर्स (रू) (क/ख) D) Basic and Diluted Earnings/(Loss) per shares (Rs.) (A/B)	(719.57)	(3.83)

26.16 संबंधित पार्टी की घोषणा
Related Party Disclosure

1) **संबंधित पार्टियों की सूची जिसके साथ सौदा किया गया तथा संबंध :**
List of Related Parties with whom transactions have taken place and relationship:

क्र.सं. Sr. no.	संबंधित पार्टी का नाम Name of related party	संबंध Relationship
1.	श्री बी.के.मिश्र Shri B.K. Mishra	मुख्य प्रबंधन अधिकारी Key Management Personnel
2.	श्री सी.एस.तेवतिया Shri. C. S. Teotia	
3.	श्री रा.कु.केडिया (31.01.2012 तक) Shri. R.K. Kedia (Till 31.01.2012)	
4.	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल (02.03.2012 से) Shri Pradeep Kumar Agarwal (Since 02.03.2012)	

2) **वर्ष के दौरान सौदे** (रूपये लाख में)
Transactions during the year : (Rs. in lakhs)

क) पारिश्रमिक
A. Remuneration

- वर्तमान वर्ष - Current Year	**73.07**
- गत वर्ष - Previous Year	**(61.00)**

The provisions of section 309 and 198 in respect of Managerial Remuneration is not applicable to the Company vide notification no GSR 235 Dated 31/1/1978 issued by Ministry of Corporate Affairs.

ख) ऋण

B. Loans

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

निदेशको का नाम Directors Name	दि.1/4/2011 को आरंभिक शेष Opening Balance as on 1/4/2011	शेष वर्ष के दौरान लिये गये Taken during the year	वर्ष के दोरान भुगतान किये गये Repaid during the year	दि.31/3/2012 को बकाया शेष Balance o/s as on 31/3/2012	वर्ष के दौरान अधिकम बकाया शेष Maximum Balance o/s During the year
श्री सी.एस.तेवतिया Shri C.S. Teotia	0.11 (0.19)	0.00 (0.01)	0.08 (0.09)	0.03 (0.11)	0.11 (0.19)
कुल Total	0.11 (0.19)	0.00 (0.01)	0.08 (0.09)	0.03 (0.11)	0.11 (0.19)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गत वर्ष के हैं) (Figures in brackets relate to previous year.)

26.17 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी, कंपनीज अधिनियम 1956 की पूर्व संशोधित अनुसूची VI, जो तब लागू थी, के अनुसार बनायी गयी है । कंपनीज अधिनियम 1956 के अधीन संशोधित अनुसूची VI की अधिसूचना के फलस्वरूप 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियाँ संशोधित अनुसूची VI के अनुसार तैयार की गयी है । तद्नुसार, गत वर्ष के आंकड़ों को भी इस वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप करने के लिए पुनःवर्गीकृत किया गया है । पिछले वर्ष के आंकड़ों के लिए संशोधित अनुसूची VI को अपनाने का वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिए अपनाये जाने वाले मान्यता और उपाय सिद्धांतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

26.17 The financial statement for the year ended 31st March, 2011 had been prepared as per the then applicable, pre-revised Schedule VI to the Companies Act, 1956. Consequent to the notification of Revised Schedule VI under the Companies Act, 1956, the financial statements for the year ended 31st March, 2012 are prepared as per Revised Schedule VI. Accordingly, the previous year figures have also been reclassified to conform to this years' classification. The adoption of revised Schedule-VI for previous year figures does not impact recognition and measurement principles followed for preparation of financial statements.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
(बी. के. मिश्र)	(सी.एस. तेवतिया)	(प्रदीप कुमार अग्रवाल)	(मनोज बजाज)
(B. K. Mishra)	(C.S. Teotia)	(Pradeep Kumar Agarwal)	(Manoj Bajaj)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (विपणन)	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक(वित्त)
Chairman-cum-Managing Director	Director (Marketing)	Director (Finance)	Company Secretary-cum-General Manager (Finance)

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते चौक्सी एंड चौक्सी
For Chokshi & Chokshi
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(कनु चौक्सी)
(Kanu Chokshi)
भागीदार
Partner

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
For Prem Gupta & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(प्रेम बिहारी गुप्ता)
(Prem Behari Gupta)
भागीदार
Partner

दिनांक : 25-07-2012
स्थान : नई दिल्ली

Date : 25-07-2012
Place : New Delhi

सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी विवरणी के लिए सांचा (सेवोत्तम)

सेवा सुपुर्दगी विवरणी के लिए टेम्पलेट (सांचा)

परिदृश्य विवरणी

मार्गदर्शन विषयः मंत्रालय/विभाग का दीर्घावधि लक्ष्य विजन (दृष्टि) है :

मंत्रालय/विभाग की दृष्टि

भारत सरकार की मूल्य समर्थन एजेन्सी के रूप में कार्य करना और देशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कपास व्यापार में क्रमिक रूप से मार्केट शेयर बढाते हुए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य कार्य-कलाप करना ।

मिशन विवरणी

मार्गदर्शन विषय : विजन (दृष्टि) को प्राप्त करने के लिए अल्पावधि संरचना या योजना मिशन है ।

वर्ष के लिए मिशन

1 जब कभी कपास के मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य तक पहुँच जायें, तब भारत सरकार की ओर से समर्थन मूल्य कार्य, किसी मात्रात्मक सीमा के बिना करना ।

2 देशी और अंतर्राष्ट्रीय कार्य-कलाप दोनों में, वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए खरीद और बिक्री कार्य करना और क्रमशः मीडियम टर्म में 10% मार्केट शेयर तक पहुँचाने का प्रयास करना ।

3 जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों के आधुनिकीकरण के लिए दीर्घ और अल्पावधि उपाय आरंभ करना, ताकि वस्त्रोद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुरूप गुणवत्तावाली कपास का संसाधन प्राप्त किया जा सके ।

4 धारण और संसाधन में उत्कृष्ट प्रबंधन प्रथाओं के प्रोत्साहन द्वारा संदूषण-मुक्त कपास की उपलब्धता बढ़ाना ताकि यार्न, फेब्रिक और परिधान में विश्व स्पर्धा का सामना करने के लिए वस्त्रोद्योग की गुणवत्तावाली कपास की आवश्यकता पूरी की जा सके ।

5 कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-III तथा IV के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी की भूमिका निभाना.

वर्ष के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा अभिचिन्हित लक्ष्य

मार्गदर्शन विषयः अभिचिन्हित लक्ष्यों के बारे में मानदंडयोग्य कार्य-निष्पादन लक्ष्यों के साथ बतायें, जो इन लक्ष्यों के लिए निर्धारित किये गये हैं :

BENCHMARKING EXCELLENCE IN PUBLIC SERVICE DELIVERY (SEVOTTAM)

Template for Service Delivery Statement

Vision Statement

Guidance Text: 'VISION' is the long-term goal of the Ministry/Department

Vision of the Ministry/Department

To act as the Price Support Agency of the Government of India and to undertake commercially viable operations by gradual increase in market share, both in domestic and international cotton trade.

Mission Statement

Guidance Text: 'MISSION' is the short-term strategy or plan for achieving the vision

Mission for the year

1. To take up Price Support Operations on behalf of Government of India, as and when the kapas prices touch the support price fixed by the Government without any quantitative limit;

2. To take up purchases and sales ensuring commercial viability both in domestic and international operations gradually strive to reach 10% market share in medium term.

3. To initiate long and short term measures for modernizing ginning and pressing factories so as to achieve quality processing of cotton to match international standards for the textile industry.

4 To increase the availability of contamination free cotton by encouraging best management practices in handling and processing to meet quality cotton needs of textile industry to face the global competition in yarn, fabrics and made-ups.

5 To carry out role of implementing agency for Mini Missions III and IV of Technology Mission on Cotton

Objectives for the year identified by the Ministry/ Department

Guidance Text: State the objectives identified along with measurable performance targets that have been set for these objectives:

सं. No.	लक्ष्य सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार Objectives (As per MoU signed between CCI and MoT, Government of India for 2011-12)		मानदंड योग्य कार्यनिष्पादन लक्ष्य Measurable Performance Targets
	भाग ख - सामान्य मानदंड **PART A - COMMON PARAMETERS**		
1.	**स्थैतिक वित्तीय मानदंड** **Static financial parameters**		**(50%)**
	1.1	वित्तीय कार्य-निष्पादन संकेतक Financial performance indicators	
		(i) सकल मार्जिन/टर्नओवर Gross margin/turnover (%)	10
		(ii) परिचालन टर्न-ओवर/ कर्मचारियों की संख्या (रू.लाख में/ कर्मचारी) Operational turnover/No.of employees (Rs.lakhs/employee)	12
	1.2	वित्तीय-संकेतक-आकार Financial indicators – size	
		(i) सकल मार्जिन (रू. करोड़ में) Gross margins (Rs. in Crores)	8
		ii) सकल बिक्री (रू. करोड़ में) Gross Sales (Rs. in Crores)	4
	1.3	वित्तीय रिटर्न-श्रम उत्पादकता एवं कुल फक्टर उत्पादकता Financial Returns – Labour Productivity & Total Factor Productivity	
		(i) पीबीडीआयटी/कुल रोजगार (रू. लाख में/ कर्मचारी) PBDIT / Total Employment (Rs. Lacs / Employee)	7
		(ii) जोडा गया मूल्य / सकल बिक्री (%) Added value/Gross sales (%)	9
2		**सक्रिय मानदंड** **Dynamic Parameters**	**(36%)**
	2.1	**अनुसंधान तथा विकास / Research & Development**	
		(i) भारत और अंतर्राष्ट्रीय कपास परिदृश्य पर तथा भविष्य में सीसीआई की महत्वपूर्ण भूमिका पर सलाहकार द्वारा किए गए अध्ययन पर की गयी कार्रवाई Action taken on study by consultant on Cotton Scenario in India & International and Strategic role of CCI in future	1
		(ii) अनुसंधान केन्द्रों से किसानों तक प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण - फ्रन्टलाइन डेमोंस्ट्रेशन की संख्या (एफएलडी) Transfer of technology from Research Centres to farmers-No of Front Line Demonstration (FLD)	2

सं. No.	लक्ष्य सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार Objectives (As per MoU signed between CCI and MoT, Government of India for 2011-12)		मानदंड योग्य कार्यनिष्पादन लक्ष्य Measurable Performance Targets
		(iii) भंडारण हानि में घटौती के लिए मूल्यांकन एवं उपायों का सघन अध्ययन Comprehensive study of assessment & measures for reduction in storage loss	2
	2.2	**निरंतर विकास** **Sustainable development** (i) संदूषण मुक्त पूर्ण-बंधित गाँठें (कुल खरीद का%) Contamination free FP bales (% of total purchases)	5
	2.3	**निगमित सामाजिक दायित्व** **Corporate Social Responsibility**	
		(i) डीपीई के मार्गदर्शन के अनुसार मंडल द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर व्यय (ग्राम अभिग्रहण कार्यक्रम) Expenditure on implementation of projects to be approved by Board as per DPE Guidelines (village adoption programme)	5
	2.4	**ग्राहक संतुष्टि** **Customer Satisfaction**	
		(i) डीपीई को सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण आंकडों की समय पर प्रस्तुति Timely submission of Public Enterprise Survey Data to DPE	
		(ii) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति Appointment of independent Directors	1
		(iii) निदेशक मंडल के लिए आचरण एवं नैतिक संहिता को बनाना-निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन Formulation of code of conduct & Ethics for Board of Directors & Senior Management – Approval by Board of Directors	1
		(iv) निदेशक मंडल द्वारा पर्दाफाश योजना का अनुमोदन Approval of whistle blower scheme by Board of Directors	1
		(v) निगमित शासन पर तिमाही रिपोर्ट का समय पर प्रस्तुतिकरण Timely submission of quarterly reports on corporate Governance	1

सं. No.	लक्ष्य सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार Objectives (As per MoU signed between CCI and MoT, Government of India for 2011-12)	मानदंड योग्य कार्यनिष्पादन लक्ष्य Measurable Performance Targets
	2.5 मानव संसाधन प्रबंधन Human Resource Management	
	(i) 2011-12 के दौरान कुल नयी भर्ती की अल्प समुदाय से भर्ती Recruitment from minority community of total fresh recruitment during year 2011-12	1
	(ii) कर्मचारी प्रशिक्षण Training of Employees	
	(a) प्रशिक्षण संस्थान से कार्यपालक प्रशिक्षण पुरस्कार प्रमाण पत्र के साथ Executive training with award certificate from Training Institute	2
	(b) गैर-कार्यपालक Non executive	2
	2.6 ग्राहक संतुष्टि Customer Satisfaction	
	(i) संविदा निष्पादान % (कुल बिक्री का प्रतिशत गाँठों में) Contract performance (%tage of total sales in bales)	3
	(ii) गुणवत्ता शिकायत (कुल बिक्री का % गॉठों में) Quality complaints (%tage of total sales in bales)	3
	2.7 परियोजना कार्यान्वयन Project Implementation	
	(i) संविदा खेती परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र Area under contract farming projects	4
	(ii) अपनी भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कार्रवाई योजना-निदेशक मंडल का विचार Plan of Action for own storage capacity enhancement-consideration by Board of Directors	1

सं. No.	लक्ष्य सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार Objectives (As per MoU signed between CCI and MoT, Government of India for 2011-12)		मानदंड योग्य कार्यनिष्पादन लक्ष्य Measurable Performance Targets
III		**भाग ख - विशिष्ट मानदण्ड** **PART B - SPECIFIC PARAMETERS**	(14%)
	3	**क्षेत्र विशिष्ट मानदण्ड** **Sector Specific Parameters**	
		3.1 कपास की जि.एवं प्रे. के लिए संसाधन चक्र में सुधार Improvement in processing cycle for G&P of kapas	
		(a) 15 दिन के भीतर Processing within 15 days	2
		(b) औसत संसाधन चक्र Average processing cycle	2
		3.2 वस्त्र समिति द्वारा प्रमाणित आधुनिक जि.एवं प्रे. फैक्टरियों की संख्या No.of G&P factories modernized/certified by Textile Committee	2
	4	**उद्यम विशिष्ट एवं क्षमता मानदंड** **Enterprises specific & Efficiency Parameters**	
		4.1 30.09.2011 को न बेचे गए स्टॉक की मालसूची (कपास मौसम खरीद का %) लेखा परीक्षकों के प्रमाण पत्र के अनुसार Inventory unsold stock as on 30.09.2011 (% of cotton season purchases) as per Auditors Certificate	4
		4.2 किसानों को 8 दिन के भीतर सीधा भुगतान Direct payment to farmers within 8 days	1
		4.3 31 मार्च 2011 तक सतर्कता/विभागीय जांच मामलों का निपटान (%) Disposal of vigilance/D.E cases as on 31st March 2011 (%)	1
		4.4 ईआरपी ट्रायल रन ERP Trial run	1
		4.5 वार्षिक रिपोर्ट 2009-10 में लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई- निदेशक मंडल को प्रस्तुति Follow up action on audit observation in annual report 2009-10 – Submission to Board of Directors	1

ग्राहक समूह तथा मंत्रालय / विभाग से उनकी अपेक्षाएं

मार्गदर्शन विषयः ग्राहक समूहों को उनकी अपेक्षाओं के साथ अभिचिन्हित करें

CLIENT GROUPS AND THEIR REQUIREMENTS FROM THE MINISTRY/DEPARTMENT

Guidance Text: Identify client groups along with their requirements

	ग्राहक समूह / Client Groups	अपेक्षाएँ / Requirement
1	कपास किसान Cotton Farmers	1. कपास के लिए एपीएमसी बाजार में की जाने वाली प्रत्येक दिन की नीलामी में सीसीआई प्रतिनिधि की सहभागिता Participation of CCI representative in daily auctions conducted in APMC market yards for kapas; 2. कपास का समय पर तुलन Timely weighment of kapas. 3. प्रस्तावित कपास की गुणवत्ता तथा ग्रेड के अनुसार कपास मूल्य का भुगतान किया जाना Kapas price to be paid with reference to quality and grade of cotton offered.. 4. कपास के लिए समय पर भुगतान Timely payment for the kapas. 5. किसानों द्वारा की गई कोई शिकायत तथा समाधान Any grievances of the farmers to be addressed and solved.
2	खरीददार मिलें - देशी मिलें Buyer-mills – domestic mills	1. कपास की मांग, आपूर्ति तथा गुणवत्ता के बारे में बाजार आसूचना का नियमित अंतराल पर मूल्यांकन Appraisal of market intelligence regarding demand, supply and quality of cotton at regular interval. 2. समय-समय पर विभिन्न किस्मों तथा ग्रेडस के नमूना प्रकार की आपूर्ति Supply of type samples of various varieties and grades from time to time. . 3. विभिन्न किस्मों तथा ग्रेडस के लिए उपलब्ध स्टॉक का मूल्यांकन Appraisal of availability of stocks for various varieties and grades.. 4. बिक्री की पुष्टि के पश्चात समय पर गॉठें प्रस्तावित करना Timely offering of bales, after confirmation of sale..

	ग्राहक समूह / Client Groups	अपेक्षाएँ / Requirement
		5. खरीददार के अनुरोध के अनुसार सुपुर्दगी आदेशों को जारी करते हुए समय पर गाँठों का प्रेषण. Timely Dispatch of bales including issuance of delivery orders as per the request of the buyers. 6. स्पॉट पर प्रत्येक गाँठ का 100% वजन करना । Carry out 100% bale to bale weighment at spot. 7. गोदाम भंडारण सुविधा के अंतर्गत संतोषजनक सेवाएं । Satisfactory services under Godown Storage Facility. 8. बीजकों, डेबिट नोट्स आदि की समय पर आपूर्ति । Timely supply of invoices, debit notes etc. 9. लेखों के निपटान तथा आवश्यक बिक्री कर फॉर्मस् की प्रस्तुती के बाद यदि कोई हो, तो अतिरिक्त राशि को समय पर वापस करना Timely settlement of account and refund of excess money, if any, subject to submission of required sales tax forms. 10. गुणवत्ता तथा वजन आदि के संदर्भ में किसी भी शिकायत पर समय पर ध्यान देना. Timely attention of any grievances with reference to quality, weighment etc.
3	खरीददार मिलें- अंतर्राष्ट्रीय खरीददार Buyer-mills – international buyers	1. कपास की मांग, आपूर्ति तथा गुणवत्ता के बारे में बाजार आसूचना का नियमित अंतराल पर मूल्यांकन । Appraisal of market intelligence regarding demand, supply and quality of cotton at regular interval. 2. समय-समय पर विभिन्न किस्मों तथा ग्रेडस के नमूना प्रकार की आपूर्ति । Supply of type samples of various varieties and grades from time to time. 3. विभिन्न किस्मों तथा ग्रेडस के लिए उपलब्ध स्टॉक का मूल्यांकन । Appraisal of availability of stocks for various varieties and grades from time to time.

	ग्राहक समूह / Client Groups	अपेक्षाएँ / Requirement
		4. बिक्री की पुष्टि के पश्चात समय पर गॉठें प्रस्तावित करना । Timely offering of bales, after confirmation of sale. 5. खरीददारों से एल/सी तथा पोतवहन के अनुदेश की प्राप्ति पर गाँठों का समय पर पोतवहन. Timely shipment of bales on receipt of L/C and shipping instructions from buyers. 6. पोतवहन के पूर्व तुलन नियंत्रक द्वारा वजन करना । Carry out weighment by weighment controller before shipment. 7. बीजक, डेबिट नोट आदि की समय पर आपूर्ति । Timely supply of invoices, debit notes etc. 8. समय पर लेखों के निपटान तथा अतिरिक्त राशि की समय पर वापसी, यदि कोई हो Timely settlement of account and refund of excess money, if any. 9. गुणवत्ता, वजन आदि के संदर्भ में किसी भी शिकायत पर समय पर ध्यान देना. Timely attention of any grievances with reference to quality, weighment etc.

स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श

CONSULTATION WITH STAKEHOLDERS

मार्गदर्शन विषयः चार्टर बनाने के लिए तथा ऊपर बताए गए उद्दश्यों/लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शामिल/संपर्क में स्टेकहोल्डर्स के ब्यौरे दें.

Guidance Text: Give the details of stakeholders' involved/contacted in charter formulation and for arriving at the above stated Objectives / Targets

चार्टर टास्क फोर्स का गठन

Constitution of Charter Task Force

	पदनाम **Designation**	**जिनसे परामर्श किया गया उन संगठनों/व्यक्तियों के ब्यौरे** **Details of individuals/institutions consulted**
1.	विभाग के अधिकारी Department Officials	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार । Joint Secretary, Ministry of Textiles, Government of India.
2.	अन्य संबधित विभागों से प्रतिनिधि Representative from other concerned departments	टास्क फोर्स सदस्य, जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ है । Task force members who are experts drawn from various fields.
3.	सेवा/उत्पाद की आपूर्ति Supplier of Services/Products	ला.न. NA
4.	गैर-सरकारी संगठन NGOs	ला.न. NA
5.	आरडब्ल्यूएज RWAs	ला.न. NA
6.	यूनियन्स Unions	ला.न. NA
7.	नागरिक/प्रतिनिधि Citizens/Representatives	ला.न. NA
8.	अन्य कोई Any Other	निगम के वरिष्ठ प्रबंधन की टीम Senior Management team of the Corporation.

आयोजित की गई परामर्श बैठकें / लिया गया परामर्श

CONSULTATION MEETINGS CONDUCTED/CONSULTATIONS CARRIED OUT

1.	समझौता ज्ञापन के लिए कार्य-निष्पादन लक्ष्यों को निर्धारित करते समय वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों के साथ आयोजित की गई बैठकें । Meetings conducted with the officials of the Ministry of Textiles, Government of India while finalizing the performance targets for MoU.	समझौता ज्ञापन के लिए मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में टास्क फोर्स तथा सीसीआई प्रबंधन टीम ने उनके साथ परामर्श किया गया तथा उसके पश्चात् निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया । Consultations with Task Force and CCI Management Team in the presence of Ministry officials for finalization of MoU targets and then duly approved by the Board of Directors.

चार्टर की विशेषताएं तथा प्रचार - प्रसार
CHARTER CHARACTERISTICS AND DISSEMINATION

मार्गदर्शन विषयः क्या चार्टर में नीचे दी गई विशेषताएं है तथा प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग में लायी गयी पद्धति है बताएं (हां/नहीं)

Guidance Text: Indicate whether the characteristics given below are present in the charter and method of dissemination utilized (Yes/No)

भाषा **Language**	**सरलता** **Simplicity**	**उपयुक्तता** **Adequacy**
स्थानीय भाषा (नहीं) Local Language (No)	सरणीबद्ध रूप से (नहीं) Tabular Form (No)	समय के मानदंड (हाँ) Time Norms (Yes)
हिंदी (हाँ) Hindi (Yes)	सरल भाषा (हाँ) Simple Language (Yes)	आवश्यक दस्तावेज (नहीं) Documents Required (No)
अंग्रेजी (हाँ) English (Yes)	संक्षिप्त विवरणी (हाँ) Brief Statements (Yes)	अपवाद Exceptions
	संदर्भित ब्यौरे (हाँ) Reference to Details (Yes)	शुल्क/प्रभार (नहीं) Fees/Charges (No)
		उपचारी उपाय (हाँ) Remedial Measures (Yes)
		अन्य कोई (नहीं) Any Other (No)

प्रचार-प्रसार की पद्धति
Methods for Dissemination

1.	**बैठकें, संगोष्ठी तथा सम्मेलन:** **Meetings, Seminars and Conferences**: मौसम के दौरान नियमित रूप से किसानों की जागरूकता बैठकें, संगोष्ठी आदि आयोजित की जाती है । उसी प्रकार, नियमित रूप से खरीददारों के साथ बैठकें आयोजित की जाती है । Farmers' Awareness Meetings, Seminars etc., are being arranged at regular intervals during the season. Similarly, meetings with buyers are arranged regularly.
2.	**समाचार-पत्रों में विज्ञापन:** **Newspaper advertisements**: अंग्रेजी तथा हिंदी के साथ-साथ स्थानीय भाषाओं के समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किए जाते हैं । Newspaper advertisements are issued in local languages also in addition to English and Hindi
3.	**पत्रक / पुस्तिका:** **Leaflets / Brochures**: कपास किसानों को स्थानीय भाषाओं में वितरित किया जाता है । Distributed to the cotton growers in local languages.
4.	पत्रक, पुस्तिका के अलावा, एपीएमसी मार्केट यार्ड में नोटिस बोर्ड हिंदी तथा स्थानीय भाषा में प्रदर्शित किया जाता है । Besides leaflets, brochures, Notice Boards at various APMC market yards in Hindi and local languages are being displayed.
5.	दस्तावेजों में मुद्रित जानकारी ग्राहकों को फैक्स / ई-मेल / वेब-साईट पर प्रदर्शित करते हुए दी जाती है । Information printed in documents given to customers - by way of Fax/e-mails/display on website.
6.	जागरूकता बैठकों/किसान मेलों के मामले में सिटीजन इंटरफेस प्वाईंट पर जनता को संबोधित करने की प्रणाली. Public Address System at Citizen interface points in case of awareness meetings / Kisan Melas.
7.	अन्य कोई - लागू नहीं Any other: N.A.

फीड बैक प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधन
Means Available for obtaining feedback

मार्गदर्शन विषय : बताएँ कि क्या नीचे बताए गए उपाय उपलब्ध हैं. उपयोग में लाए गए हैं तथा क्या इस संबंध में डीएआरपीजी मार्गदर्शन का अनुपालन हो रहा है ।

Guidance Text: Indicate whether the means indicated below are available /used and whether DARPG guidelines regarding these are being followed

संख्या No.	वे संसाधन जिनके द्वारा विभाग फीड-बैक प्राप्त करता है, हाँ/नहीं Means by which Department obtains feedback (Yes/No)	डीएआरपीजी मार्गदर्शन (हाँ / नहीं / ला.न.) DARPG Guidelines (Yes/No/NA)
1.	ग्राहकों /नागरिकों द्वारा लिखित पत्र-व्यवहार वैयक्तिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया. Written Communication handed personally by clients/citizens	हाँ Yes
2.	पोस्ट/कुरियर द्वारा लिखित पत्र-व्यवहार Written Communication through Post/Courier	हाँ Yes
3.	टेलीफोन Telephone	हाँ Yes
4.	वैयक्तिक भेंट द्वारा मौखिक रूप से Verbal through Personal Visit	हाँ Yes
5.	वेब साईट Website	हाँ Yes
6.	कार्यशाला, संगोष्ठी तथा सम्मेलन Workshops, Seminars and Conferences	हाँ Yes
7.	शिकायत/सुझाव बॉक्सेस Complaint/Suggestion Boxes	हाँ Yes
8.	अन्य कोई Any Other	ला.न. NA

फीड-बैक की रिकार्डिंग तथा विश्लेषण

Recording and analyzing feedback

मार्गदर्शन विषय : बताएँ कि क्या फीड-बैक वर्गीकरण के लिए प्रक्रिया विद्यमान है तथा इस प्रक्रिया से प्राप्त परिणाम दें

Guidance Text: Indicate whether there exists a process for classification of feedback and give the results obtained from this process

फीडबैक वर्गीकरण के लिए कोई प्रक्रिया है (हाँ / नहीं)

IS THERE A PROCESS FOR CLASSIFYING FEEDBACK (YES/NO)

क्या निम्न प्रकार की सूचना इस विधि में शामिल है:

DOES THIS PROCESS COVER THE FOLLOWING COMMUNICATION TYPES

	सूचना का प्रकार Communication Type	बताएं हाँ / नहीं State Yes/No
1.	सुझाव Suggestions	हाँ Yes
2.	शिकायत Grievances	हाँ Yes
3.	प्रशंसा Compliments	हाँ Yes
4.	प्रश्न Queries	हाँ Yes

उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी में फीड-बैक के विश्लेषण के बाद संक्षिप्त में बताएँ कि ऐसे कौन से शिकायतें-उन्मुख क्षेत्र हैं, जहाँ प्रकिया में कोई परिवर्तन तथा / या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है.

After analyzing feedback in each of the above categories, briefly state which are the grievance prone areas requiring process changes and/or additional outlays

फीड-बैक ग्राहकों से प्राप्त करने की विद्यमान पद्धति संतोषजनक कार्य कर रही है तथा प्रकिया में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.

The present system of getting feedback from clients is working satisfactorily and does not require any process changes.

शिकायत निवारण के लिए मानदंड
Norms for Grievance Handling

मार्गदर्शन विषयः आवेदक को पावती, सुधार तथा अंतरिम/अंतिम उत्तर के लिए समय मानदंड (यदि निर्धारित है) बतायें ।
Guidance Text: Indicate time norms (if decided) for acknowledgement, redressal and interim/final reply to petitioner

शिकायत का स्तर Grievance stage	विद्यमान समय मापदंड (हाँ/नहीं) Time Norm present (Yes/No)	संबंधित समय मापदंड Relevant Time Norm
शिकायत की पावती Acknowledgement of Grievance	हाँ Yes	तत्काल Immediate
शिकायत का निवारण Redressal of complaints	हाँ Yes	समय पर Timely
अंतरिम / अंतिम उत्तर Interim / Final Reply	हाँ Yes	समय पर Timely

उद्देश्यों की उपलब्धि
Achievement of Objectives

मार्गदर्शन विषयः विशिष्ट उद्देश्यों तथा कार्य निष्पादन लक्ष्य के साथ उनके लिए आवश्यक कार्रवाई तथा / योजना बतायें .
क्या प्रत्येक उद्देश्य के लिए कार्य निष्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया गया । - हाँ
Guidance Text: Mention specific objective and Performance Target along with the action needed/planned for them
Have performance target been achieved for each objective: Yes

मंत्रालय/विभाग द्वारा पिछले वर्ष के लिए प्रत्येक लक्ष्य हेतु नीचे दिए अनुसार बताएँ
State the following for each objective set by the Ministry/Department is the previous year

क्र सं. Sl. No.	ब्यौरे Particulars	स.ज्ञा 2010-11 के अनुसार लक्ष्य Target as per MoU 2010-11	वास्तविक उपलब्धि Actual achievement 2010-11	वेटेज Weigh tage	रॉ-स्कोर Raw Score	रॉ-स्कोर के लिए वेटेज Weightage of raw score
1	**स्थैतिक वित्तीय पैरामीटर्स (50%)** **Static Financial Parameters (50%)**					
क (a)	वित्तीय संकेतक Financial Performance Indicators					
(i)	सकल मार्जिन/टर्न ओवर (%) Gross Margin/Turnover (%)	6.38	3.23	10	5	0.50
(ii)	परिचालन टर्न-ओवर/कर्म.की संख्या (लाख रू./कर्म) Operational turnover/No.of employees (Rs.lakhs/employee)	434.98	232.74	12	5	0.60

क्र सं. Sl. No.	ब्यौरे Particulars	स.ज्ञा 2010-11 के अनुसार लक्ष्य Target as per MoU 2010-11	वास्तविक उपलब्धि 2010-11 Actual achievement 2010-11	वेटेज Weigh tage	रॉ-स्कोर Raw Score	रॉ-स्कोर के लिए वेटेज Weightage of raw score
(ख) (b)	**वित्तीय संकेतक Financial Indicators - Size**					
(i)	सकल मार्जिन (करोड रू.में) Gross Margin (Rs.in crores)	370	88.71	8	5	0.40
(ii)	सकल बिक्री (करोड रू.में.) Gross Sales (Rs.in crores)	5800	2743.23	4	5	0.20
(c)	**वित्तीय रिटर्न-श्रम उत्पादकता और कुल फैक्टर उत्पादकता Financial Returns – Labour Productivity & Total Factor Productivity**					
(i)	पीबीडीआईटी/कुल रोजगार (लाख रू./कर्म.) PBDIT/Total employment (Rs.lakhs/employee)	27.41	7.68	7	5	0.35
(ii)	वर्धित मूल्य/सकल बिक्री (%) Added Value/Gross Sales (%)	5.70	2.00	9	5	0.45
2	**सक्रिय पैरामीटर्स (32%) DYNAMIC PARAMETERS (32%)**					
2.1	**अनुसंधान और विकास Research & Development**					
(i)	किसानों को अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण, एफएलडी की संख्या Transfer of technology from research centres to farmers, No.of Front Line Demonstrations (FLD)	3500	0	2	5	0.10
(ii)	भारत और अंतरर्राष्ट्रीय में कपास परिदृश्य और भविष्य में सीसीआई की नीति भूमिका पर सलाहकार द्वारा अध्ययन पूरा करना Completion of study by Consultant on Cotton Scenario in India & international and strategic role of CCI in future	30-9-10	–	3	5	0.15
2.2	**निरंतर विकास Sustainable Development**					
(i)	संदूषण मुक्त पू.बं.गाँठें (कुल खरीद का प्रतिशत) Contamination free FP bales (% of total purchase)	75	80	5	1.29	0.06

क्र सं. Sl. No.	ब्यौरे Particulars	स.ज्ञा 2010-11 के अनुसार लक्ष्य Target as per MoU 2010-11	वास्तविक उपलब्धि 2010-11 Actual achievement 2010-11	वेटेज Weigh tage	रॉ-स्कोर Raw Score	रॉ-स्कोर के लिए वेटेज Weightage of raw score
2.3	**निगमित सामाजिक दायित्व** **Corporate Social Responsibility**					
(i)	डीपीई मार्गदर्शन के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने योग्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर खर्च Expenditure on implementation of projects to be approved by Board as per DPE Guidelines	22.50	27.65	5	1	0.05
2.4	**ग्राहक संतुष्टि** **Customer Satisfaction**					
(a)	संविदा कार्य निष्पादन प्रतिशत (गाँठों में कुल बिक्री का %) Contract Performance %tage (%tage to total sales in bales)	99	99.83	3	1.17	0.04
(b)	गुणवत्ता शिकायतें (गाँठों में कुल बिक्री का %) Quality complaints (% of total sales in bales)	0.80	0.08	3	1	0.03
2.5	**परियोजनाएँ** **Projects**					
(a)	संविदा खेती परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र Area under contract farming projects	38000	48648	3	1	0.03
(b)	कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनि मिशन के अनुसार पूरे किये जानेवाले मार्केट यार्डस की संख्या No. of marketing yards to be completed as per Mini Mission of Technology Mission on Cotton	200	196	4	2.40	0.10
2.6	**कर्मचारी प्रशिक्षण** **Employee Training**					
(i)	प्रशिक्षण संस्थान के कार्यपालक प्रशिक्षण (व्यक्ति) पुरस्कार प्रमाण पत्र के साथ Executive Training with award certificate from training institute (persons)	19	20	2	1	0.02
(ii)	गैर-कार्यपालक (व्यक्ति) Non-executives (Persons)	70	77	2	1	0.02

क्र सं. Sl. No.	ब्यौरे Particulars	स.ज्ञा 2010-11 के अनुसार लक्ष्य Target as per MoU 2010-11	वास्तविक उपलब्धि 2010-11 Actual achievement 2010-11	वेटेज Weigh tage	रॉ-स्कोर Raw Score	रॉ-स्कोर के लिए वेटेज Weightage of raw score
	भाग ख - विशिष्ट पैरामीटर्स **PART B – SPECIFIC PARAMETERS**					
3A	(i) सीसीआई के निर्यात बिक्री में वृद्धि (मात्रात्मक संदर्भ में) पिछले वर्ष की तुलना में Increase in CCI Export sales (in quantitative term) over that of last year)	50	-65.69	2	5	0.10
	(ii) दि.30.09.2010 को न बेचे गए स्टॉक की मालसूची (कपास मौसम की खरीद का %) लेखा परीक्षकों के प्रमाण पत्र के अनुसार Inventory unsold stock as on 30-9-2010 (% of cotton season purchases) as per Auditors' Certificate	5	0.07	6	1	0.06
3B	कपास की जि.एवं.प्रे. के लिए संसाधन चक्र में सुधार-- दिनों की संख्या Improvement in processing cycle for G&P of kapas – No. of days	28	20	5	1	0.05
3C	वस्त्र समिति द्वारा प्रमाणित आधुनिकीकृत जि. एवं प्रे. फैक्टरियों की संख्या No. of G&P factories modernized certified by Textile Committee (Nos)	50	50	5	2	0.10
	कॉम्पोझिट स्कोर **Composite score**					3.41

भाग v समझौता ज्ञापन के कार्यान्चयन तथा मॉनिटरिंग के लिए कार्रवाई योजना
PART V – ACTION PLAN FOR IMPLEMENTATION & MONITORING OF THE MoU

क्र.सं. Sl No	ब्यौरे Particulars	देय तारीख Due date	वास्तविक तारीख Actual date
1	वर्ष 2011-12 के लिए प्रशा.मंत्रालय/विभाग के साथ यथोचित विचार विमर्श के बाद समझौता ज्ञापनं मसौदा समय पर प्रस्तुत करना Timely submission of draft MoU for 2011-12 after due discussion with Adm. Ministry/Department.	24-12.2010 से पहले Before 24-12-2010	8-12-2010 8-12-2010
2	वर्ष 2011-12 के लिए समझौता ज्ञापन समय पर हस्ताक्षर करना Timely signing of MoU for the year 2011-12	31 मार्च, 2011 तक By 31st March 2011	21 मार्च, 2011 21st March 2011
3	वर्ष 2010-11 के लिए लेखा परिक्षित आंकडों के आधार पर कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना Timely submission of Performance Evaluation Report (composite score) for 2010-11 MoU on the basis of audited data	31 अगस्त, 2011 से पहले By 31th August 2011	30 अगस्त, 2011 30th August 2011

वास्तविक कार्य निष्पादन Actual Performance	समझौता ज्ञापन कम्पोजिट स्कोर 3.41 : अच्छा MoU composite score 3.41: Good
लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण (यदि वास्तविक कार्य निष्पादन मेल नहीं खाता/ कार्य निष्पादन लक्ष्य को पार किया है) Reasons for not achieving (if actual performance doesn't match/exceed performance target)	ला.न N.A.
कार्रवाई की आवश्यकता/योजनाबद्ध Action Needed/Planned	--
सीखना Learning	--

सीखे हुए पाठ के आधार पर कार्य
Initiatives based on lessons learnt

मार्गदर्शन विषयः उपर्युक्त सीख के आधार पर किए गए विशिष्ट कार्य का उल्लेख करें
Guidance Text: Mention specific initiatives undertaken based on learnings above

मानदंडो को बनाने / सुधारने तथा उनकी उपलब्धि के लिए किए गए कार्य Initiatives planned for Setting / Improving standards and achieving them	
1.	आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के एसडबल्यूसी के साथ संयुक्त उद्यम परियोजना बनाने के लिए कदम उठाए गए है । Steps initiated for exploring joint venture projects with SWCs of AP and Maharashtra.
2.	कपास की जिनिंग एवं प्रेसिंग हेतु संसाधन चक्र कम करने के लिए अध्ययन आयोजित किया गया है । Study conducted to reduce processing cycle for ginning and pressing of kapas

नागरिक/ग्राहक संतुष्टि के लिए निरंतर संपर्क रखना
Tracking Citizen/Client Satisfaction

मार्गदर्शन विषयः स्टेकहोल्डर संतुष्टि प्रक्रिया करने की यदि कोई प्रक्रिया हो, तो उल्लेख करें तथा विश्लेषण के पश्चात मामलों को संक्षिप्त में बताएं ।
Guidance Text: Mention if there is a process to determine stakeholder satisfaction and briefly describe the issues after analysis

क्या नागरिक / ग्राहक संतुष्टि प्रक्रिया करने की यदि कोई प्रक्रिया है Is there a process in place to track Citizen/Client satisfaction		हाँ/नहीं Yes/No
यदि हाँ, तो क्या निम्न संकेतकों को शामिल किया गया है If yes, state whether it incorporates the following indicators		
क्र. No.	नागरिक/ग्राहक संतुष्टि के संकेतक Indicators of Citizen/Client Satisfaction	संकलित (हाँ/नहीं) Compiled (Yes/No)
1.	समाचार-पत्र रिपोर्टस Newspaper Reports	हाँ Yes
2.	निरीक्षण रिपोर्ट टिप्पणी Inspection Report Comments	हाँ Yes
3.	वरिष्ठ अधिकारी दौरा टिप्पणी Senior Officer Visit Comments	हाँ Yes
4.	ग्राहक सर्वेक्षण संकेतक Client Survey Indicators	हाँ Yes
5.	अन्य कोई Any Other	
उपर्युक्त पद्धति दारा अभिचिन्हित विषयों को संक्षिप्त में बताएं Briefly state the issues identified by the above process		

क्षमता

1. निगम के पास बहुत अनुभवी कार्यपालक तथा क्षेत्रीय कर्मचारी है.
2. सभी कपास उत्पादक राज्यों में 270 खरीद केन्द्रों के परिचालन का अखिल भारतीय नेट-वर्क है.
3. न्यूनतम समर्थन मूल्य एजेन्सी होने के कारण, न्यूनतम संरचना रखी गयी है तथा उसी का उपयोग वाणिज्यिक खरीद के लिए किया जाता है.
4. राष्ट्रीय स्तर की एजेन्सी के रूप में निगम बड़ी मात्रा में कपास की सभी किस्मों /ग्रेडस की आपूर्ति कर सकता है.
5. निगम अपने मिल खरीददारों को गोदाम सुविधा भी देता है, ताकि प्रत्येक गाँठ का प्रबंधन किया जा सके तथा परिवहन अवधि से बचा जा सके.
6. "गुणवत्तावाली कपास का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता" के रूप में नाम कमाया है.
7. खरीददारों को बाजार आसूचना का नियमित रूप से फीड-बैक देता है, उसे व्यापार में बदलता है.
8. कपास की खरीद से पूर्णबंधित गाँठों की बिक्री तक, अपने सभी कार्य-कलापों (परिचालन) में पारदर्शिता रखता है.
9. बिक्री पूर्व तथा बाद में प्रभावी सेवा ने निगम के टर्न-ओवर को प्रति वर्ष बढ़ाने में सहायता दी है.

सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रः

1. अधिक परिणाम प्राप्त करने के लिए रूई का अनुमान, कमियाँ, कपास बिनौले, विविध आदि सभी पहलुओं की समीक्षा.
2. प्रेस्ड से सुपुर्दगी वजन में कमी को नियंत्रित करना तथा घटाना.

अन्य कोई महत्वपूर्ण मामलाः

1. कपास की देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्ति के साथ-साथ उन सभी कारणों को मॉनिटर करना, जो कपास की मांग तथा मूल्य प्रवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं ।
2. निगम के पास उपलब्ध कपास की मालसूची को मॉनिटर करना.
3. निधि की उपलब्धता तथा उसकी आवश्यकता को मॉनिटर करना.

Strengths

1. Corporation has got well experienced field staff and executives;
2. All India network with operations at more than 270 procurement centers in all the cotton growing States;
3. As MSP agency, maintaining bare minimum infrastructure and the same is used for commercial operations;
4. As the national level agency, Corporation is in a position to supply all varieties/grades of cotton in bulk;
5. Corporation is also extending the Godown Storage Facility to its mills buyers to enable bale-to-bale management and also save on in transit period;
6. Earned a reputation of “dependable supplier of quality cotton”.
7. Regular feed back to the buyers on marketing intelligence, translates into business;
8. Full transparency is maintained in all its operations, right from procurement of kapas to sale of FP bales.
9. Effective pre-and post sales services have helped in increasing the turnover of the corporation from year to year.

Areas requiring Improvement

1. Review of all aspects of budgeting lint, shortages, cotton seed, miscellaneous results for obtaining optimum results
2. Controlling and mitigating shortages in press to delivery weight.

Any other significant Issues

1. Monitoring of domestic & international cotton price trend as well as factors that may influence the price behaviour and demand of cotton;
2. Monitoring the inventory level of cotton with the Corporation;
3. Monitoring availability of funds and its requirements.

नागरिक/ग्राहक फोकस तथा संतुष्टि में सुधार लाना.

मार्गदर्शन विषयः स्टेक होल्डर संतुष्टि के विश्लेषण से अभिचिन्हित क्षेत्रों में किए गए उपायों को संक्षिप्त में बताएं :

क्र	उक्त अभिचिन्हित क्षेत्रों में सुधार करने के लिए किए गए उपाय
	ग्राहकों से प्राप्त फीड-बैक के आधार पर, आगामी वर्ष के लिए विपणन नीति बनाने/सुधारने के लिए आवश्यक निर्णय लिये जाते हैं।

कर्मचारियों की क्षमता में सुधार करना.

मार्गदर्शन विषय : मंत्रालय / विभाग में क्षमता बढ़ाने के लिए जा रहे प्रयत्नो के बारे में केंद्रित क्षेत्रों तथा प्राप्त परिणाम सुधार के बारे में बताये.

Improving Citizen/Client Focus and satisfaction

Guidance Text: Briefly state the measures planned in areas identified from the analysis of stakeholders' satisfaction

No.	Measures for making improvement in above identified areas
	Based on feedback received from the clients, necessary decisions are taken to modify/ formulate the marketing strategies for the ensuing year.

Improving Employees Capabilities

Guidance Text: Briefly state the capability building efforts being made in the Ministry/Department along with the areas focused and improvements resulted

प्रशिक्षण

ब्यौरे (अवधि,स्थान आदि)	केंद्रित क्षेत्र / क्षेत्रों	प्राप्त सुधार
प्रबंधकीय कुशलता विकसित करने के लिए कार्यपालक तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।	कार्यपालक तथा गैर कार्यपालक	कुशल मानव शक्ति की संख्या में सुधार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर निर्णय हुए है।

Trainings

Details (Duration, Location etc.)	Focus Area/s	Improvement Achieved
Training is imparted to employees as well as executives for developing managerial skills.	Executives/ Non-executives	Number of skilled manpower has improved, which has resulted in better decision-making.

परामर्श

ब्यौरे (कालावधि, स्थान आदि)	केंद्रित क्षेत्र / क्षेत्रों	प्राप्त सुधार
निगम के परिचालन में दिन प्रति दिन सुधार के लिए सुझाव हेतु समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती है ।	परिचालन मामले	इस प्रकार की बैठकें पर्याप्त रूप से प्रभावी हैं ।

Counseling

Details (Duration, Location etc.)	Focus Area/s	Improvement Achieved
Review meetings are held from time to time to suggest the improvement in the day-to-day operations of the Corporation and achieve set targets/goals.	Operational matters	Such meetings are quite effective .

अन्य साधन

ब्यौरे (कालावधि, स्थान आदि) Details (Duration, Location etc.)	केंद्रित क्षेत्र / क्षेत्रों Focus Area/s	उपलब्धि में सुधार Improvement Achieved
तिमाही - शाखा स्तर पर संयुक्त प्रबंधन समिति की बैठकें आयोजित की जाती है - छःमाही तिमाही मुख्यालय में केन्द्रीय संयुक्त प्रबंधन परिषद की बैठकें आयोजित होती हैं-	परिचालन क्षेत्र	कर्मचारियों में जागरूकता निर्माण करना तथा विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन में भाग लेना ।

Other Tools

Details (Duration, Location etc.)	Focus Area/s	Improvement Achieved
Joint Management Council Meetings are held at Branch Offices- Quarterly Central Joint Management Council Meetings are held at HO – Half yearly.	Operational areas	To create awareness amongst all employees and have participative management at different levels.

न्यूनतम संरचना की आवश्यकता

मार्गदर्शन विषयः जहाँ आवश्यक हो उपलब्ध संरचना को संक्षिप्त में बताए, क्या मंत्रालय/ विभाग ने इस संबंध में मार्गदर्शन जारी किए हैं तथा इन क्षेत्रों में कार्रवाई योजना के साथ ध्यान देने योग्य आवश्यक क्षेत्र बतायें ।

Minimum Infrastructure Requirement

Guidance Text: Briefly state whether required infrastructure is available, whether Ministry/ Department has issued guidelines in this regard and indicate areas that need attention along with Action planned in these areas

क्या आवश्यक संरचना उपलब्ध है **हॉ / नहीं**
Is the required infrastructure available **Yes/No**

संख्या No.	न्यूनतम संरचना निर्देशिका Minimum Infrastructure Guidelines	अंतिम अद्यतन की तारीख Last Updation Date	वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी Comment on Current Status
1.	पर्याप्त फर्निचर Adequate Furniture	हां Yes	संतोषजनक Satisfactory
2.	प्रसाधन गृह/गृहों की उपलब्धता Availability of Toilet/s	हां Yes	संतोषजनक Satisfactory
3.	बिजली की उपलब्धता Availability of Electricity	हां Yes	संतोषजनक Satisfactory
4.	अन्य संबंधित मामले Any other relevant issues	शून्य Nil	लागू नहीं NA

वे क्षेत्र बतायें, जहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है
State areas that need attention

मार्गदर्शन के अनुसार उचित ध्यान दिया जाता है.
As per the guidelines, adequate care is being taken.

उपर्युक्त अभिचिन्हित क्षेत्रों में कार्रवाई योजना
Action planned in the above identified areas

पर्याप्त संरचना उपलब्ध है, अतः कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है ।
Sufficient infrastructure is available and hence no action is required.

बैंको की सूची (संकाय)
LIST OF BANKS (CONSORTIUM)

बैंक ऑफ बड़ौदा	BANK OF BARODA
बैंक ऑफ इंडिया	BANK OF INDIA
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	CENTRAL BANK OF INDIA
कॉरपोरेशन बैंक	CORPORATION BANK
देना बैंक	DENA BANK
आईडीबीआई बैंक	IDBI BANK
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	ORIENTAL BANK OF COMMERCE
पंजाब नेशनल बैंक	PUNJAB NATIONAL BANK
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	STATE BANK OF HYDERABAD
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	STATE BANK OF INDIA
सिंडीकेट बैंक	SYNDICATE BANK
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	UNION BANK OF INDIA
विजया बैंक	VIJAYA BANK

NOTES



श्री डी.सी. सागर, भा.पु.से., मु.स.अ.
Shri D. C. Sagar I.P.S., C.V.O.



डॉ. रीता कुमार, मु.म.प्र (विप)
Dr. Rita Kumar, CGM (Mktg.)



श्री मनोज बजाज,
कंपनी सचिव एवं. महा प्रबंधक (वित्त)
Shri Manoj Bajaj
Company Secretary cum G.M. (Finance)

महा प्रबंधक
General Managers

श्री आर. सी. सरकार
Shri R. C. Sarkar

श्री ललित कुमार गुप्ता
Shri Lalit Kumar Gupta

श्री पी. टी. पिल्लेवार
Shri P. T. Pillewar

श्री एस. के. पाणिग्रही
Shri S. K. Panigrahi

श्री आर. के. गुप्ता
Shri R. K. Gupta

श्री एस. के. दास
Shri S. K. Das

उप महा प्रबंधक
Deputy General Manager

Dr. S. K. Chaturvedi
डॉ. एस.के.चर्तुवेदी

Shri Atul Kala
श्री अतुल काला

Shri U.K. Singh
श्री. यू.के. सिंह

Smt. S. C. Acharekar
श्रीमती एस.सी. आचरेकर

Shri A. K. Srivastava
श्री ए. के. श्रीवास्तव

Shri Vishal K. Sinha
श्री विशाल के सिन्हा

Designed & Printed by creativeline2009@gmail.com